खण्ड-230, अंक-2
शनिवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1884
(5 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८१–८४
मुख्य मंत्री द्वारा "उच्छृंखल" शब्द के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८५–९२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९२
नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	९२–९४
२३–४–६२ को दी गई व्यवस्था के संबंध में श्री बनारसीदास द्वारा स्पष्टीकरण	९४
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २४––सहकारिता (स्वीकृत)	९५–१४७
श्री अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग	१४७

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ५ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३६

अच्छैबर सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्य देव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

मुख्य मंत्री द्वारा "उच्छृङ्खल" शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की दो सूचनायें आयी हैं और उसी सम्बन्ध में एक सूचना माननीय चन्द्रजीत यादव ने दी है । दो विशेषाधिकार की जो सूचनायें हैं उनमें एक माननीय नरसिंह नारायण जी की है और एक माननीय उग्रसेन जी की है । इनमें जो प्रश्न उठाया गया है वह "उच्छृंखल" शब्द के ऊपर है जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रयोग किया था । मेरा ऐसा खयाल था और इस समय भी है कि उच्छृंखल का अर्थ यह होता है कि जो शृंखलाविहीन हो, जो असंयत हो, अनियंत्रित हो, शृंखला से जो बंधा न हो । इसी कारण से मैंने कल यह निर्णय दिया था कि यह शब्द ऐसा है कि जिसका केवल मंशा यह है कि अनरेस्ट्रेंड, अनियंत्रित तरीके से कोई बात कही जाय तो उस सम्बन्ध में 'उच्छृंखल" कहा जा सकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जरा मुझे मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी देता हूं । इस सम्बन्ध में माननीय चन्द्रजीत यादव ने यह सूचना दी है कि 'मेरी राय में यह शब्द किसी माननीय सदस्य के लिये प्रयोग किया जाना उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना है' । तो मेरा व्यक्तिगत जो विचार था वह मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा । अब जो अर्थ मैं लगा रहा हूं उस अर्थ के सम्बन्ध में माननीय उग्रसेन या माननीय नेता विरोधी दल या माननीय चन्द्रजीत यादव कुछ कहना चाहें तो उसे सुनकर मैं फिर उस पर पुनर्विचार कर सकता हूं ।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है वह इस प्रकार है:—

"कल दिनांक ४ मई, १९६२ को अपरान्ह. . . . . "

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैंने जो आपसे निवेदन किया था वह यह है कि . . . .

श्री उग्रसेन—वह पढ़ा नहीं गया था, उसमें हमारी बात है ।

श्री अध्यक्ष—नहीं । देखिये, उग्रसेन जी, हम चाहते यह हैं कि जो प्रश्न मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा है उस पर आप अपने विचार प्रकट करें कि उच्छृंखल शब्द किस प्रकार से असंसदीय है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के समक्ष अपने तर्कों को प्रस्तुत करता हूं जिनके आधार पर मैंने यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिया है । पहला तर्क यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उच्छृंखल शब्द का प्रयोग किया है वह उन्होंने मेरी भावनाओं के प्रति, मेरे वक्तव्य के प्रति नहीं बल्कि मेरे प्रति किया है । उच्छृंखल शब्द का विश्वकोश में जो अर्थ है वह मैं आप के सामने रखता हूं । हिन्दी के विश्वकोश को देखा जा सकता है ।

अभी मैंने यह जानने की कोशिश की कि उसके शाब्दिक अर्थ क्या हैं । "उच्छृंखल" शब्द के अर्थ इसमें लिखे हुये हैं, अडंबंड, निरंकुश, उद्दंड, अनर्गल । ये पर्यायवाची शब्द इस "उच्छृंखल' शब्द के इस विश्वकोष में दिये हुये हैं । अब अगर माननीय मुख्य मंत्री को इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय कि वह यहां पर अंडबंड, निरंकुश जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक उचित है । मैं इसके सम्बन्ध में मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के २, ४ उद्धरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य को अपने भाषण

[श्री उग्रसेन]

पर किस सीमा तक रेस्ट्रेन्ट रखना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पेज ५१ से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि :—

"*Restraint on Speech in Parliament*—Speech and action in Parliament may thus be said to be unquestioned and free. But this freedom from external influence of interference does not involve any unrestrained licence of speech within the walls of the house."

इसका मतलब यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस सदन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक भाषण कर सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिलकुल निरंकुश, निरंकुश या अनर्गल भाषण करने लग जाय । इसमें आगे लिखा हुआ है कि :—

"The cases in which Members have been called to account and punished for offensive words spoken before the House are too numerous to mention. Some have been admonished, others imprisoned, and in the Commons some have been expelled."

इस प्रकार के आफेन्सिव शब्दों का यदि प्रयोग हुआ है, यदि उससे किसी भी भावना को ठेस पहुंची है तो ऐसे प्रश्न हाउस आफ कामन्स के सामने जब पेश हुये हैं तो उसका क्या नतीजा निकला ? या तो उनको हाउस से निकाला गया है और यदि नहीं निकाला गया है तो हाउस के सामने उसकी भर्त्सना की गई है और उनको जेल भी भेजा गया है ।

उसके बाद अब मैं आपका ध्यान पेज १०९ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि :—

"*Misconduct in the presence of either House or Committees of either House*—Any disorderly, contumacious or disrespectful conduct in the presence of either House or any Committee thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties or witness, will constitute a contempt."

अब मैं आपके सामने आगे पेज ४४० को भी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । जिस समय "उच्छृंखल" शब्द का प्रयोग माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतंत्रतापूर्वक किया तो उस समय वे बहुत गर्म हो चुके थे और माननीय सदस्यों ने देखा और आपने भी श्रीमन् देखा होगा कि वह बहुत गर्म थे । इसमें यह दिया हुआ है कि कोई सदस्य हाट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर किसी सदस्य ने उसका प्रयोग किया है तो उसका क्या नतीजा हुआ है वह मैं आपके सामने के पेज ४४० से रखना चाहता हूं । इसके पेज ४४० पर है :—

"The House of Commons will insist upon all offensive words being withdrawn, and upon an ample apology being made, which shall satisfy both the—house and the Member to whom offence has been given."

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं है कि अफेंसिव वर्ड्स अगर इस्तेमाल हों तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा या नहीं, प्रश्न यहां यह है कि शब्द "उच्छृंखल" आफेंसिव है या नहीं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, एक लाइन और पढ़ लेने दीजिये । यह सदन इसी के लिये बना है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें । वह वाक्य इस प्रकार है :—

"If the apology be refused, or if the offended Member decline to express his satisfaction, the House takes immediate measures for preventing the quarrel from being pursued further. In such cases there are precedents for the committal of both the Members to the custody of the Serjeant;"

तब हाउस इसके खिलाफ ऐक्शन लेता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उच्छृंखल शब्द का प्रयोग किया किसी एक माननीय सदस्य के विरुद्ध और हमने इसमें लिखा है कि माननीय सदस्य का नहीं, उन्होंने सदन का अपमान किया है । आप देखें कि यह हुआ या नहीं । आप सक्षम हैं, जो व्यवस्था

देंगे शिरोधार्य होगी, लेकिन यदि उच्छृंखल शब्द संसदीय घोषित कर दिया जाय और वास्तव में उसके वही अर्थ हों जो कि अभी मैंने निवेदन किये तो यह सदन की परंपरायें कहां तक चलेंगी । इसके अतिरिक्त सदस्यों के बीच झगड़े होते हैं ....

श्री अध्यक्ष—अब आप....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, एक मिनट और सुन लीजिये । अगर सदन में सदस्यों का झगड़ा मिटाने की कोशिश की जाती है तो यहां तक कहा गया है कि दोनों सदस्यों को सार्जेंट को दे दिया जाता है कि उनका चालान कर दिया जाय । यदि माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हों तो मैं किसी भी कोर्ट में जाने के लिये तैयार हूं अगर यह शब्द पार्लियामेंटरी हो तो.....

श्री अध्यक्ष—मेरा प्रश्न था....

श्री उग्रसेन—यह आपकी प्रक्रिया नियमावली है....

एक सदस्य—एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उग्रसेन—इसमें लिखा हुआ है कि यदि सदन के समक्ष कुछ ऐसी बातें हों तो बिना नोटिस के सदन स्वयं उसका नोटिस ले लेगा....

श्री अध्यक्ष—कौन कहता है कि ऐसा नहीं है ।

श्री उग्रसेन—इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसका नोटिस लें और इस पर आप व्यवस्था दें । (व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—जिस स्थिति में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है और जिस प्रश्न को लेकर यह प्रश्न उठाया गया है वह सदन के समक्ष साबित हो चुका है कि वास्तविकता क्या थी । आप उनको बार बार रोक रहे हैं और वे अंड-बंड जरूर कहते जा रहे हैं ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल जिस समय माननीय मुख्य मंत्री बहस का उत्तर दे रहे थे उस समय बहस के दौरान में शब्द "उच्छृंखल" को वापस ले लिया था (व्यवधान)—मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रोसीडिंग्स देख लें तब अपनी बात कहें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें आपने प्रश्न किया है उच्छृंखल शब्द के लिये और उस पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि उच्छृंखल शब्द का अर्थ वास्तव में है क्या । उसका अर्थ है जो शृंखलाविहीन हो । इसके अर्थ डिक्शनरी में और भी दिये गये हैं—अनियंत्रित, अनर्गल, शृंखला-विहीन, आदि । आखिर मानव जीवन कोई चेन तो है नहीं कि जिससे लोग बंधे हों, इसलिये यदि सोचा जाय तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा ऐसा मनुष्य कि जिसकी बुद्धि कुछ विभ्रम हो गयी हो या उसे उन्माद हो गया हो, पागल हो गया हो । अब श्रीमन्, इस प्रकार से पर्याय-वाची शब्द का प्रयोग माननीय नेता सदन द्वारा होना शोभा की बात नहीं है और अगर होता है तो यह स्वाभाविक है कि उस मनुष्य को चोट लगती है । किसी को पागल कहना यह उसके लिये अपमान है और इस सदन के किसी व्यक्ति के लिये कहना तो इस पूरे सदन का अपमान है ।

श्रीमन्, इसका एक पहलू और है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । माननीय नेता सदन वयोवृद्ध हैं । उन्हें गंभीर होना चाहिये, इतनी जल्दी प्रोवोक होकर इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये । टोकने का तो सभी माननीय सदस्यों का अधिकार

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

है और उस पर प्रोवोक होकर किसी माननीय सदस्य को उच्छृंखल कह देना, जिसका मतलब होता है पागलपन, या उसको इंगित करना, उचित नहीं है। मैं उदाहरण दूं कि रावण के लिये 'दशानन' शब्द कहा जाता है। अब अगर किसी को हम दशानन कहने लगें तो उसका मतलब होगा कि वह राक्षस है, या उसका अपमान किया गया है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जरा इन बातों पर भी विचार करें। अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होते और अपने शब्दों को वापस लेकर रिग्रेट करते। मैं यह आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इन शब्दों को एक्सपंज करायें प्रोसीडिंग्स में से क्योंकि अगर इस शब्द को पार्लियामेन्टरी मान लिया गया तो फिर सदन में इतने शब्दों का प्रयोग होगा कि फिर स्थिति बड़ी दुखद हो जायगी और फिर सदन में यदि कोई अशोभनीय घटना होती है तो वह दुखद होगी। इसलिये आप इसके अंतिम परिणाम पर भी विचार कर लें। शब्द का एक तो प्रत्यक्ष अर्थ होता है और दूसरे उसका पर्यायवाची अर्थ होता है जो बड़ा दुखदायी होता है और अगर ऐसा होता है तो फिर सदन का कार्य डिग्नीफाइड ढंग से चलना मुश्किल हो जायगा। अतः इन शब्दों पर विचार करने के बाद आप अपना निर्णय दें। माननीय नेता सदन तो इस समय हैं नहीं, मैं उप नेता सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि उस शब्द को वापस लें और अपना रिग्रेट सदन के समक्ष पेश करें।

*श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न सदन में उठाया गया है उस संबंध में मैंने एक पत्र आपको लिख कर यह प्रार्थना की है कि आपने जो कल रूलिंग दी थी उस पर आप पुनः विचार करें। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से नेता विरोधी दल ने यह अनुरोध किया है कि वे इस शब्द को वापस ले लें ताकि यह विवाद समाप्त हो जाय और अगर वे उसको वापस ले लेते हैं तो वह एक बहुत अच्छी परम्परा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यह होगा कि आपकी रूलिंग होने के बाद, अगर वह संसदीय ठहराया जाता है, तो क्या वह आगे भी प्रयोग में लाया जा सकेगा? जो शब्द उच्छृंखल है अगर उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसमें शृंखलाबद्धता का अभाव है, लेकिन जब विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है तो यह कहा जायेगा कि वह व्यक्ति उच्छृंखल है, यानी उद्दंड है या कठोर है। यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, गैर जिम्मेदारी की बात है। यह बात, श्रीमन्, संसदीय प्रथा में मान्य है, लेकिन "गैर जिम्मेदार" कहना किसी तरह से मान्य नहीं है।

भूतपूर्व अध्यक्ष ने रूलिंग दी है कि "गैर जिम्मेदार" नहीं कहा जा सकता, यह संसदीय नहीं है, "गैर जिम्मेदारी" संसदीय है। उसी तरह से निवेदन है कि यदि यह कहा जाता है कि "उच्छृंखलता है" किसी भाषण में, तब तो माना जा सकता था कि कोई शृंखलाबद्धता का भाव है, लेकिन विशेषण के रूप में उसका प्रयोग करना "उद्दंड" कहना है। हमारी नियमावली के नियम २८९ में किसी माननीय सदस्य को बोलते समय भाषा का ध्यान रखना चाहिये, "प्रत्येक भाषण का विषय चर्चाधीन विषय से सर्वथा संगत होना चाहिये"। उसमें यहां तक दिया हुआ है कि "किसी प्रश्न का वंचनात्मक उत्तर नहीं देगा" ताकि सदन की मर्यादा भंग न हो। तो मेरा फिर नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जिन परिस्थितियों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ उद्दंड है और यह एक अत्यन्त कठोर शब्द है। मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करके इस शब्द को अनपार्लियामेन्टरी घोषित करें, क्योंकि यह अनपार्लियामेन्टरी है। इसको निकाला जाय, यह मुझे कहना है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा मोशन था। आपने जो पूछा कि "उच्छृंखल शब्द पर कोई अपने विचार रखे और बतावें, तो मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये ।

श्री नरसिंहनारायण—हमें कहने का मौका तो दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में समय मांग सकते हैं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रश्न उपस्थित है . . . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मुख्य मंत्री क्या बाहर गये हुए हैं ? श्रीमन्, अगर वह यहां हों तो यह महत्वपूर्ण विषय है, उनको आकर स्वयं जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—उनकी आवश्यकता होगी तो बुलवा लिया जायगा ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन के सामने प्रश्न उपस्थित है कि "उच्छृंखल" शब्द का प्रयोग करना यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है । अभी विरोधी दल के माननीय नेता जी ने कहा कि "उच्छृंखल" का अर्थ है "शृंखलाहीन" "अनर्गल", जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आउट आफ कांटेक्स्ट," या "इररेलेवेंट" जिसका संदर्भ से कोई संबंध न हो । तो मुख्य मंत्री जी ने जो शब्द कल प्रयोग किया और जिस पर कल आपने अपनी व्यवस्था भी दी उसका अर्थ "शृंखलाहीन" है। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी कह रहे थे कि अगर उनका संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाय तो वह संसदीय है और विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाय तो असंसदीय है । वह कहते हैं कि थोड़ा नम्र रूप से गाली हो जाती है । तो माननीय मुख्य मंत्री का मतलब कोई माननीय उग्रसेन जी को गाली देने का नहीं था । जो भाषण दे रहे थे उसके अन्दर जो उन्होंने प्रश्न किया उसका संदर्भ से कोई ताल्लुक नहीं था, वह इररेलेवेंट, आउट आफ कांटेक्सट था . . . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने कल इतना ही कहा था कि माननीय राज नारायण जी पुलिस द्वारा बेरहमी से निकाले गये । कोई दूसरा शब्द नहीं कहा जिसका आप ऐसा इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं ।

श्री बनारसीदास—उसी प्रकार से मैं नम्र निवेदन कर रहा था कि उग्रसेन जी ने बीच में कुछ कहा जिसका कोई संदर्भ नहीं था, इसी प्रकार से कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और बीच में टोक कर जो कहा उसका संदर्भ से कोई संबंध नहीं था और न उसमें कोई शृंखला थी, न उसमें कोई कांटिनुइटी थी, कोई मतलब नहीं था । इसलिये उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, जिस पर आपने व्यवस्था दी वह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, दो मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष—आप दो बार कैसे बोल सकते हैं ? श्री गेंदा सिंह ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन् . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जो रूलिंग दी वह मेरी समझ में नहीं आयी । आपने कहा कि दो बार कैसे बोल सकते हैं, जब उधर से वह तर्क देंगे तो उसकी सफाई में उत्तर तो दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार तो मैं दिन भर सुनता रहूंगा । आप बैठ जाइये ।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, बात बहुत सीधी है । जिस समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस शब्द का उच्चारण किया वह समय ही ऐसा था कि उस समय के मुताबिक उन्होंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

उस शब्द का उच्चारण करना मुनासिब समझा। वह नाराज थे और उसी के अनुसार उन्होंने उस समय उसका उच्चारण किया। मैं बनारसीदास जी को सोचने को कहता हूं कि वह समय ऐसा नहीं था जब शृंखला से बात होती हो। "उच्छृंखलता" और "उच्छृंखल" दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका मैं समझता हूं प्रयोग नहीं होना चाहिये। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। दो नेताओं का झगड़ा है, किसी बैंक-बेंचर ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उनके लिये यह उचित नहीं था कि इसका प्रयोग करते। उनको दूसरे लोगों से ज्यादा गंभीर होना चाहिये क्योंकि जब वह गंभीर होंगे तभी इस सदन का कार्य मर्यादा के साथ चल सकेगा। मैं समझता हूं कि किसी अच्छे उदाहरण को उपस्थित करने के लिये हमारे सामने इस सदन में कुछ लोग रहें हैं और उनको हमने देखा है कि ऐसे नाजुक मौकों पर उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वह म्यूचुवल होता है।

श्री गेंदासिंह—म्यूचुवल जरूर होगा, इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन माननीय नेता सदन का कुछ अधिक उत्तरदायित्व होता है।

श्री नरसिंहनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको समय दिया। मैंने कल इस प्रश्न को उपस्थित किया था और आपने मौका दिया कि मैं सदन के समक्ष "उच्छृंखल" शब्द के अर्थ रख सकूं। मान्यवर, यह शब्द तीन शब्दों से बना है। उत, छिद्र और खल, इनको मिलाकर बना है। "उत" का मतलब होता है उत्तम। "छिद्र" और 'खल' दूसरे शब्द हैं। "खल" के अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं, उसको मैं इस सदन के समक्ष कहना नहीं चाहता। "छिद्र" प्रं प्रेजी के शैलोनेस के मतलब में आता है। तो जिस प्रकार से इस शब्द का कांस्टीट्यूशन हुआ है उसके अनुसार यह शब्द असंसदीय है क्योंकि इसका मतलब "उद्दंड' से होता है, अतः असंसदीय है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके व्यवहार को उच्छृंखल बताया था लेकिन उन्होंने कहा यह था कि आप उच्छृंखल हैं। अगर यह कहे होते कि आपका व्यवहार उच्छृंखल है तो दूसरी बात हो सकती थी लेकिन उनके उच्छृंखल कहने का मतलब था, शृंखला विहीन हो गये हैं, पागल हो गये हैं जो कि एक सदस्य के लिये अनर्हता हो जाती है। अगर कोई पागल हो तो वह इस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी तो उनको इस सदन का सदस्य भी नहीं रहने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष—मैं यह मानता हूं कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस शब्द का प्रयोग किया उस समय वह कुछ आवेश में थे। मैं यह भी मानता हूं कि मेरे यहां होते हुये किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह दूसरे से बातचीत करे। उनको अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहनी चाहिये और मेरे द्वारा ही वह किसी सदस्य के संबंध में या किसी सदस्य से अपने विचारों की अभिव्यंजना कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिस हद तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय उग्रसेन जी से बातचीत की, वह अनुचित थी। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि इस सदन में जहां माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वहां किन्हीं शब्दों को ऐसे माने पहनाये जिससे दूसरे की नीयत या दूसरे की भावनाओं को बुरा समझा जावे। साधारण जीवन में शिष्टता इस बात की मांग करती है कि हम दूसरे के प्रति कभी ऐसे विचार न करें कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो अपमान करने वाले हों। यह शिष्टता का एक नियम है। मैं समझता यह हूं कि उच्छृंखल का अर्थ अनर्गल और निरंकुश जब हो सकता है तो कोई कारण नहीं मालूम होता है कि हम उसको उद्दंडता का अर्थ दें और दूसरा अर्थ न दें विशेष कर उसके संदर्भ में जब कि दूसरे का कहना यह हो

कि आप निरंकुश हैं, जैसा कि मैंने कहा था उसका आशय यह था कि अनरेस्ट्रेन्ड हैं, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने यही इस सदन में कहा था कि आप आप इतने निरंकुश हो रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर कोई यह कहे तो उस संदर्भ में मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनका अर्थ उद्दंड होगा। इसलिये यह हमारे लिये उचित नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की नीयत पर शुभा करके उसके किसी शब्द का ऐसा अर्थ लगायें कि वह उस संदर्भ में गलत हो जाय। इस कारण से हमारे आदरणीय सदस्यों, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये, उनका आदर करते हुए मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने जिस शब्द का प्रयोग किया उसका केवल अर्थ यह था कि आप इतने अधीर हैं, निरंकुश हैं, कि हमारी बात भी सुनना नहीं चाहते। अतः इस अर्थ में मैं समझता हूं, उच्छृंखल शब्द असंसदीय नहीं था। सदन के माननीय सदस्यों का आदर करते हुए यह बता देना चाहता हूं कि मेरा निर्णय इस पर वही है जो कल था; उसी पर मैं कायम हूं। अतः इस प्रिविलेज के मोशन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। आपने अभी जो रूलिंग दी वह शिरोधार्य है। आपने यह रूलिंग दी कि जो शब्द कहा गया वह बुरे मोटिव से नहीं कहा गया था। संस्कृत में एक शब्द आता है "देवानांप्रिय"। तो क्या उस शब्द के माने आप देवताओं का प्रिय लगायेंगे अथवा मूर्ख लगायेंगे? जिस अर्थ में कि वह अधिकतर प्रयोग किया जाता है....

श्री उग्रसेन—जो कुछ श्रीमन् ने व्यवस्था दी है, वह तो शिरोधार्य है। लेकिन जो दृष्टिकोण आपने सदन के समक्ष रखा है क्या वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी रखा है?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—आप कृपा करके यह बता दें कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गरम नहीं हो गये थे जिस समय उन्होंने उच्छृंखल शब्द का प्रयोग किया था?

श्री अध्यक्ष—मैंने जो बात प्रारंभ में ही अपने वक्तव्य में बता दी थी स्पष्ट रूप से, उसको भी माननीय उग्रसेन जी अपनी नाराजगी में सुनना नहीं चाहते हैं।

कुंवर श्रीपाल—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप मेरी कही हुई बात का तो अर्थ कर सकते हैं लेकिन क्या मेरे भावों का भी आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे ऊपर आपत्ति कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत बात है। आप बैठ जायं।

कुंवर श्रीपाल—मैं कत्तई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि किसी ने किस भाव से किस शब्द का प्रयोग किया, इसको आप कैसे कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह एक साधारण निर्वाचन का नियम कि हम शब्दों से भाव को अन्दाजते हैं, भाव अन्यथा आपके हृदय का नहीं बता सकते। शब्दों का अर्थ किया जायगा, उसी संदर्भ में, उसी प्रक्रम में, जिसमें उसका इस्तेमाल किया गया है। आप बैठ जायं, इसके ऊपर और मैं कोई बात नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल—आपकी बात को मानते हुए भी मैं जानना चाहता हूं कि इसका माने यह है कि जो आप समझें वही हम सब लोग समझें? अगर माननीय उग्रसेन ने दूसरा अर्थ समझा तो वह कैसे गलत सिद्ध होता है?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, उस पर आप ध्यान देने की कृपा करें। उच्छृंखल का अर्थ संस्कृत में होता है जंजीर से बाहर।

श्री अध्यक्ष—माननीय दीप नारायण सिंह जी, आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, जो उचित नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं। उस पर मेरा निर्णय हो चुका है। जो निर्णय हो चुका है उसके बारे में आप कुछ न कहें।

श्री दीपनारायणसिंह—सुप्रीम कोर्ट ने एक पेंडिंग केस के बारे में अपनी ओपीनियन दी है ....

श्री अध्यक्ष—उसकी सूचना देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक तो माननीय गंगाधर जी का आया है और उसको यद्यपि मैंने अस्वीकार किया है लेकिन वह अल्पसूचित प्रश्न के रूप में इसको पूछ सकते हैं।

एक श्री नरसिंह नारायण पांडेय जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन वह महत्वपूर्ण अवश्य है और अधिक अच्छा होता अगर पुलिस बजट के संबंध में माननीय सदस्य इसकी चर्चा कर देते। लेकिन यह होते हुए भी मैं इसको माननीय मंत्री के पास भेजूंगा कि वह इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र स्पष्टीकरण दें।

एक माननीय राम सुन्दर पांडेय जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उस संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि यह भी अल्पसूचित प्रश्न का विषय है न कि कार्य-स्थगन का; और अगर वह उस प्रकार का प्रश्न देंगे तो उसको स्वीकार किया जायगा।

नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास बहुत से प्रस्ताव आये हैं, नियम ५३ के भी आये हैं। उनमें से विशेष महत्व के श्री गेंदा सिंह जी तथा माननीय नरसिंह नारायण जी के हैं। उन दोनों का एक ही विषय से संबंध है। यद्यपि यह ठीक है कि गन्ने और शुगर फैक्टरी आदि के संबंध में बहुत ही जल्द आय-व्ययक के अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि उस अनुदान के उपस्थित होने के पहले ही इस संबंध में पूरे तथ्य सदन के समक्ष आ जायं ताकि उस संबंध में विवाद के समय विचार-विनिमय हो सके। मैंने उन दोनों सूचनाओं को सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया था। क्या वह बतलायेंगे कि वह कब वक्तव्य देंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, इस संबंध में सूचना सोमवार को सदन में दी जा सकती है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, उनको पढ़ तो दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे क्षमा करें। मुझे पहले ही पढ़ देना चाहिये था, मैं अब पढ़े देता हूं। माननीय गेंदा सिंह ने जो सूचना दी है वह इस प्रकार है "इस समाचार से कि केन्द्रीय सरकार ने १ मई, १९६२ से गन्ने की कीमत, उससे निकलने वाली चीनी के अनुपात पर, घटाकर देने का आदेश दिया है, १५ लाख के लगभग क्षुब्ध व पीड़ित गन्ना उत्पादकों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया है। दुष्परिणाम यह होगा कि १ मई के बाद प्रतिदिन लगभग २ लाख रुपये कम कीमत गन्ने की मिलेगी, जबकि सरकार की गलती के करण इतनी देर तक गन्ना खेतों में खड़ा रहकर अपने वजन को काफी खो चुका है और गन्ना उत्पादकों को उस गहरी क्षति के एवज में सहायता होनी चाहिये थी।

अतः इस आवश्यक महत्वपूर्ण तथा लोक हित के प्रश्न की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये नियम ५२ के अनुसार प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं ।

माननीय नरसिंह नारायण जी का इस प्रकार है कि मैं आप के द्वारा माननीय सदन तथा मुख्य मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य की ओर प्र० नि० दफा ५२ के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं:—

"उत्तर प्रदेश के २० लाख से अधिक गन्ना किसानों के अन्दर सरकार के इस निर्णय से कि गन्ने के प्रति मन भाव में ९ प्रतिशत से कम चीनी बनने पर फी प्वाइन्ट १.५० न० पै० मूल्य में कमी कर दिया जाय और यह कमी १९ नये पैसे तक हो, से क्षोभ तथा असन्तोष व्याप्त हो गया है । सारे सूबे में सरकार की इस नीति से भविष्य में गन्ना तथा चीनी के उत्पादन में कमी होने की आशंका पैदा हो गई है ।"

इन दोनों के अलावा जो अन्य सूचनायें ह वे आज नहीं ली जा सकती थीं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह प्रश्न ऐसा है कि नियम ५३ में भी सदन में यदि २ घंटे बातचीत हो जाती तो मैं समझता हूं कि उसमें बहुत मदद हो जाती, सरकार की भी, किसानों की भी । यह ऐसा मसला था कि इस पर अगर सदन को विचार का मौका दिया जाता तो अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष—जिस रोज इस अनुदान पर बहस होगी उसी दिन अगर आवश्यक होगा तो १ घंटे का समय और बढ़ा देंगे ताकि आपके इस प्रश्न पर भी विचार हो सके, ऐसा मैं सोच रहा हूं ।

श्री नरसिंहनारायण—इसी संबंध में मैंने नियम ५३ में भी एक भेजा है, तो क्या उस पर भी आप समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आवश्यकता होगी तो देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण—दूसरे नेपाल के बारे में है कि बस्ती और गोरखपुर में जो पुलिस घुसकर ज्यादती कर रही है, उसके बारे में है । उसको भी पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, उस पर केवल वक्तव्य होगा । मैं उसे पढ़े देता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आपने कहा है कि जिस दिन वाद-विवाद होगा उसी दिन १ घंटा समय बढ़ाने की बात देखी जायगी । अगर विवाद में एक घंटे की वृद्धि कर देंगे तो उस विषय के प्रति न्याय नहीं हो सकेगा । इसके लिये जैसा नरसिंह नारायण तथा गेंदा सिंह जी ने कहा, दो घंटे का अलग विवाद नियम ५३ में रखा जाय तभी इस विषय के साथ न्याय हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष—हम और आप बातचीत कर लेंगे । गेंदा सिंह जी से बातचीत हो चुकी है स संबंध में ।

श्री नरसिंह नारायण ने जो सूचना दी है वह इस प्रकार है:—

"नेपाल के सरहद से सटे हुए गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग तथा बस्ती जिले के उत्तरी भाग में बसे भारतीय नागरिकों के अन्दर अरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है । इसका कारण यह है कि नेपाल में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उस गृह युद्ध को दबाने के हेतु नेपाल की सशस्त्र पुलिस सरहदी इलाके के गांवों में घुस कर लोगों को आतंकित करती है । इस प्रकार की एक घटना बस्ती जिले के लोटन थाने के अन्तर्गत कठवतिया ग्राम में घटित हुई है । इतना ही नहीं, जरायम भी इसी कारण लोटन, नईकोट, पुरन्दरपुर तथा नोतनवां थानों के अन्तर्गत, जो बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में पड़ता है, बढ़ रहे हैं और लूटपाट तथा गोली से मारने की घटनाएं भी घट रही हैं ।"

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—मैं भी जरा सा निवेदन करना चाहता था । हाथरस में जो बिजली का कारखाना है उसके खिलाफ दफा ५२ में मैंने प्रस्ताव दिया था । वहां मजदूरों की हड़ताल २७ अप्रैल से चल रही है और वहां शांति भंग होने का अन्देशा है ।

श्री अध्यक्ष—आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं ।

२३-४-६२ को दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री बनारसीदास द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सूचना श्री बनारसीदास जी ने भेजी है; उसे मैं सदन के समक्ष पढ़ देता हूं :—

मैं आपका ध्यान २३-४-६२ को सदन में आपके द्वारा दी हुई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सदन के एक माननीय सदस्य, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, ने सदन में यह प्रश्न उपस्थित किया कि सूचना मंत्री द्वारा पत्रकारों में यह नीति घोषित की गई कि जिला स्तर पर सभी समाचार पत्रों को यथाशक्ति सहायता दी जायगी । श्री त्रिपाठी की यह आपत्ति थी कि जब सदन चल रहा हो किसी मंत्री द्वारा नीति की घोषणा करना औचित्य के बाहर है । उस आपत्ति के स्पष्टीकरण में मैंने निम्नलिखित निवेदन किया था ।

"जो प्रश्न उठाया गया है उसमें नीति का कोई सवाल नहीं है । जो जिला स्तर के पत्र हैं, उनको विज्ञापन दिये जाते हैं । कुछ पत्रकार उस समय बात कर रहे थे और उनको कुछ शिकायतें थीं कि उनके नाम एप्रूव्ड लिस्ट पर नहीं हैं । उस समय मैंने इसको संकेत किया था । मैं समझता हूं कि यह कोई नीति का सवाल नहीं है ।

इस पर आपने निम्नलिखित व्यवस्था दी :

'It is precariously on the brink of that objection.

मैं समझता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है और जो हमारी परम्परायें हैं उनके अनुसार मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे ।'

उक्त व्यवस्था के संबंध में मैंने सदन के उठ जाने के बाद २३ तारीख को ही आपसे निवेदन किया था । आपकी व्यवस्था मेरे स्पष्टीकरण के बाद कुछ भ्रांति पर आधारित है । मैंने स्पष्ट रूप से सदन के सामने स्पष्टीकरण किया था कि इसमें नीति का कोई सवाल नहीं है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मैं किसी नई नीति को प्रतिपादन नहीं कर रहा था । सरकार की बराबर यह नीति रही है कि प्रदेश में जिले स्तर पर सभी पत्रों को विज्ञापन देकर सहायता करें । २१ तारीख को मेरठ में कुछ पत्रकारों ने एक सम्मेलन में मुझसे आपत्ति की कि उनका नाम विज्ञापन दिये जाने की एप्रूव्ड लिस्ट पर नहीं है । मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार की नीति समान रूप से जिले के सभी पत्रों को निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर विज्ञापन देने की है । सरकार बराबर जिले के पत्रों को जो सूचना विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, विज्ञापन देती रही है । इसलिये मेरे वक्तव्य में किसी नई नीति के प्रतिपादन का प्रश्न नहीं उठता । अतः आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप अपनी २३ तारीख की दी हुई व्यवस्था पर पुनः विचार करें ।

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि अगर माननीय सूचना मंत्री जितनी बातें इसमें अब कही हैं उतनी बातें अगर उस समय कह देते तो कदाचित् वह जो मैंने व्यवस्था दी थी उसकी आवश्यकता न पड़ती । चूंकि उन्होंने उस रोज ये सब बातें व्यक्त नहीं की थीं इस वजह से मैंने वह निर्णय दिया ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—सहकारिता

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सहकारिता मंत्री अपना अनुदान पेश करेंगे ।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,६९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, यह अनुदान जो मैंने रखा है यह सहकारिता के बारे में है । इसकी योजनाओं का थोड़ा सा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा ताकि सदन में माननीय सदस्यों को इस पर बहस करने में सहूलियत हो और उस विश्लेषण की वजह से जो हमारी मुख्य-मुख्य योजनायें हैं उन पर भी माननीय सदस्यों के विचार मुझे मालूम हों । उसके पूर्व मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि सहकारिता का कार्य आज के युग में जो हमारे राष्ट्र ने इस समय समाजवादी ढंग का समाज बनाने का निर्णय कर लिया है, उसमें सबसे बड़ी महत्ता ग्रामों का है । ग्रामों को हमें शोषणहीन, दबाव से मुक्त करके स्वतंत्र इकाइयों के रूप में स्थापित करना है और . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, जरा जानकारी चाहता हूं : कार्य सूची में अनुदान संख्या २४ हैं लेकिन इसमें (एक पुस्तिका को दिखा कर) अनुदान संख्या सहकारिता २३ लिखा है । इसको ठीक करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—वह २४ ही है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह निवेदन कर रहा था आदरणीय सदन के सामने कि अधिकतर सहकारिता का काम हमारे ग्रामों से संबंध रखता है और ग्रामों को इस तरह के आदर्श ग्राम बनाना है कि जो हमारी राष्ट्रीय योजना का आदर्श समाजवादी समाज बनना है, उसमें हमें सहायता मिले । इस दिशा में मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी अच्छा हुआ है और इसकी एक प्रारंभिक नींव पड़ गई है कि हम आगे चलकर ग्रामों के आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकें जिससे हम जो आदर्श चाहते हैं वह हम हासिल कर सकें, वह हम प्राप्त कर सकें । मैंने अर्ज किया था कि जो खास खास योजनायें, जिनके लिये मैंने प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उनका विश्लेषण इस प्रकार है ।

इसमें जो सहकारिता क्रेडिट स्कीम है उसके लिये ७३,२०,९०० रुपया है, मारकेटिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग वगैरह की जो योजना है उसके लिये १०,०३,००० रुपया है, फार्मिंग की स्कीम के लिये ५,१६,००० रुपया और तनख्वाहों में १,५२,००० रुपया है, सहकारी शिक्षा संबंधी जो स्कीम है, गैर सरकारी लोगों को शिक्षा देनी है उसके लिये ७,६०,०००, और एक्सपेंशन आफ ट्रेनिंग एंड एजूकेशन में तनख्वाहों वगैरा के लिये ६,३१,४०० रुपया है, लेबर सहकारी योजना के लिये ६७,६०० रुपया है, कोआपरेटिव कंज्यूमर्स स्टोर्स स्कीम है उसके लिये ७८,००० रुपया है, सहकारिता के लिये पब्लीसिटी और प्रोपेगेंडा वगैरा के लिये ६०,००० रुपया है । इन योजनाओं के अतिरिक्त जो स्टाफ वगैरा की बढ़ोत्तरी होगी उसके लिये ३,००,००० रुपया है । इसके अलावा सहकारी डेरी मिल्क योजना के लिये १८,१४,००० रुपया है । इसी तरह की योजनायें आदि हैं, जो सब मिलाकर यह अनुदान है जो सदन के सामने रखा गया है ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इनमें से कुछ योजनायें ऐसी हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू थीं, मसलन् क्रेडिट की योजना है और मारकेटिंग सोसाइटीज, प्रोसेसिंग, वेयर हाउसेज और फार्मिंग की योजनायें हैं, डेयरी की योजना और ट्रेनिंग की योजना हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन नई स्कीम शामिल की गई हैं । सहकारी उपभोक्ताओं की सोसाइटी बनाना, श्रम सहकारी सोसाइटी की योजना तथा सहकारिता की पब्लीसिटी और प्रोपेगेंडा की, ये तीन नई योजनायें इसमें शामिल की गई हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जरिये जो आज तक कार्य हुआ है सहकारी विभाग द्वारा उसको मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इसके बाद एक साल में, यानी ५ साल में, पहले हम २८,००० गांव सभाओं की सेवा करते थे, वहां अब ७२,३९० गांव सभाओं में सहकारिता का काम चल रहा है और प्रारम्भिक सहकारी समिति १४ लाख थीं जो अब ४१ लाख हो गई हैं और जो प्रारम्भिक सहकारी समितियों के शेयर्स की पूंजी थी वह २,६४,००,००० थी, वह अब १०,२७,००,००० रुपये हो गई है । इन प्रारम्भिक सहकारी समितियों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू में जो डिपाजिट था वह ३३ लाख था । अब वह बढ़ कर २ करोड़ ९४ लाख हो गया है । जो हमारा डिपाजिट दूसरे कोआपरेटिव बैंक में था वह ४ करोड़ १ लाख रुपये से बढ़ कर १० करोड़ ३० लाख रुपये में हो गया । जो डिपाजिट उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक में था वह ३ करोड़ ४४ लाख था । वह बढ़ कर १२ करोड़ ४८ लाख हो गया है । जो अल्पकालीन कर्जा थे जो प्रारम्भिक समितियां काश्तकारों को देती थीं, वह ४ करोड़ से बढ़कर ३६ करोड़ देने योग्य हो गये हैं । पहले एक मेम्बर को तीस रुपये पड़ता है, अब फी सदस्य १०० रुपये देने लगे हैं ।

मध्यकालीन ऋण जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था वह एक करोड़ रुपये तक हमने दिया है । दीर्घ कालीन ऋण हमने १४ लाख रुपया दिया है । सर्विस कोआपरेटिव की जो नयी योजना शुरू की गयी है उनकी संख्या १९ हजार ६६ हो गयी है । मार्केटिंग सोसाइटीज जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि कर्जा जो दिया जाता है वह काश्तकार के फायदे के लिये सही रूप में इस्तेमाल हो, उसके लिये जरूरी है कि जो उपज होती है उसकी तरफ भी हम ध्यान दें और यह देखें कि उपज बढ़ाने में ही वह कर्जा लगता है और किसी काम में वह कर्जा नहीं लगाया जाता । तो इसलिये भी यह कोशिश की जा रही है कि उनकी पैदावार की बिक्री का भी प्रबन्ध करें । यह भी देखें कि उनको पूरा-पूरा मूल्य मिलता है और उनकी जो जरूरत हैं वह भी पूरी होती हैं । यह उत्तर प्रदेश की मार्केटिंग सोसाइटीज सारे भारत में सबसे अच्छा काम कर रही है । उत्तर प्रदेश में सर्वे करवाया गया तो ४०० के ऊपर मंडियां हैं । उनमें १९० मंडियों में जो महत्वपूर्ण मंडियां हैं, हमने मार्केटिंग सोसाइटियां संगठित कर ली हैं । उनमें काफी सदस्य भी भरती हो गये हैं । इसके साथ साथ कच्चा माल से पक्का माल बनाने के लिये ३८ सोसाइटियां संगठित हो गयी हैं । इस तरह की समितियां बहुत जरूरी हैं और मैं चाहता हूं कि इनकी ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो । यह संख्या कम है लेकिन अभी शुरुआत है ।

सहकारी खेती के मसले पर विभिन्न रायें हो सकती हैं । लेकिन शायद इसमें दो रायें न हों कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अगर उनकी आमदनी बढ़ानी है, उनका जीवन स्तर ऊंचा करना है, तो सिवा सहयोग के कोई जरिया नहीं है जिसमें नये वैज्ञानिक ढंग से औजार इस्तेमाल कर सकें और मिल जुलकर काम करें तो काम भी मिल जाय । मसलन् २० काश्तकार इकट्ठे मिल जाते हैं जो अपने खेतों पर सिंचाई वगैरह तालाब बनाकर या कुआं बनाकर उस काम को मिल-जुलकर कर सकते हैं और सरकार से उसके लिये अनुदान के रूप में रुपया भी उनको मिल सकता है । तो यह सहकारिता का जो कार्य है वह भी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी प्रगति पर है । इस कार्य के लिये जो ४१२ सोसाइटियां आर्गनाइज की गयी थीं वह बढ़कर अब ५०२ हो गयी

हैं । ९४ हजार एकड़ पर खेती होती है और १० हजार मेम्बर्स उसके हैं । दो तीन समितियां ऐसी हैं जिनका काम देखने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला है और मैं कह सकता हूं कि साधारण किसान जो आसपास के खेतों में काम करते हैं उनसे वह कहीं अधिक पैदा कर रहे हैं, उनकी पैदावार भी ज्यादा है और मुनाफा भी ज्यादा है ।

कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज ने २० कंज्यूमर्स सोसाइटियां संगठित की हैं । लोगों और खासतौर से गैरसरकारी काम करनेवाले सज्जनों के बारे में, सहकारिता के बारे में शिक्षा देने का काम बहुत आवश्यक है इसलिये कि यह काम सरकारी काम नहीं, जनता का काम है, लेकिन आम लोगों को कुछ ऐसे लोगों के कारण जो कुछ अधिक जानते हैं या ऐसे कर्मचारियों के कारण जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, कुछ काम करने में मामूली अड़चनें पड़ती हैं या उसके कारण कुछ हानि होती है वह शिक्षा से दूर हो जाती है और उनमें जो एक प्रकार की झिझक होती है सहकारिता के काम में पड़ने में, वह भी दूर होगी । अब हमने १०४ मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स कायम की हैं जिसमें गैरसरकारी लोगों को शिक्षा दी जायगी ।

मैं यहां खास बात ऋण और मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में कह दूं । अभी तक जो ऋण दिये जाते थे, लोगों की हैसियत पर दिये जाते थे । अब हमने यह तरीका बदल दिया है । अब काश्तकार की क्या जरूरत है, पैदावार बढ़ाने के लिये, उसकी पैदावार की क्या कैपेसिटी है, उसका आधार रखा है । तो इस तरह से जो गरीब तबके के किसान हैं और जो अधिक भूमि न रखने वाले किसान हैं उनको भी इससे फायदा होगा । लेकिन इसके लिये हमने यह जरूर कर दिया है कि उसका ताल्लुक मार्केटिंग सोसाईटीज से कर दिया है । एक अन्डरटेकिंग किसान को देना पड़ता है कि वह अपने गल्ले को मार्केटिंग समितियों के जरिये से बिकवायेगा । इससे उनको दोहरा फायदा होता है । इस तरह का प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में नया है और अभी तक हमें उस प्रयास में काफी सफलता मिली है और २९ फीसदी हमारे यहां इस तरह की मार्केटिंग होने लगी है ।

एक बात और है । जो अभी तक सहकारी कर्जा मिलता रहा वह ज्यादातर कुछ हैसियत वालों को, चूंकि पैसा देने की बात होती है, तो पैसे देने वालों की हमेशा यह मनोवृत्ति रहती है कि उका पैसा डूबे नहीं, चाहे वह सहकारी समिति हो, चाहे किसी व्यक्तिगत आदमी का हो । चूंकि हमारी मंशा गरीब किसानों को, छोटे किसानों को मदद देने की है, तो एक योजना हमने और बनायी है और वह यह कि कुछ ग्रांट हम प्रारम्भिक समितियों को और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स को इसलिये दें कि जिससे उस नुकसान की वजह से उनको कोई झिझक न हो पैसा देने में कि उसके पास हैसियत है या नहीं है, वह पैसा दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे और हमने कहा भी है उनसे कि आप दे सकते हैं सब लोगों को जिनकी जितनी प्रोडक्शन की नीड है उसके अनुसार । उनकी इस झिझक को मिटाने के लिये हमने एक ग्रांट की स्कीम रखी है जिसमें २३ लाख रुपया दिया है इन प्रारम्भिक कमेटियों और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स को । उनका जो दो साल का मार्जिन होगा मसलन् जो पिछले साल दिया होगा और एक साल का जो अन्तर होगा जितना कि अब की बार उन्होंने दिया है, उसका ३ परसेंट हम उनको ग्रांट देंगे ताकि जो कर्जे वसूल नहीं हो सकते उसकी गारन्टी हो जाय । तो तीन परसेंट यह ग्रांट विलेज सोसाइटीज को और एक परसेंट जिले के बैंक्स को दिया है ताकि उनकी यह झिझक मिटे और वह लोगों को पैसा दे सकें बिना किसी झिझक के । २३ लाख रुपया इसके लिये हमने रखा है ।

अब मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना के रखना चाहता हूं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में १८ हजार सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने का हमारा इरादा है और सारे गांव जितने उत्तर प्रदेश में हैं उनमें, हर एक में सहकारी समितियां स्थापित करने का हमारा विचार है । जो सदस्यता हमारी है ४१ लाख की उसको हमें ६५ लाख तक ले

[श्री चतुभुज शर्मा]

जाना है इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में । जितने काश्तकार परिवार हैं उनके ७५ प्रतिशत को हम चाहते हैं कि वह सहकारिता आन्दोलन में शामिल हो जायं ताकि वह पूरा जनता का आन्दोलन हो जाय । इस तरह गांवों के ३,४ आदमी शामिल हो जायेंगे । ७५ प्रतिशत परिवारों को इसमें लाने का इरादा है ताकि एक ही घर से चार चार या छः छः आदमी बढ़कर सदस्यों की संख्या न बढ़े बल्कि परिवारों की संख्या ज्यादा बढ़े जिससे सारे गांव को फायदा हो सके ।

दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा जो ऋण था ३० करोड़ का, वह अब हम ६० करोड़ तक अल्पकालीन ऋण देंगे और दस करोड़ मध्य कालीन तथा १० करोड़ दीर्घ कालीन, इस तरह से ८० करोड़ कर्जा देने का टार्गेट हमारा है ।

एक बात और है । हमने यह निश्चय किया है कि प्रारम्भिक सोसाइटी से लेकर, गांव की सहकारी समिति से लेकर, जिला बैंक तक और स्टेट बैंक तक सबमें स्टेट का हिस्सा रहे ताकि सही लाइन्स पर काम चल सके । इसलिये स्टेट पार्टिसिपेशन की नीति हमने रखी है कि गांव सभा से लेकर हर सोसाइटी में हमारा शेयर होगा, हम उसके हिस्सेदार होंगे और उसकी नीति को सही रूप में चलाने का प्रयत्न करेंगे । इसके लिये हमने ३ करोड़ १८ लाख रुपये का टार्गेट रखा है इस साल का और पूरी पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ ६५ लाख रुपये का टार्गेट है स्टेट पार्टिसिपेशन के लिये ।

एक बात मैं और आपसे अर्ज कर दूं कि सहकारी काम कुछ महाराष्ट्र में जो कि पहले बम्बई स्टेट थी, उसमें बहुत सफल हुए थे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर । उसका कारण यह था कि हमारे यहां स्टेट बैंक एक है, डिस्ट्रिक्ट बैंक एक हैं ।

महाराष्ट्र में उन्होंने यह किया है कि जो बड़ी बड़ी मंडियां थीं और तहसील हेड क्वार्टर थे उन तक वह ले गये हैं और वहां पर अपने बैंक कोआपरेटिव लाइन पर खोल दिये हैं । इस कारण काफी पैसा उनके पास आया । अब हम भी यह चाहते हैं कि इसको ज्यादा फैलायें और बड़ी बड़ी मंडियों में और तहसील हैड क्वार्टर पर भी अपने बैंक खोलें ताकि ज्यादा पैसा आये और ज्यादा लोग उसमें हिस्सा लें और ज्यादा काम बढ़े । यह योजना भी इसमें सम्मिलित है ।

अब कुछ टारगेट इस साल के लिये जो रखा गया है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । ४ हजार साधन सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं । ७ लाख सदस्य और बनाना चाहते हैं जिससे हमारे यहां सदस्यों की संख्या ४८ लाख हो जाय । कुल ऋण हम ५० करोड़ तक करना चाहते हैं जिसमें ४२ करोड़ तो शार्ट कालीन और ४ करोड़ मध्य कालीन और ४ करोड़ दीर्घ कालीन ऋण हम करना चाहते हैं । इसके साथ ही जैसा मैंने अर्ज किया था हमारी अभी तक तादाद कम थी लेकिन अब उसको भी बढ़ाना चाहते हैं । इस साल २० मारकेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं । ५ ग्रेडिंग यूनिट्स और १५ प्रोसेसिंग यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं और एक कोल्ड स्टोरेज को भी संगठित करना चाहते हैं ताकि वह सहकारी तरीके पर काम कर सके और किसानों को उसका लाभ पहुंचे । इसके साथ ही २० गोदाम बनाने की हमारी योजना है और इसी तरह से मार्केटिंग सोसाइटी के जरिये और २६ ग्रामीण गोदाम बनाने की भी योजना है । फार्मिंग सोसाइटी भी बनाने की हमारी योजना है । इस साल १५० फार्मिंग सोसाइटी और बनायी जायेंगी जो बिल्कुल वालेन्टरी बेसिस पर बनेंगी जिनको सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जायगी और कर्जा भी दिया जायगा । फार्मिंग सोसाइटी के मेम्बर का नम्बर भी हम बढ़ाना चाहते हैं । कंज्यूमर स्टोर को भी हम आर्गनाइज करना चाहते हैं जिसके लिये २ करोड़ २८ हजार रुपया हमने इस साल के लिये रखा है

एक और जरूरी चीज जो यहां पर रखी गई है और जिसमें सबसे बड़ा शोषण होता है और दिन रात हम लोग देखते हैं वह रिक्शा खींचने वालों की है। उसके लिये जब मैं पहले गवर्नमेंट. में था, हालांकि वह मेरा विभाग नहीं था लेकिन मैंने कबाल टाउन्स से रिक्शा खींचने वालों की संख्या मंगाई थी। उनकी संख्या देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि हमारे यहां इतनी बड़ी संख्या इस काम में लगी हुई है। एक रिक्शा ५०० रुपये में आता है और उसके लिये एक आदमी को २ रुपये रोज देना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के साथ किस कदर अन्याय होता है। इसलिये हमने श्रम सोसाइटी बनाने का निश्चय किया है और उसके लिये योजना बनाई है। वह अनुभव के लिये दो रिक्शा खींचने वालों की समितियां बनाने की योजना है वह चाहे जंगल में काम करने वाले हों, या पी० डब्लू० डी० के कंट्रक्टर के पास श्रम का काम करने वाले हों उनकी समिति बनाने का निश्चय है। मैंने देखा है कि पहाड़ों में खासतौर से लोग उनसे फायदा उठाते हैं। अभी मैं हल्दवानी गया था, तो वहां पर मैंने कहा कि अगर आप सही माने से सहकारिता का काम करना चाहते हैं तो श्रम समिति बनाइये। मुझे यह कहने में लज्जा आती है कि इस समय हम ज्यादा रुपया उसके लिये नहीं रख रहे हैं। केवल थोड़ा सा रुपया उसके लिये रखा जा रहा है, ताकि दो रिक्शा खींचने वालों की समिति बनाई जा सके और उनका शोषण जो इस समय हो रहा है उसमें रोक हो सके। मुझे आशा है कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य चाहे वे किस तरफ के हों, प्रयत्न करेंगे। यह देश का एक काम है और जब तक हम मदद नहीं करेंगे, तब तक सबसे नीचे के तबके की तरक्की नहीं हो सकती, तब तक समाज की रीढ़ सीधी नहीं होगी। इसके लिये यह दो समितियां बनाने का काम है।

छोटे मोटे प्राविजन्स जो हैं उनके अलावा एक बड़ा काम ट्रेनिंग का भी है। इसके अतिरक्त एक मिल्क स्कीम हम नये रूप में चला रहेह। बड़े शहरों में दूध मिलना सेहत के लिये बहुत जरूरी है और खासतौर से गरीबों की तथा आने वाली पीढ़ी की सेहत के लिये। गरीब लोग अपने बच्चों को दूध नहीं दे सकते और दूसरी कोई गिजा उनके पास है नहीं। अंडा आदि बहुत से लोग किन्हीं कारणों से नहीं खाते। अगर गरीब और श्रमिक के बच्चों को दूध मिलने लगे तो आगे आने वाली पीढ़ी बन सकती है। इस स्कीम को आप कृपा कर समझ लें। आप मेरठ की मिसाल लें। दिल्ली में एक सेंटर खुला और वहां मेरठ तथा अलीगढ़ से २ से ४ हजार मन तक दूध जाता है। ठेकेदार लोग ११, १२ रुपये मन में दूध खरीद कर ग्वालों से ले जाते थे और वहां १७, १८ रुपये मन में सप्लाई करते थे। हमने वह सारा काम कोआपरेटिव के हाथ में ले लिया और उन्हीं ग्वालों की सहकारी समिति बना दी और अब १७, १८ रुपये मन का दाम मैनेजमेंट का खर्च काट कर सीधा साधा उनको मिल जाता है और इस प्रकार ठेकेदार का बीच का मुनाफा समाप्त हो गया। इस तरह से अगर २००० मन दूध भी जाता है और ५ रुपये मन बचता है तो १०,००० रुपया हमने उन गरीबों का बचा दिया। तो इसकी एक खास अहमियत है।

हमारी अपनी डेयरी कायम करने की नीति अधिक सफल नहीं हुई। मवेशी खुद पालने में लाभ नहीं दिखलायी देता। उनकी परवरिश भी ठीक नहीं होती। उसके स्थान पर यह विचार है कि ग्वालों को कर्ज दिया जाय ताकि वे अच्छे किस्म के मवेशी गाय, भैंसे पाल सकें और उनको सब्सीडी और ग्रांट दी जाय ताकि उनके खाने पीने का ठीक प्रबंध हो और दूध की मिकदार बढ़ जाय। इसके लिये हमने एक प्रदेशीय फेडरेशन कायम किया है। वैसे तो हर बड़े शहर में मिल्क यूनियन चल रही हैं, इलाहाबाद, लखनऊ वाराणसी, हल्द्वानी आदि में ठीक से चल रही हैं लेकिन और ज्यादा काम करने की जरूरत है। कानपुर में यूनेस्केफ़ की तरफ से कुछ मदद दी जा रही हैं, उन्होंने हमारी एक स्कीम को मंजूर कर लिया है और ३२ लाख रुपया मदद के तौर पर देना मंजूर किया है। वह पूरी ७८ लाख की स्कीम है और इसके जरिये गरीबों को दूध दिया जा सकेगा। उसमें उनकी शर्त यह है कि जो ३२ लाख रुपया दिया गया है वह हमसे लेंगे नहीं बल्कि जब डेरी जोरों पर चल पड़ेगी तब

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

लेबर्स को और गरीब लोगों के बच्चों को आधी कीमत पर या जिस कीमत पर वे खरीद सकें उस कीमत पर उनको दूध दे दिया जाय और उस तरीके से यह ३२ लाख रुपया काट लें । तो आप देखें कि दूसरी जो हमारी स्कीम है उसमें हम अलीगढ़ में भी मेरठ की तरह डेरी आर्गनाइज करने जा रहे हैं इसी कोआपरेटिव लाइन्स पर । मवेशियों को ग्रांट भी दे रहे हमारी स्कीम है । फीम तथा मक्खन आदि बनाने के लिये भी कुछ सब्सीडी आदि देने का विचार है ।

एक स्कीम हमारी और है । सर्वे से पता चला कि करीब ४।५ फीसदी गल्ला हमारा ठीक तरह से स्टोरेज न होने के कारण बरबाद हो जाता है । इसलिये वेयरहाऊसेज के लिये भी हमारी स्कीम है । वैसे यू० पी० वेयर हाऊसेज स्कीम बनी हुई है, लेकिन इसमें भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं । इस समय अभी तक करीब ३८ वेयरहाऊसेज हैं । थर्ड प्लान में ५० और बनाने का विचार है । करीब साढ़े ४ लाख रुपये हमने इसके लिये बजट में प्रोवाइड किये है । यह थोड़े से आंकड़े मैंने आपके सामने दिये कि हमने अब तक क्या किया और क्या हमारा थर्ड प्लान का टारगेट है ।

थोड़े से आंकड़े मैं और आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपकी बातों को सुनूंगा और उसको सुनने के बाद जवाब दूंगा । आपके जो भी तजुर्बे होंगे और उसके आधार पर जो आपके सुझाव होंगे, उन पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो थोड़ा सा आपको भ्रम है, भ्रष्टाचार आदि के बारे में, उसको आप कुछ दूर कर दें । आज वह काफी कम हो गया है और गबन आदि के मामले भी पहले से बहुत कम हैं । गबन का मामला तो ऐसा है कि वह छिपाया नहीं जा सकता । वे पहले से काफी कम अब हो गये हैं । हमारे प्रदेश में सहकारिता का काम आज बड़ी अच्छी लाइन पर चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जब मैंने प्रधान मंत्री को बुलाया था तो उन्होंने भी यहां की सहकारिता की तारीफ की थी । यह तो उनकी राय है, लेकिन मैं आपकी राय की भी कद्र करूंगा और आपके सुझावों पर गौर करूंगा ।

इस समय मैं कुछ थोड़े से आंकड़े और रख कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । इन आंकड़ों से आपको मालूम होगा कि हमारे यहां सहकारिता का काम बहुत अच्छा चल रहा है और वह किसी भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अगर वह बेहतर नहीं है तो बदतर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप उधर बात-चीत न करें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि सहकारी मंत्री हार जाते हैं, तो उसमें अर्ज कर रहा हूं कि भले ही मैं हार जाऊं बशर्ते कि सहकारिता सफल हो । सबसे ज्यादा कठिन काम गांव में सहकारी समितियों का है । बाहर फायदा उठाया जा सकता है, खर्चे में कमी की जा सकती है तो अपने आप गड़बड़ियां कम होंगी । एक बात ओवरड्यूज की हो जाती है । किसी भी संस्था का जिसका कर्जा वसूल नहीं होता, वह इन एफिश्येंसी का मापदंड होता है । मैं १९५९–६० के आल इंडिया ओवर ड्यूज दे रहा हूं । आल इंडिया का एवरेज २१ का है और उत्तर प्रदेश का ६ । मैसूर का ३३ के ऊपर है, महाराष्ट्र का २७ से ऊपर है जोकि सहकारिता में बहुत ऊपर माना जाता है । एक दूसरी चीज देखने की होती है कि निजी पूंजी वर्किंग कैपिटल का जितना प्रतिशत है आल इंडिया का एवरेज २८.१ है और हमारा प्रतिशत ३२.३ है । सबसे बड़ा हमारा ओन कैपिटल है जोकि आल इंडिया से ४ फीसदी से भी ज्यादा है । आंध्र का २२.४ और मद्रास का २३ है जिसकी बहुत तारीफ होती है । कास्ट आफ मैनेजमेंट इन रिलेशन टु वर्किंग कैपिटल में आल इंडिया की एवरेज १.८८ है और यू० पी० की १.२४ है, जबकि गुजरात की ३.३४ और महाराष्ट्र की २.१६ है । तो मैं अर्ज कर रहा था कि भले ही इस विभाग में कमियां और खामियां हो सकती हैं, मैं भी नया इस विभाग में आया हूं और कोई ज्यादा तारीफ करने का मुस्तहक नहीं हूं और न यह कह

सकता हूं कि मैंने सब देख लिया, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य सदन के सुझाव देंगे, जो मुझे तरकीबें बतलायेंगे या जो चीज सहकारिता में रोड़ा मालूम होगी उसके खिलाफ कार्यवाही करने में जो भी कोशिश होगी वह मेरी ओर से बराबर की जायगी ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के सामने अपना प्रस्ताव रखता हूं ।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात में थोड़ी सी दाद दे सकता हूं कि जो भी सबक उन्होंने पढ़ा उसको काफी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में न तो उनकी दलीलें आई और न वह नयी-नयी चीजें जिनका उन्होंने कई बार नाम लिया । अगर बजट को देखा जाय तो उससे साफ मालूम होता है कि जो कुछ वह कह रहे थे उन सब बातों का कोई संबंध इस प्रस्तुत बजट से नहीं था । जहां तक सहकारिता का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, कुछ अच्छे उसूल और सिद्धान्त हैं, मिल-जुल कर काम करना किसी समय समाज में खराब बात नहीं समझी गई लेकिन जब सहकारिता में एक ऐसी प्रवृत्ति का समावेश हो जाता है कि हम जहां जिस तरह से चाहें उस तरह की सहकारिता दो मिनट में समाज मान ले और उस पर चलने लगे तब वह सहकारिता नहीं रह जाती है और न सहकारिता का सिद्धान्त ही रह जाता है बल्कि वह एक मैटर आफ पालिसी हो जाता है । वहीं से उसमें गड़बड़ियां प्रारम्भ होती हैं ।

माननीय मंत्री जी ने पहले यह बात स्पष्ट करदी कि वह नये नये आये हैं इसलिये सहकारिता विभाग जो तमाम बातें करता रहा है वह उनपर थोपी नहीं जा सकतीं । लेकिन यह उत्तरदायित्व किसी भी मिनिस्टर का होता है चाहे वह नया ही क्यों न आया हो या बहुत पहले से कैबिनेट में रहा हो, जो भी काम सरकार करती चली आई है उसका वह पूरी तरह उत्तरदायी होता है । मैं जानता हूं इसके पहले के जो सिद्धांत हैं, जो लागू किये गये हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जवाहरलाल जी तारीफ कर गये हैं । जवाहरलाल जी को फुर्सत ही नहीं है यह जानने की कि कोआपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, उनका कभी साधन सहकारी समिति से वास्ता ही नहीं पड़ा होगा जीवन भर । आज वह भी थोड़ा उस समय विदेशी प्रभाव में आ जाते हैं जिस समय वह कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं । मैं जानता हूं कि आज दुनिया में समाजवाद में जो तरक्कियां हुई हैं उनको जिस जगह और जिस प्रकार से चाहें लागू कर सकते हैं बिना यह देखे हुये कि उस स्थान के लिये वह उपयुक्त हैं या नहीं । उनसे काम लिया जा सकता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं । इस प्रदेश के सहकारिता विभाग के द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पंडितजी को या किसी भी आदमी को उसकी भर्त्सना करनी चाहिये थी ।

इस विभाग के जो भूतपूर्व मंत्री श्री गौतम जी थे उन्होंने एक दिन में १० हजार सोसाइटियां बना दीं और उन १० हजार सोसाइटियों का उद्घाटन करने के लिये पं० जवाहरलाल जी को बुला लिया । उन्होंने भी यहां आकर बड़ी तारीफ की और साथ ही साथ शक भी व्यक्त किया कि यह हो कैसे सकता है । सच बात तो यह है कि सोसायटियां के नाम पर यह भी नहीं सोचा गया कि जनता पर इस मूवमेंट का क्या असर पड़ेगा या उससे आज का सहकारी मूवमेंट खड़बड़ा जायगा या बचेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है, यहां ही नहीं दूसरी जगहों पर भी यह सहकारिता का विभाग इसी प्रकार से उथल पुथल का शिकार रहा है । रोजमर्रा एक नयी स्कीम लागू होना एक मामूली सी बात है, तरह तरह के पल्टे यह विभाग खाता रहता है । न तो किसान ही उसको कुछ समझता है और न कोई और ही व्यक्ति । शुरू से ही ऐसा होता रहा है ।

शुरू में सोचा गया कि सहकारिता आन्दोलन के जरिये संगठन होगा । प्राइमरी सोसाइटीज बनायी गयीं और उनके द्वारा मनी लैंडिंग का कार्य शुरू हुआ । फिर एक कमेटी बैठी । उसके द्वारा मल्टीपरपज सोसाइटीज बनायी गयीं । अब इस विभाग में होता क्या है ? विभाग वह करता है जिसमें मंत्री जी खुश हैं, मंत्री जी का वही मतलब होता है कि कांग्रेस प्रस्ताव किस बात में खुश हैं, और कांग्रेस के प्रस्ताव का केवल एक मतलब होता है कि जवाहरलाल किस बात में खुश हैं । इन तीन बातों पर दो मिनट में एक दम सब कुछ बदल दिया जाता है । रिजर्व बैंक की इंक्वायरी हुई और उसने बताया कि सोसाइटीज का काम इस तरह से चलने वाला नहीं है । उन्होंने कहा कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है । जब तक कि उनकी अपनी पूंजी न हो तब तक वे पनप नहीं सकतीं ।

अब तय किया गया कि लार्ज साइज सोसाइटीज बनायी जायं । १० हजार रुपया उसका शेयर कैपीटल रखा गया । सोचा गया कि इस तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जायगी और कुछ गांवों को लेकर लार्ज साइज सोसाइटीज बनायी गयीं । ८०० लार्ज साइज सोसाइटीज बनायीं गयीं लेकिन आज तक वे ज्यों की त्यों बरकरार हैं, त्रिशंकू की तरह से बीच में ही लटकी हैं । तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि विभाग उन सिद्धान्तों को मान कर नहीं चलेगा जिन सिद्धान्तों को जनसाधारण मानता है लेकिन आज जो मंत्री इस विभाग के चार्ज में हैं और उनके पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और यही भूल वे करते रहे कि उन्होंने यहां की जन भावनाओं का आदर नहीं किया ।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में ही फाइलों को देखा करते हैं, क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आगे से माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान रखेंगे ।

मैं यह कह रहा था कि सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन न बन सकने का कारण यह रहा कि माननीय गौतम जी ने जब १० हजार सोसाइटीज का लाल फीता कटवाया तो उनके ध्यान में यही था कि जिस प्रकार से एक ही दिन में मन से किलो हो गया इसी प्रकार से हो जायगा, इसी प्रकार से सहकारी समितियां भी बन जायंगी लेकिन हुआ क्या ? उन्होंने सोचा कि अब फंड कहां से आये । विभाग वालों को लिखा गया कि तुम ७००, तुम ६०० तुम ४०० सोसाइटी बनाओ । ए० आर० ओज० को पत्र भेजे गये । किसी मंत्री ने कहीं का उद्घाटन किया और किसी ने कहीं का और इस प्रकार से मेंबरशिप का पुलिन्दा बांध लिया गया । नतीजा यह हुआ कि काश्तकार कुछ भी न समझा । केवल उसने यह जाना कि पहले किसी और चीज के मेम्बर थे अब किसी वैसी ही दूसरी चीज के हो गये हैं, बस नाम दूसरा बदला गया है । एक एक केपिटल को ४–४ जगह दिखाया गया । वही शेयर सोसाइटी में दिखाये गये, वही बैंक में दिखाये गये । वह शेयरमनी ऊपर चली गयी और इस तरह से एक रकम अगर ३० लाख की थी तो वह एक करोड़ २० लाख की हो गयी । रकम उतनी ही रही लेकन विभागीय पलटा इस किस्म का दिया गया कि रकम चौगुनी बढ़ गयी । बाज महीनों तक इस तरह की शिकायतें आती रहीं कि शेयर मनी जो अपेक्षित थी वह पूरी नहीं की जा सकी ।

दूसरी बात यह है कि २५–२५ रुपये महीने पर एक एक आदमी रख दिये गये जिनको पता तक नहीं कि उन्हें करना क्या है। उनसे कहा गया कि इतने मेम्बर्स बना कर ला दो तो तुम्हें २५ रुपये

महीने की नौकरी दे दी जायगी और वे गरीब बेचारे बेकारी की वजह से गांव में रहते हुये ही २५ रुपये की नौकरी के लालच में समितियां बनाये । विभागीय पलट की वजह से जो १० हजार समितियां एक दिन में ही बन गयीं, उसके बाद आज तक अपने मन से एक समिति बनाना भी कहीं सम्भव नहीं हो सका । एक दिन में तो १० हजार समितियां बन गयीं और उसके बाद डेढ़ वर्ष में केवल ५ हजार समितियां ही बन सकी हैं । ६५ हजार समितियां बनाने की योजना थी जो पूरी नहीं हो सकी है और जो समितियां हैं उनके वर्किंग कैपिटलमें कोई तरक्की नहीं हुई है ।

जहां तक इन समितियों के कार्य का सम्बन्ध है, वह केवल किसानों को कर्जा देने तक ही सीमित रहा । इसके अलावा और कोई कार्य ये समितियां नहीं कर सकीं और इस कार्य के कारण आज भी इस प्रदेश की जनता में कोआपरेटिव सोसाइटीज का बड़ा ही गलत नक्शा है और वह सही बन नहीं सकता वह जब तक कि वह अपने विभाग की लाइन में न आ जाय और जब हम यह देखते हैं कि इसकी एक ही लाइन है कि इसमें आमूल परिवर्तन करना चाहिये ।

'उत्तर प्रदेश में सहकारिता' नामक जो पुस्तिका है, उसकीएक पंक्ति में यह लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान भर के सारे प्रदेशों में कोआपरेटिव ऐक्ट बन गये हैं, खाली उत्तर प्रदेश में ही यह ऐक्ट नहीं बना है उत्तर प्रदेश ने बड़ी मुश्किल से कोआपरेटिव ऐक्ट बनाने की बात कुछ सोची लेकिन वह भी शायद इसलिये कि सहकारिता आन्दोलन में प्रोग्रेसिव प्रदेश में उसका नाम निकल जाय । ऐसे सहकारिता आन्दोलन से उनका कोई विशेष लगाव नहीं है । सहकारिता के नाम पर सरकार अपने आदमियों को कुछ रियायत दे सके इसीलिये कुछ इधर के लोग और कुछ उधर के लोग जो कि सरकारी पालिसी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चार लोग एकट्ठा हो गये और उन्होंने कोआपरेटिव ऐक्ट बना दिया । उसमें भी गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में यह यह अधिकार ले लिया कि वह जिस तरह से चाहे गाइड व कंट्रोल कर सके और सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में जो कैडर बने उसमें अपने जिस आदमी को चाहे रख सके । मेरी समझ से उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह जिसको चाहे रख सके ।

श्रीमन्, इसमें केवल मात्र समाजवाद का नाम जोड़ दिया गया है और उसकी वजह से उस पक्ष के बैठने वाले और कुछ इस पक्ष के बैठने वाले सदस्य जुट जाते हैं और केवल समाजवाद का ही नाम ले लिया जाय तो वे उससे निकल नहीं सकते हैं ।

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिग का प्रश्न है, समाजवाद से जनसंघ का इसमें मौलिक मतभेद है । मैंने यह समझने की कोशिश की और भारतवर्ष के अन्दर भी इन्क्वायरीज प्राप्त करने की कोशिश की और रिजर्व बैंक आफ इंडिया की बुलेटिन को भी पलटने की कोशिश की तो देखा कि जहां जहां भी सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ है वहां कोआपरेटिव फार्मिग के लिये क्या किया गया है । बड़ी कोशिश की गयी और झांसी में दो कोआपरेटिव फार्म्स खोले गये जो कोआपरेटिव फार्मिग के विचारों के बिलकुल प्रतिकूल खुले । वहां किसी बड़े जमींदार ने अपनी जमीन दे दी और दो चार और लोगों को राजी कर लिया कि वे अपनी जमीन दे दें और कोआपरेटिव फार्म्स बना दिये जायं । जब आप इस कोआपरेटिव ऐक्ट को देखें और जब आप उसकी कोआपरेटिव फार्मिग की विचारधारा को देखें कि जिसमें उसका जिक्र होता है तो उसमें इस बात का जिक्र बराबर है कि कोआपरेटिव फार्मिग गरीबों के लिये है, वह ऐसे छोटे काश्तकारों के लिये है जो कि अपने लिये साधन सुलभ नहीं कर सकते लेकिन जहां पर भी कोआपरेटिव फार्म्स बने हैं——आज इस सूबे की रिपोर्ट यह स्वीकार करती है कि उस में एक भी छोटा काश्तकार शामिल नहीं हुआ है । इस रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि कितना एकरेज उस का है, कितनी उसकी सदस्य संख्या है । सदस्य संख्या ८,४७६ है और ८२,५८३ एकड़ भूमि है । इस का औसत निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, औसत १० एकड का आता है जब कि यह संभव हो सकता है कि उसमें बड़े बड़े काश्तकार हों ।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

आज तक इस सूबे में जो कोआपरेटिव फार्म्स बनाये गये हैं उनका केवल एक ही कम मात्र है और वह यह कि वे जो रिक्लेम्ड लैंड था उस पर बने हैं, उन जमीनों पर जिन पर खेती नहीं होती थी इसके लिये सरकार ने लोगों से कहा कि आप को सहायता मिलेगी और जो भूमि का मात्र शोषण करना चाहते थे उन्होंने फार्म बना लिये और कुछ विश्वास के मजदूरों को उसका सदस्य बनाया और कहा कि हम तो रुपया लिये घूमते हैं, ले लो और इस तरह से एक सामूहिक समाज बनाकर सहकारी समिति बना ली। अधिकारियों नें कहा कि पैसा भी लो और सहकारी समिति बनाओ, सीलिंग से भी बच जाओगे, एक रास्ता है यह ग्रान्ट ले लो जिस को कोई पूछता नहीं है, तुम ही ले लो। जिन से खेती नहीं होती थी जो उससे ऊब चुके थे, लखनऊ में रहना चाहते थे और जिनका किसानी से कोई वास्ता नहीं था उन्होंने किसी तरह से भान्जे का कुनबा जोड़ लिया और कोआपरेटिव फार्म बना दिया।

अब आप उसका एचीवमेंट देखिये। कहा जाता है कि सभी संभव तरीके जो हो सकते थे वे अपनाये गये। हरी खाद डाली गई, जापानी ढंग से धान की खेती की गई और यू० पी० की विधि भी अपनाई गयी और जो भी आज के माडर्न से माडर्न तरीके खेती के हो सकते थे वे सब अपनाये गये और सरकार ने अनुदान भी दिया लेकिन जब उत्पादन की बात आई तो वह केवल १० मन प्रति एकड़ ही हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को आप के द्वारा बता दूं कि आज जो मार्जिनल लैंड है उस पर भी दस मन प्रति एकड़ पैदावार हो जाती है और गन्ने की ३०० मन की औसत उपज है और अगर आप खर्च का हिसाब लगायें कि कितना खर्च आयेगा एक एकड़ गन्ने के उत्पादन में, तो कृषि विभाग के ही आकड़ों के अनुसार उस में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस का नतीजा यह है कि बड़े बड़े यूनिट जिन के द्वारा कि वह खाद्य समस्या का हल चाहते थे उन से न पैदावार ही बढ़ी और न किसी तरह से इस समस्या का ही समाधान हो सका और न काश्तकार ही किसी अच्छी दशा में पहुंच सका और न ही उस दशा में पहुंच सके हैं कि इन फार्मों को आगे चला सकें। यहीं नहीं वरन् भारत में सब जगह इस पुरानी रिजर्व बैंक आफ इंडिया की बुलेटिन के अनुसार बम्बई में ३७ कोआपरेटिव फार्म बने, उनमें १६ के बारे में पता ही नहीं क्या हुआ। बाकी में कोई खास एचीवमेंट नहीं हुये।

हमारी यू०पी० गवर्नमेन्ट ने कुछ फार्म्स चलाये। उनमें एक तरफ से यही जिक्र है कि वे रिक्लेम्ड लैन्ड पर चलाये गये। यह समझ में नहीं आता कि जिस किसान को आप इस तरफ रागिब करना चाहते हैं उसको कौन सा फार्म दिखाना चाहते हैं? इस 'वर्किंग ग्रुप आन कोआपरेटिव फार्मिंग' की जो पुस्तिका है इसमें निजलिंगप्पा साहब का बड़ा जिक्र है और उनका कहना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बड़े एचीवमेंट्स हैं। उस में एक सर्वे है उसमें जगह जगह यह जिक्र है कि किस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग में प्रोडक्शन कम हुआ है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस की गलती से कोआपरेटिव फार्मिंग में तरक्की दिखा दी गयी है। सबसे मजे की बात यह है कि किस तरह से यह विचार आया इस देश में कि कोआपरेटिव फार्म्स इस देश में बनाये जांय। मैं डाक्टर साहब को इसलिये यह बात सुना देना चाहता हूं कि इसको सुन कर उनका यह विचार हो जायगा कि गलती हो गयी।

"The subject of the co-operative farming received attention in the plan of economic development formulated in 1954 by 8 leading industrialists which is commonly known as Bombay plan."

वहां जो बम्बे प्लान के नाम से बनाया गया उसको ८ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बनाया। काश्तकार से उसका कोई मतलब नहीं था। सरकार बैठ गई और इंडस्ट्रियलिस्ट्स बैठ गये और सरकार ने इंडस्ट्रियलिट्स से राय ली कि क्या होना चाहिये। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कहा कि कोई प्रोडक्शन बढ़ने का नहीं है, सामूहिक खेती कराई जाय तो प्रोडक्शन बढ़ जायगा। इस तरह से वह अच्छी तरह से सेफ इंवेस्टमेंट कर सकेंगे। इस तरह से उनकी इंडस्ट्रियल पालिसी भी सुरक्षित रहेगी।

पृष्ठ ३३ पर इस पुस्तिका में ३३२ फार्म्स के बारे में लिखा है लेकिन जहां फार्मिग का जिक्र है वहां १७,९७ और १ का जिक्र है। बाकी फार्म्स का पता नहीं कहां चला गया। इस रिपोर्ट में उनका जिक्र क्यों नहीं है? रूस और चीन का भी बड़ा जिक्र किया गया और जैसे ही दोनों का जिक्र आता है तो कुछ लोगों की कमजोरी है, वह सामने आ जाती है। मैं उनसे कहूंगा कि वे थोड़ा वहां की हालतों पर विचार करें। इस हालत पर विचार करें कि वहां हर काश्तकार के पास १० एकड़ जमीन फार्म के अलावा होती है जिसमें वह अपने मन से जो चाहे ग्रेन बोये जो चाहे केटिल पाले। (व्यवधान) आप जो चाहें दें, ५ एकड़ कर दें लेकिन यहां की १.६७ एकड़ एवरेज होल्डिग जो है उससे वह बहुत ज्यादा होगी। भारतवर्ष की जो एवरेज प्रति एकड़ भूमि है उससे वह कई गुना ज्यादा होगी। यह बात सही है कि जहां एक आदमी उतनी लेबर नहीं कर सकता वहां उस काम को करने के लिये मशीनों की अधिक आवश्यकता होती है। आज आपको वहां कोई हल लेकर जोतता हुआ नहीं मिलेगा। वहां पर ट्रैक्टर फार्मिग होती है। इस बारे में, मैं डाक्टर जेड०ए० अहमद और डाक्टर सम्पूर्णानन्द, जो दोनों कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी में थे उसमें जहां उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिग का जिक्र किया उस ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। मैं तो यही समझता हूं कि उस पूरी कमेटी से डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने डिसेन्ट किया था और डिसेन्ट करते हुये उन्होंने एक बात सामने रखी थी--

"But all this presupposes that there will be evidence of profitable employment for those who will have to leave the land. This can be possible only if the State deliberately embarked upon a policy of industrialization."

मैं पूछना चाहता हूं कि उस काश्तकार के पास जिसकी खेती आप ट्रैक्टर्स से जोत देना चाहते है क्या साधन हैं? मैं यह मान कर चलता हूं कि अनएकोनामिक होल्डिग है उसके पास। लेकिन आपको दो बातें साबित करनी पड़ेंगी कोआपरेटिव फार्मिग करने के पहले। पहली बात तो यह कि लैंड पूल करने के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह कहीं साबित नहीं हुआ कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसी देश में नहीं, दुनिया के किसी देश में नहीं बढ़ा है। और उस स्कीम लें जाने के बाद उसके पास कोई दूसरा एम्पलायमेंट देने का साधन नहीं, अंधेरा है उसके सामने।

आप चीन की रिपोर्ट देखिये। जो यहां से डेलीगेशन गया था उसने कहा है कि दो मिलियन लोगों को मार दिया। डाक्टर साहब कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं दूसरी बात उधर के बैठने वाले सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर कोआपरेटिव फार्मिग ही एक मात्र तरीका है तो आज चीन में भुखमरी क्यों है? वह प्रोडक्शन पैदा हो कर गया कहां? यहां के अखबारों में यह खबर आती है और मैं समझता हूं कि वह सही बात है। लेकिन हम आज यह इसलिये कर रहे हैं क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो करने का वायदा किया था वह पूरा नहीं कर सके। उस वक्त हमने कहा था कि चूंकि आज दासता है इसलिये हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज हम दासता मुक्त हैं और इस बात का कोई जवाब उनके पास नहीं है कि दासता मुक्त होने के बाद भी हम अपनी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा सके। इसलिये अब उनके पास एक ही रास्ता है और वह यह कि एक ऐसी बात का जिक्र कर दिया जाय जो समझ में न आये और वह यह कि जब कोआपरेटिव फार्मिग होगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह एक ऐसी बात को सामने रख देना है जो आसानी से इस देश में पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि उनके विश्वास की दुनियां में कमी पूरी हो जाय लेकिन इस देश में पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वह तरीका जो यहां पर अपनाया गया है, यानी डेमोक्रेसी उसका नाम न रह जाय। यही विचार जो उस डेलीगेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने भी व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा है --

"The Chinese policy of land reform and co-operativisation was designed to lead the peasantry into complete propletarisation. The mass violence associated with land reform was against millions of petty landholders."

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

में इस बात का इसलिये जिक्र कर रहा हूं कि हो सकता है कि हमारे डाक्टर साहब इस बात का जिक्र कर दें कि यह तो कोई बड़ा जमींदार या काश्तकार है वह कह रहा है। अब इस प्रदेश में बड़ा काश्तकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हम यह कानून बना चुके हैं कि ४० एकड़ से ज्यादा भूमि किसी के पास नहीं रहने देंगे। हमने जो आमदनी की अपने यहां कल्पना की है वह ३,६०० की या ज्यादा से ज्यादा ५,६०० की है। यह श्रद्धा का विषय होता अगर मैंने ऐसा कोआपरेटिव फार्म देखा होता जो उधर के माननीय सदस्य विश्वास करते हैं, उन्होंने वैसा कोआपरेटिव फार्म बनाया होता या जो भूमि के मालिक हैं वह कोआपरेटिव फार्म बनाते और मुझ जैसे विश्वास न करने वाले आदमी को वहां ले जाते और बताते कि कोआपरेटिव फार्म के द्वारा प्रोडक्शन में इतनी उन्नति हो गई है। लेकिन आज भी नहीं और कल भी नहीं वह तो एक प्रवृत्ति है कि खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत यानी हम लोगों के करने के लिये नहीं बल्कि दूसरों के लिये है। हम इसलिये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह प्रोफिटेबिल नहीं है।

एक बार माननीय गेंदासिंह जी ने जिक्र किया था कि सरकारी पक्ष चुनाव सहकारी सिद्धांत के कारण हारी है। जो गन्ना सहकारी समितियां हैं जिनको आप बड़ा भारी एचीवमेंट मानते हैं, लेकिन जब कृषक गन्ने की पर्ची लेने के लिये जाता है तो वहां पर जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है उससे उसको एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि सोसायटी दुनिया की होगी लेकिन मेरी नहीं है। इस ऐनुअल रिपोर्ट में गन्ना सहकारी समिति का जिक्र किया गया है। लेकिन गन्ना सहकारी समितियां उनके विभाग के अन्तर्गत नहीं हैं और हमारे मंत्री जी उत्तर दे देंगे कि हमारी जानकारी नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि ये सहकारी समिति का निर्माण क्यों करते हैं? सरकार का इसके पीछे एक लक्ष्य है और इसलिये नहीं कि यह एक जन आंदोलन है बल्कि शुगर फैक्टरीज के रा मैटीरियल के लिये करते हैं।

आप इस बात पर बल क्यों नहीं देते कि कृषक अपने आप मूल्य तय करे। (व्यवधान) मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि ढेर करने के लिये आप लगे हुये हैं। अब कौन दिन होगा जिसका इंतजार करना पड़ेगा? अगर हमारे रास्ते पर चलेंगे तो हम ढेर नहीं होने देंगे, यह निश्चय है और इन सब बातों के देखने से यह पता चलता है कि आज सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग जैसी गलत नीति को अपनाने जा रही है। इस प्रस्तुत बजट में जो सहकारी विभाग का है, इसमें ३,४१,६०० रुपया कोआपरेटिव फार्मिंग की सोसायटीज के डायरेक्शन के लिये है और ४०० सोसाइटीज के डायरेक्शन के लिये है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसको गौर से देख लिया करें कि उनके विभाग के कर्मचारी भी उनकी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये जितना चाहे रुपया मांग लो, मिल जायगा और यह जो रुपया मांग लिया गया है मेरी समझ में एक साल में तो क्या ५ साल में भी केवल डायरेक्शन के लिये इतने रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम इस बात को देखते हैं कि इस विभाग में कभी यह क्षमता आयेगी कि सोसाइटीज को किन्हीं लाइंस पर अच्छी तरह से आर्गेनाइज कर सकें या नहीं, तो मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जब तृतीय पंच वर्षीय योजना बनायी तो बनाने से पहले यह नहीं देखा कि यह योजना कहां से आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, सब जिलों में अलग-अलग योजनाएं बनायी गयीं। उनको यहां कंसालिडेट किया गया। लेकिन सहकारी विभाग की योजना ऐसे नहीं बनी। सहकारी विभाग की योजना ऊपर से प्रगट हुई और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि थर्ड फाइव इयर प्लान का एक प्रारूप माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से छप कर बटा है। उसमें नैनीताल, झांसी, प्रतापगढ़, देवरिया ३६ जिले ऐसे हैं जिसमें कोई योजना सहकारी विभाग से बन कर नहीं आयी। मैंने यह पता लगाया कि जो थर्ड फाइव इयर प्लान बना था उसमें जिलेवार कोई योजना सहकारी विभाग द्वारा

बनायी गयी थी जिस पर हम बिचार करें, तो मालूम हुआ कि कोई जिलेवार योजना नहीं बनायी गयी और जहां पर बनायी गयी वहां पर केवल प्राइमरी सोसाइटीज और कुछ सर्विस कोआपरेटिव के संबंध में बनायी गयी और ऐसे केवल ११ जिले हैं। बाकी जिलों में सहकारी विभाग को छुट्टी नहीं मिली, थर्ड फाइव एयर प्लान के लिये कोई योजना जिले के लिये बनाये। उन्होंने यहां हिसाब लगाया और एक स्कीम ड्राफ्ट कर दी। यह सहकारी समितियां जो यहां से बन कर जिलों में जाती है वह वहां के लोगों की रुचि के अनुकूल नहीं होती हैं।

अभी एक पत्र जिले से भेज दिया गया है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है गांव समाजों को प्राइमरी सोसाइटियों का कम्पल्सरी मेम्बर बना दिया जाय चाहे वह बनना चाहें या नहीं। वह कम्पल्सरी मेम्बर इसलिये नहीं बनना चाहते क्योंकि सोसाइटी और गांव समाज के आर्थिक हितों का क्लैश हो जायगा। सोसाइटी उनके सामने यह बात रखेगी कि गांव सभा के रिजर्व को बढ़ाना चाहिये जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी। रुपया जमा करने का जहां पर प्रश्न होगा वहीं आर्थिक हितों का क्लैश हो जायगा। जनता का सहयोग न मिलने का मुख्य कारण यह है कि कोआपरेटिव विभाग के लोग इसी तरह से पेश आते हैं जैसे बाकी सरकारी विभाग के लोग पेश आते है। उनमें भी उसी तरह की एक मनोवृत्ति है। उसके कारण सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन में बदलने में दिक्कत हो रही है। मैं आपके सामने, २, ४ इस बात के उदाहरण रखना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार कोआपरेटिव में भी दलगत भावनाओं को ऊपर रखती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में एक बैंक है। उस बैंक में इत्तफाक से ऐसे मैनेजिंग डाइरेक्टर थे जो राजनीतिक रूप से हमारे सहकारी विभाग को सूट नहीं करते थे। कोशिश की गयी कि उनको किसी प्रकार हटाया जाय। पूरा सहकारी विभाग इस बात पर लग गया। लेकिन अनवरत प्रयास के बाद भी उनको हटाने में वह असफल रहे। जो आखिरी दांव उनके पास था उसको उन्हें लगाना पड़ा और उन्हें थर्ड टर्म में परमिशन लेनी पड़ी और सरकार ने उनको इजाजत नहीं दी। साथ-साथ मैं यह पत्र आपको दिखलाना चाहता हूं जो उनको डाइरेक्टली तो नहीं लिखा गया लेकिन सहकारिता मंत्री ने एक दूसरे सज्जन के पास लिखा है। क्यों, इसलिये कि उनको रोकना चाहिये, नाम तो उन्होंने नहीं लिखा लेकिन उन्होंने लिखा—

"The local officers, the Assistant Registrar or the Deputy Registrar with whom you have had to deal in the matter are not responsible for this policy decision, which has been applied throughout the State. I am told . . .

"I am told . कहते हैं——

"as if he does not know" that the reason for this decision lay in a very uncomfortable situation." "uncomfortable situation" वह और कुछ नहीं थी, पोलिटिकल रीजन्स थे जिनके कारण उनको वहां एक्सटेंशन नहीं दिया। उन्होंने इसी को लिखते हुए आगे लिखा है but otherwise influential——उसको अदरवाइज इन्फ्लुएंशल (otherwise influential) कहते हैं जब कि वह बहुत इन्फ्लुएंशल था। कोई जिला नहीं था जहां उसने एज मैनेजिंग डाइरेक्टर न किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सारे जिले का मूवमेन्ट चल रहा हो उसको परमिशन न देने के अन्यान्य बेसिस इस विभाग द्वारा निकाले जाते है और मंत्री जी भी उसमें सम्मिलित होते हैं। यह माननीय गौतम जी का पत्र है।

अभी हमारे सहकारिता मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि वे कोई ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, इस समय तक की तो वे नहीं जानते लेकिन आगे ऐसा काम नहीं करने वाले है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दोनों भूतपूर्व मंत्री अपने नान-कोआपरेशन के लिये प्रसिद्ध थे। इस डिपार्टमेन्ट के लिये भी यह आवश्यक था कि वह विरोधी दल के लोगों को कुछ सहयोग देता लेकिन विभाग में भी सहयोग थोड़ी लेविल पर नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक ग्रान्ट थी सहकारिता विभाग की ९ लाख २७ हजार रुपये की। विभाग के अधिकारियों ने

[श्री टम्बश्वरीप्रसाद]

कुछ ऐसा रोड़ा अटकाया कि वह ग्रान्ट यूनियन को न मिल सकी और वह ग्रान्ट लैप्स हो गयी। उनके नान कोआपरेशन की वजह से लैप्स हुआ। इसे कोआपरेटिव विभाग के मिनिस्टर भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी जानते है क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न किया था कि वह ग्रान्ट निकल जावे लेकिन अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से यह निश्चय कर लिया था कि वह ग्रान्ट नहीं निकलेगी और उन्होंने उसे नहीं निकलने दिया। मुझे दुख है कि जो विस्तृत जानकारी उन्होंने आज दी है अगर उन्होंने पहले दे दी होती, तो मैं उस संबंध में विस्तृत जानकारी रख सकता था लेकिन वह नहीं दी गयी है।

आज कोआपरेटिव शिक्षा के विषय में बहुत जिक्र किया गया है। इस प्रदेश में कोआपरेटिव शिक्षा भी एक तमाशा रहा और वह तमाशा यह है कि व्यय बहुत होता है उस पर लेकिन महीनों स्टाफ वहां पड़ा रहता है और ट्रेनिंग का काम नहीं होता जिससे कोआपरेटिव के सब आदमी बेकार पड़े रहते हैं जो उसमें लगे हैं और यहां काम का भी नुकसान होता है। इसमें हानि किसकी होती है? न तो शिक्षा का काम होता है और उन दिनों न उनसे कोई अन्य काम लिया जा सकता है। मैंने कल अभी कुछ जानकारी करनी चाही कि कुछ लिटरेचर मुझे सरकिल कोआपरेटिव्ज के बारे में मिल जाय। मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा टेलीफोन पर कि आप कुछ ऐसे आंकड़े मुझे उपलब्ध करा दें जिनसे कि मैं कुछ जानकारी हासिल कर सकूं। साढ़े हजार रुपया बजट में स्वीकृत है प्रचार के लिये। लेकिन पता यह चला कि कोई इस तरह की बुलेटिन नहीं छापी गई है। हां, एक प्रकार की बुलेटिन हो सकती है जिसके बारे में कि सदन में कई बार सवाल पूछा जा चुका है और वह बुलेटिन है चुनाव प्रचार वाली। ऐसी अन्य बुलेटिन्स, टी माडेल और डी माडेल के फोल्डर्स वाली जो कि वहां जाकर प्रचार करती हैं कि इस तरह से हमारी सरकार ने बड़ी तरक्की की है और इस तरह की अन्यान्य चीजें चाहे भले ही आयी हों, लेकिन वह जो विशद साहित्य है जिससे कि कोआपरेटिव की तरक्की और दूसरी ओर उसकी अवनति के कारण ज्ञात हो सकें, उनका कहीं कोई पता नहीं है। (व्यवधान) मैंने कल रजिस्ट्रार महोदय से मांगा तो नहीं मिली। साल भर तो बहुत दूर की बात है। कल नहीं मिली।

एक काम वितरण और पूर्ति का भी हमारा कोआपरेटिव विभाग किया करता है। इसमें एक जगह जिक्र है कोयले के व्यापार का। अध्यक्ष महोदय, आजकल कोयले का व्यापार बड़े मुनाफे वाला व्यापार समझा जाता है लेकिन ३५ सौ वैगन कोयले के व्यापार में इस विभाग को केवल ३ हजार रुपये का मुनाफा हुआ। यानी एक वैगन पर ज्यादा से ज्यादा १२ आना मुनाफा हुआ। इस विभाग की यह दक्षता है मुनाफा करने में।

माननीय मंत्री जी ने मजदूर यूनियन्स और क्रय विक्रय समितियों का भी जिक्र किया। एक भी मजदूर यूनियन को मैं जानना चाहूंगा जो काश्तकारों की यूनियन और जिसको माननीय मंत्री जी आज तक कोआपरेटिव यूनियन में लायें हों। कई बार भूमिहीन कृषकों का जिक्र किया गया लेकिन जिक्र उनका किया गया और सहकारी समितियां बनाई गईं रिक्शा वालों की। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि आखिर यह भूमिहीन कृषकों की सहकारी समिति बनी तो कहां, किस जमीन पर उन्होंने जोतना शुरू किया? किस स्थान पर हैं वे और कितनी हैं? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शब्द जाल से अगर सहकारी विभाग को उन्नति करना है तो हमारे माननीय मंत्री जी से अच्छी तरह और कोई नहीं कर सकता।

इस बात का भी जिक्र आया कि कोआपरेटिव ऐक्ट में कुछ विशेष सहुलियतें दी जा रही हैं। इसमें जो अमेंडमेन्ट हुए हैं उसके बारे में उस समय भी इस दल के और उस दल के लोगों में कई मौलिक विरोध थे। दो तीन बातें उस संबंध में मैं चाहूंगा कि बिलकुल साफ हो जायं। एक बात तो यह है कि रजिस्ट्रार का अप्वाइंटमेन्ट। सरकार ने जब जिसको भी चाहा, जहां से चाहा

पकड़ा और सहकारिता विभाग में भेज दिया। उसको सहकारिता का कुछ ज्ञान है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। आज इस सहकारिता मूवमेन्ट को इस बात को आवश्यकता है कि ऐसा अधिकारी वहां पर भेजा जाय जो कि मूवमेन्ट को ऊपर से नीचे तक जानता हो।

दूसरी बात यह है कि सहकारी फार्मिग को कुछ बहुत अधिक सहूलियतें दी गई हैं। मैं इसलिये उनका जिक्र यहां कर रहा हूं कि सरकार जब उन सहूलियतों को कोआपरेटिव फार्मिग को देना चाहती है तो यह मानकर चलती है कि उन सहूलियतों के बिना उन फार्म्स की तरक्की वह नहीं कर सकेगी और मैं खास तौर से उनका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि खुदा न खवास्ता अगर सरकार कोआपरेटिव फार्मिग बहुत दिनों तक न बनवा पाये तो कम से कम उन सहुलियतों को काश्तकारों को देने की कृपा करें। वह सहूलियतें ये हैं कि उनके लैन्ड रेविन्यू में कमी की जाय। आप कहते हैं कि जब उनका प्रोडेक्शन बढ़ जायगा तो उनके लैन्ड रेविन्यू में रिडेक्शन किया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि आज जब काश्तकार मरे जा रहे हैं तो उनके लिये सरकार यदि आज कुछ रियायत कर दे तो उनके लिये बहुत लाभ की बात होगी।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई रेट में कमी करना आप चाहते है। लोकल टैक्सेज, सेल टैक्स, परचेज आफ डिजिल आयल आदि में सरकार सहूलियत करना चाहती है। यह सहूलियत सरकार इसलिये करना चाहती है ताकि किसानों की हालत कुछ अच्छी हो जाय। प्रदेश का प्रोडेक्शन बढ़ जाय। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रोडेक्शन की कमी है यह मानकर मंत्री जी चलते हैं। सरकार ने अभी तीन आना रुपया सिंचाई में बढ़ा दिया। इससे सहकारी समितियों को बड़ा आराम होगा जब कि आप उनके लिये कुछ रेट घटा देंगे। जब सरकार कुछ उनके लिये रेट को घटाने की बात करती है और इस तरह से सहूलियत देना चाहती है तो यदि उस रियायत को आज ही दे दिया जाय और कुछ ऐसा ही कर दें कि जो सहकारी समिति १० मन एकड़ की पैदावार से १२ मन की पैदावार कर दे या १५ मन पैदावार कर दे तो उनको यह सहूलियत उपलब्ध करा दी जाय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वह यह मान कर चलती है कि इसके बिना सहूलियत नहीं होगी। मैं उन ग्रांट्स को नहीं मानता हूं जो सरकार देने वाली है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप ऐसा इर्रीगेशन का रेट कर दें जिससे जहां पर सिंचाई की दिक्कत है वहां पर जब तक सहकारी समितियां नहीं बनती हैं उस समम तक के लिये उनके लिये कुछ रियायत कर दी जाय। इन सब बातों पर माननीय सदस्य विचार कर लें और उनसे आग्रह करूंगा कि अगर सहकारी फार्मिग गलत नीति इस प्रदेश में चलाई गई तो उसका यह नतीजा जरूर होने वाला है कि फिर कोई वापस नहीं होगा। उसके गले से नीचे उतर कर कोई लौट नहीं सकता। १९४७ से इसका अनुभव कर रहे हैं लेकिन हर बार यह फेल हुई है और आपकी यह कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हुई है। हर स्थान पर जहां जहां यह चलाई गई है वहां पर हर प्रदेश में यह असफल रही है सिवाय इसके कि जहां पर नई लैन्ड में कल्टीवेशन हुआ है वहां पर तो लाभ हुआ है लेकिन वहां पर दूसरी प्रकार की समस्या सामने आई है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि जब सरकार सहकारी समितियों को छूट देना चाहती है तो वह काश्तकार को आज ही क्यों नहीं देते ताकि उनकी हालत अच्छी हो जाय और खेती की हालत भी अच्छी हो जाय।

दूसरी बात यह है कि साधन सहकारी समितियों को जो आप बढ़ाना चाहते है उनके लिये सही नीति प्रदान करें। आडिटर की व्यवस्था जो रजिस्ट्रार के अन्तर्गत रखी गई है उसके भीतर बहुत लापरवाही देखी गई है। सन् १९५७–५८ में डी० सी० डी० एल० के ऊपर जो रजिस्ट्रार की सिफारिश है उस पर आज तक कम्पलान्यस नहीं किया गया और जो रिपोर्ट आती है उन पर गौर नहीं किया जाता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आडिट का काम रजिस्ट्रार महोदय के नीचे से निकाल दिया जाय।

[अनुदान संख्या २४--सहकारिता

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री शिवदानसिंह	मद (क) की उपमद (क) सामान्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना।
२	श्री चिरंजीलाल	मद (क) की उपमद (ग) सहकारी कृषि योजनामद (क) की उपमद (क) का भाग (१) अधिकारियों का वेतन के अधीन मांगों की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा सुझाव देना।
३	श्री जगदम्बाप्रसाद	मद (क) की उपमद (ख) सहकारिता के आधार पर दूध सप्लाई योजनायें--के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना।
४	श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--जिस कानून के अन्तर्गत हमारा सहकारिता आन्दोलन चल रहा है वह प्रदेश की वर्तमान स्थिति तथा युग-विचारों एवं हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। उसमें तत्काल आमूल-भूत परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर देना।
५	श्री भीखालाल	मद-सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सहकारिता को जनवादी ढंग पर विकसित करना, सहकारिता को कागजी रूप से हटा कर मूर्त रूप देना व अन्य सुझाव और शिकायतें।
६	श्री रामसुन्दर	मद (क) निदेशन तथा मद (क) की उपमद (क) सामान्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य--सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं उस पर तत्काल कार्यवाही करने के लिये सुझाव देना।
७	श्री जे०पी० मिश्र	मद-सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
८	श्री रामभजन	मद-सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय त्रुटियों को दूर करने तथा उसे जनोपयोगी बनाने के लिये सुझाव देना ।
९	श्री होरीलाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—अधिकारियों द्वारा जन सहयोग से काम करने की कमी, विभाग में नौकरशाही तथा पार्टी-बाजी का प्रचार ।
१०	श्री कृष्णचन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना ।
११	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सहकारिता से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग करना ।
१२	श्री जगदम्बाप्रसाद	मद (क) की उपमद (क) का भाग (२) कर्मचारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना ।
१३	श्री जगदम्बाप्रसाद	मद (क) की उपमद (क) का भाग (३) महंगाई और रहन-सहन व्यय के प्रतिकर भत्ते के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना और सही सुझाव देना ।
१४	श्री चिरंगीलाल	मद (ग) की उपमद (२) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (कोआपरेटिव यूनियन) और राज्य विपणन (मार्केटिंग) फेडरेशन को अनुदान–(इकट्ठा अनुदान) तथा उपमद (३) उन संस्थाओं और प्रयोजनों के लिये जिनका उल्लेख आय व्ययक में नहीं है, विवेकानुसार अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सरकारी कमियों की तरफ ध्यान दिलाना तथा उचित सुझाव देना ।
१५	श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलबीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१६	श्री रामसुन्दर	मद (क) निदेशन तथा मद (क) की उपमद (क) सामान्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—आजमगढ़ जिले में जिला कोआपरेटिव संघ में गबन, लखनी मुबारकपुर, सेमरी, जमालपुर, बहरामपुर, गांवों में बिना हल, खाद इत्यादि दिये रुपये की वसूली।]

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर खुशी है कि हमारे भाई टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने अपने नजरिये को साफ तौर पर रखा। लेकिन जितनी सफाई से उनको अपनी बातों को कहना चाहिये था उतनी सफाई से वे कह नहीं पाये। शायद हिम्मत नहीं थी उन बातों को साफ तौर पर कहने की। लेकिन स्पष्ट है कि सहकारिता के सिद्धांत या उसूल को वह नहीं मानते। कुछ बातें वह लपेट में कह गये . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा।

श्री जेड० ए० अहमद—सहकारिता का सिद्धांत कहीं बीच में रोका नहीं जा सकता। अगर आप सहकारिता के रास्ते पर चलेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि हम इतनी दूर जायेंगे और उस के बाद रुक जायेंगे। यह समाज को बनाने का एक दृष्टिकोण है और सही माने में जिस तेजी के साथ आप कोआपरेटिव फार्मिंग की मुखालिफत कर रहे हैं उसके पीछे एक दृष्टिकोण है, उसके पीछे एक बुनियादी नजरिया है, उसके पीछे एक समाज का नक्शा आप के सामने है। और वह नक्शा है वह जिसे तारीख ने, इतिहास ने पीछे फेंक दिया है। जिसे कहते हैं डस्टबिन आफ दि हिस्ट्री में फेंक दिया है। वह है १९ वीं सदी का नक्शा। आजादी के नाम पर मिडिल मैन लूटे किसान को, आजादी के नाम पर गरीब गरीब होता जाय और अमीर अमीर होता जाय, आजादी के नाम पर चोरबाजारी और मुफ्तखोरी और मुनाफा खोरी जारी रहे, यह नजरिये पुराने, पिटे पिटाये जमाने के लिये नजरिये हैं जिनको आज कोई बाहोश आदमी, अक्लमंद आदमी मंजूर नहीं कर सकता।

इसमें कोई शक नहीं कि इस सवाल पर आपोजीशन में दो आवाजो से बोलेगा। एक आवाज आपकी है और एक हमारी और उनके दरम्यान कोई वास्ता नहीं है। शायद कांग्रेस पार्टी की आवाज में और हमारी आवाज में एक समानता हो इस बात में, किन लेजैसे प्लानिंग का सवाल है। उसमें एक दायरा है और उसके अन्दर रहते हुये हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, आप उस दायरे से बिलकुल दूर हैं। आपकी आवाज उन तबकों की आवाज है जो समाज को उस जगह पर रखना चाहते हैं जहां वह था। माफ किया जाय, आपकी आवाज उन तबकों की, उन सामन्ती तबकों की है जो जनता के अन्दर जा कर यह गलतफहमी फैलाना चाहते हैं कि सहकारी खेती और सरकारी खेती एक है। क्या यह प्रोपेगेंडा एलेक्शन के जमाने में नहीं किया गया ? गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि सहकारी और सरकारी खेती एक है, तुम गुलाम बना दिये जाओगे, तुमको खेतिहर मजदूर बना दिया जायगा। जब तक उन नजरियों का मुकाबला नहीं किया जाता, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप फरमाते हैं कि आप समाजवाद के दायरे में फंसे हुये हैं। हां साहब, हम फंसे हुये हैं, समाजवाद के दायरे में, और फंसे रहना चाहते हैं और जिस सड़े हुये पूंजीवादी समाज के दायरे में आप फंसे हुये हैं वह आपको मुबारक हो। हम तो जिसमें फंसे हुये हैं उसमें फंसे रहेंगे जब तक हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम नहीं हो जाता।

चीन और रूस की बात कही गयी । क्यों उनकी बात कही गयी ? हम हिन्दुस्तानी हैं, हमें अपनी बात सोचनी चाहिये वे अपनी बात सोचेंगे । उनकी, चीन की, रूस की बात आप जनता पर छोड़िये । आप कौन हैं उनपर फैसला देने वाले या वह कौन हैं हमारे बारे में फैसला देने वाले ? हम अपनी समस्याओं को लें और अपने मसलों को हल करें । सवाल यह है कि आपका देश खेतिहर देश है । एक खेतिहर व्यवस्था, एक खेतिहर सोसाइटी हमारे सामने है और उसमें ८० फीसदी अनइकोनामिक होल्डिंग लिये बैठे हैं । उनके पास साधन नहीं हैं, पूंजी नहीं है, नये खेती के तरीके मुहैया हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते । फ्रैगमेंटेशन जमीन का बढ़ता जाता है, जमीन के टुकड़े-टुकड़े होते चले जा रहे हैं । जिन के पास ५ एकड़ थी वह दो एकड़ रह गयी है और एक पीढ़ी बाद वह डेढ़ एकड़ ही रह जायगी । आखिर इस समाज को आगे ले जाने का तरीका क्या है ?

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

समाज को आगे ले जाने के तरीके, यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दो ही हो सकते हैं । एक पुराना तरीका है जिसे हम प्रश्यन पाथ (Prussian Path) कहते हैं जो जर्मनी में हुआ । बड़े-बड़े लैण्ड लार्ड्स ने आम जनता को, आम किसानों को बेदखल कर के बड़े-बड़े फार्म्स बनाये और उनके आधार पर उन्होंने पूंजी इकट्ठा की और उसके बाद वह खुद ही बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट बन गये । एक तरीका यह था आम किसान को बेदखल करके शहरों में पहुंचाया गया । चूंकि उद्योग उस जमाने में बढ़ रहा था इसलिये शहरों में पहुंच कर उस किसान को वर्किंग क्लास बन जाना पड़ा । एक तरीके से यह मसला हल हुआ । जो खेती पर अधिक आबादी थी वह कम हो गयी और पैदावार का मसला भी हल हुआ । दूसरा अमरीकन पाथ है । वहां जमीन खाली पड़ी थी । लोग गये और उन्होंने वहां जा कर बड़े-बड़े फार्म्स बनाये और इस तरह से पैदावार बढ़ायी । हमारे सामने कौन सा तरीका हो ? हम प्रश्यन पाथ, जिसे जर्मन पाथ भी कह सकते हैं, को अख्तियार नहीं कर सकते इसलिये कि कितने लोगों को आप बेदखल करेंगे ? किन को आप शहरों में भेजेंगे ? हमारा किसान अपनी जमीन पर डटा हुआ है । वह वहां रहेगा, शहरों में आसानी से भेजा नहीं जा सकता । नम्बर एक । दूसरे हमारे यहां इतनी जमीन खाली नहीं है कि लोग बड़े-बड़े फार्म्स बनायें और पैदावार के मसले को हल करें । हमें तो छोटे-छोटे किसानों को लेना है, उनके श्रम और पूंजी को बढ़ाना है । उनकी मेहनत करने की शक्ति को बढ़ाना है और तब पैदावार को बढ़ाना है और नया समाज बनाना है । कौन तरीका हो टम्बेश्वरी प्रसाद जी बतलायें ? एक ही तरीका हो सकता है सहकारिता का, और वही तरीका कदम ब कदम बढ़ा कर हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जायगा कि जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है यानी समाजवाद का लक्ष्य । आप उसे न मानें, लेकिन मैं मानता हूं कि यह समाजवाद स्थापित करना राष्ट्रीय लक्ष्य है और इस तरीके से हम अपनी अर्थ व्यवस्था के एक बहुत बड़े भाग को यानी खेतिहर भाग को एक नये तरीके से मुनज्जम करेंगे सहकारिता के आधार पर और तभी हम उस लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं । और कोई दूसरा तरीका नहीं है । आप लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं लेकिन कोई ठोस रास्ता आप नहीं निकाल सकते ।

फिर हमारा गरीब देश है और इसमें लूट मची हुई है । मिडिल मैन लूटता है, धड़ल्ले से लूटता है और उसे कोई रोकता नहीं । किसान किस दाम पर बेचता है और किस दाम पर खरीदता है । मुझे माफ किया जाय, शायद आप इस बात को पसन्द करते हों कि किसान बहुत सस्ता बेचता है और बहुत मंहगा खरीदता है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता और मैं समझता हूं कि कोई ईमानदार आदमी इसे पसंद नहीं करेगा । जितनी लूट इस वक्त किसान के पर्स की होती है उसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता और अगर उसको रोकना है तो मिडिल मैन को हटाना चाहिये । सीधे तौर पर, सहकारिता के आधार पर किसान का गल्ला जब मंडी में जाय तो वह उचित दाम पर वहां बिके और सहकारिता के आधार पर किसान उचित दाम पर अपने लिये चीजों

[श्री जेड० ए० अहमद]

को खरीदे । यह एक तरीका है इस लूट को रोकने का । क्या आप इस के लिये तैयार हैं । जब मैं यह कहता हूं तो आप कहते हैं कि सरकार दखल दे रही है, आजादी को कुचल रही है । हां साहब, गरीब, मेहनतकश और उजड़े हुये लोगों के लिये सरकार अगर इस तरह का दखल नहीं देगी तो वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी । सरकार को दखल देना चाहिये और मैं अगर आज सरकार की आलोचना करता हूं तो वह यह कि वह कम दखल दे रही है । क्यों इतने मिडिल मैन बैठे हैं ? ठीक है कि आप ने जमींदारी एबालिशन किया । उस जमाने में यही लोग चिल्लाते थे कि जमींदारी एबालिशन नहीं होना चाहिये । उसमें अपनी कमजोरियां हैं और उनकी आलोचना मैं अलग जगह पर कर सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने जमींदारी एबालिश की उसी तरीके से अगर इस मिडिलमैन को एबालिश नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, गरीब और गरीब होता जायगा और यह लूट कायम रहेगी ।

इसी तरह से आज उद्योगों को लीजिये । हमारे यहां स्टेट सेक्टर में विकास हुआ है । विकास हो यह अच्छी बात है, वह विकास और अधिक होना चाहिये यह सभी मानते हैं, लेकिन इस हिन्दुस्तान के औद्योगिक जीवन में जो बड़े-बड़े पूंजीपति हावी होते जा रहे हैं इसको रोकने की जरूरत है । एक तरफ तो राजकीय उद्योगों का विकास है और दूसरी तरफ यह मोनोपाली का विकास है । अगर सही मानी में हिन्दुस्तान के अन्दर औद्योगीकरण करना है तो आज जरूरत इस बात की है कि छोटे-छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों का विकास हो और वह विकास सहकारिता के आधार पर ही हो सकता है । जब आप सहकारिता द्वारा छोटे-छोटे साधनों को इकट्ठा करेंगे, श्रम शक्ति को जोड़ेंगे, तभी कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है । यह कार्य व्यक्तिगत आधार पर नहीं हो सकता, सहकारिता के आधार पर ही हो सकता है । माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने भाषण तो इतना बड़ा दिया, मगर उन्होंने संजीदगी के साथ उस पर विचार नहीं किया और अगर उन्होंने उस मसले पर सोचा है तो फिर उनके कान और आंख राजनीतिक विचारधारा की वजह से बन्द हैं और वे इतने बन्द हैं कि उन्होंने कहा कि चीन में साढ़े १० एकड़ की खेती फी आदमी पड़ती है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैंने रूस में कहा है ।

श्री जेड० ए० अहमद—रूस में भी इतनी नहीं है । वह १.५ है जिसको आपने साढ़े १० एकड़ पढ़ा है । आपने अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिये आंकड़े भी गलत दिये, वे भी कभी-कभी आपको गलत दिखाई पड़ने लगते हैं ।

खैर, मेरी आलोचना, जहां तक कांग्रेस के कामों की है, वह तो आम तौर पर है, पर मुझे कहना यह है कि आपके सिद्धान्त अच्छे होने चाहिये । आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के जहां तक सिद्धान्त हैं, उनमें अगर कुछ रद्दोबदल करने को मुझसे कहा जाय तो शायद मैं वह बहुत कम ही करूंगा । जहां तक नीति का संबंध है वह बड़े सुन्दर तरीके से रखी जाती है और शायद उतने सुन्दर तरीके से मैं भी न रख पाता । आपकी पंच वर्षीय योजना में जिस तरह से नीति रखी गयी है, उतने सुन्दर तरीके से मैं भी न रख पाता, लेकिन जब उन नीतियों पर अमल होता है, जहां उनको अमल में लाने का सवाल आता है, वहीं आप कमजोर पड़ जाते हैं और यही कमजोरी शासक पार्टी की जड़ों को हिला रही है ।

अब सहकारिता को लीजिये । नागपुर में प्रस्ताव आया । अच्छा प्रस्ताव था । उस प्रस्ताव का स्वागत सारे देश ने किया । आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत भी की, मगर हमने उसका पूरी तरह स्वागत किया । हमने यही कहा कि अगर मजबूती के साथ इस प्रस्ताव पर अमल किया जाय, सीलिंग को लागू किया जाय, लैंड रिफार्म्स का कार्य मजबूती के साथ हो, तो यह बहुत बड़ा कदम होगा हमें आगे ले जाने की दिशा में । लेकिन क्या हुआ ? नागपुर का प्रस्ताव आया । उस समय बहुत से लोग मुझ से कहते थे कि इस पर अमल नहीं होगा और जिस तरह से और प्रस्ताव पास

होते हैं यह भी पास हो जायेगा । किन्तु मैंने कहा कि नहीं, पंडित नेहरू ने इतनी मजबती के साथ इस प्रस्ताव को रखा है और इस पर काफी बहस हुई है, यह जरूर पास होगा । लेकिन आज जब मैं उसको देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं । सीलिंग की बात पर मैं इस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि वह इस विषय से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन यह हकीकत है कि सीलिंग (हदबन्दी) का कानून बना और आज यह हालत है कि यू०पी० में क्या, बंगाल में क्या, दक्षिण हिन्दुस्तान में क्या, कोई जमीन मिलती ही नहीं, बट गयी सब । अब उसे जमींदार कहिये या भूमि का मालिक या जो कहिये, उन्होंने बांट-बांट कर, भाई, बिरादरी, नौकर सब में बांट कर खत्म कर दी, और जमीन ही नहीं है । उसको छोड़िये । सहकारिता को लीजिये । मेरे पास वक्त नहीं है, मैं दो-तीन चीजों के बारे में कहना चाहता हूं ।

कोआपरेटिव फार्मिंग । मैं इस चीज को पेश करता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग आसान चीज नहीं है । कम्युनिस्ट देशों के अन्दर भी कोआपरेटिव या क्लेक्टिव फार्मिंग बड़ी मुश्किल चीज साबित हुई है । किसानों का एक कंजरवेटिज्म होता है, एक व्यक्तिगत लगाव है जमीन से, वह उसे खोना नहीं चाहते । किसान लड़ता है, उसकी २ बिस्वा जमीन है उसको भी छोड़ना नहीं चाहता । इसलिये कोआपरेटिव फार्मिंग आसान नहीं है । उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि हमने १० कोआपरेटिव सोसाइटियां बना दीं, ५० बना दीं और ९० हजार एकड़ जमीन इकट्ठी हो गयी । माफ कीजिये, आज जो कोआपरेटिव फार्मिंग है मैं उसको बोगस समझता हूं । मेरे साथ चलिये । मैं पीलीभीत गया, बड़े-बड़े फार्मर्स से बातचीत की जिन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर जमीन बढ़ा ली है । इसको शामिल किया, उसको किया, अपनी बीवी को, रिश्तेदार को, यह हालत है । आप मत दीजिये सहायता किसी को । हालांकि आपने अभी नहीं दी, लेकिन जब मदद का सवाल आयेगा तो यही लोग मदद मांगने के लिये खड़े हो जायेंगे । आपको वह तरीका अख्तियार करना है जिससे गरीबों की छोटी-छोटी जोत को नजदीक लाकर एक दूसरे से जोड़ा जा सके और सहायता देकर बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये । वह यू० पी० में नहीं बढ़ी है ।

मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग पहली मंजिल नहीं होगी । काफी देर बाद यह मंजिल आती है अगर सही माने में कोआपरेटिव फार्मिंग हो । सबसे पहले कोआपरेटिव फार्मिंग के उसूल को आपको कृषि के अन्दर आहिस्ता-आहिस्ता खोजना चाहिये, चूंकि मैं उसको बुनियादी प्वाइंट समझता हूं । कोआपरेटिव क्रेडिट आप कितना ही बढ़ा दें, कर्जा और ऋण कितना भी दे दें, वह दरअसल आपको समाजवाद की तरफ नहीं ले जाता । समाजवाद की तरफ वही फार्म्स आफ कोआपरेशन ले जाते हैं जो प्रोडक्शन के अन्दर, पैदावार के रिश्तों में परिवर्तन पैदा करते हैं । वैसे हर पूंजीपति कृषि के नाम से क्रेडिट पा सकता है । तो समाजवाद की नक्ल करने से कोई फायदा नहीं । यह कोआपरेटिव क्रेडिट अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ । हम कहते हैं कि ३० करोड़ है, लेकिन यह टेस्ट नहीं है कोआपरेटिव मूवमेंट की ग्रोथ का । अगर हम सही मानों में कोआपरेटिव आन्दोलन के जरिये से समाज के अन्दर कुछ मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें कोआपरेटिव के फार्म्स और तरीकों को बढ़ाना चाहिये जो पैदावार के रिश्तों में परिवर्तन पैदा करें, जो पैदावार के तरीकों में परिवर्तन लायें ।

मैं मिसाल पेश करूंगा पोलैंड की और यूगोस्लाविया की जहां आप यह नहीं कह सकते कि क्लेक्टिव ऐग्रीकल्चर हो गयी है । वह दो मुल्क ऐसे हैं जहां पर कोआपरेशन के आधार पर खेती होती है । बलगारिया, रूमानियां में तो क्लेक्टिवाइजेशन ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं पोलैंड गया था यूगोस्लाविया तो गया नहीं——पोलैंड में किसानों ने सर्किल्स बनाये गांव गांव के अन्दर । वही समितियां, कोआपरेटिव समितियां । जो किसान ट्रेक्टर के जरिये, बेहतर औजारों के जरिये खेती करना चाहता है वह कोआपरेशन में आये । सबसे पहले

[श्री जेड० ए० अहमद]

उसको बेहतर इम्पलीमेंट्स दिये जाते हैं । इंकरेजमेंट दिया जाता है । उसके बाद सस्ते दाम पर खाद दी जाती है, राज्य की तरफ से सब्सीडाइज्ड होती है । जो कोआपरेटिव में आता है उसको काफी सस्ती दी जाती है और जो बाहर रहता है उसको दो, ढाई गुना ज्यादा दाम पर दी जाती है । उनको अच्छा बीज दिया जाता है और उनके लिये गाय, बैल का खास प्रबन्ध किया जाता है, सस्ते दाम पर दिलाये जाते हैं । तो आपको चाहिये कि पैदावार के तरीके सुधारो, अच्छा बीज दो, सस्ती खाद दो और छोटे सिंचाई के साधन दो । कोआपरेटिव में इस पर खर्चा होना चाहिये । जब किसान पैदावार के प्रोसेस में सहकारिता के फायदों को देखता है तब वह सहकारिता माइन्डेड हो जाता है । लेकिन आज क्या हो रहा है ? बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के जरिये से पैसा दे दो । मैंने पहले भी कहा था कि इस भीख को रोको, इस रुपये को ले लो और इस पैसे को किसान की पैदावार के तरीकों पर इस्तेमाल करो ताकि किसान के पैदावार के तरीके बेहतर हों और उसको अच्छी पैदावार करने में इन्करेजमेंट हो । आपने इस १५०–१५५ करोड़ रुपये के बजट में सहकारिता के लिये क्या मांगा है ? बहुत थोड़ी रकम मांगी है । मैं समझता हूं इससे तीन गुनी, चार गुनी रकम होनी चाहिये थी । सहकारिता में जो किसान शामिल होता है उसको सस्ती कीमत पर चीजें दो । पोलैंड में सहकारिता वाले और बाहर वालों के दामों में कोई रिश्ता नहीं है ।

अब इस डिमान्ड को लीजिये । मैं आज इस बात के लिये तैयार हूं कि यहां से मंत्री जी चलें, मैं उनके साथ सेक्रेटरी के तौर पर चलने को तैयार हूं, उन केन्द्रों पर चलें जहां बुनकरों की कोआपरेटिव्ज बनी हुई हैं । वहां देखिये कि क्या तमाशा है । मऊ में जाकर देखिये । वहां पर ऐसी-ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं जिनका उद्योग से कोई ताल्लुक नहीं है । उनको जो सूत मिलता है वह चोर-बाजार में चला जाता है और गलत बीजक बनाकर रिबेट खा जाते हैं । मेरा अन्दाजा है कि जो इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज बनी हुई हैं उनमें ५० फीसदी बोगस हैं । वह सिर्फ रुपया कमाने के तरीके हैं । जो रिबेट दी जाती हैं उसके बारे में आप जांच करा लीजिये कि वह किस के जेब में चली जाती है । जो व्यापारी लोग हैं या कोआपरेटिव के ठेकेदार बने बैठे हैं वह गलत बीजक बनवाते हैं और रिबेट खा जाते हैं । इसकी जांच होनी चाहिये लेकिन अफसरों के जरिये नहीं । हम विरोधी दल के जरूर हैं लेकिन हम आपके सामने सही चीज को रखेंगे ।

आपका भाषण मुझे बहुत पसन्द आया, आप कोआपरेशन के मिनिस्टर हैं, आपने कोआपरेशन की अपील की है, बड़ी सुलझी हुई अपील है लेकिन जो गलत कार्यवाहियां हो रही हैं औद्योगिक कोआपरेटिव्ज में उनको खत्म होना चाहिये । उनकी एक मर्तबा मुकम्मिल जांच करवा ली जाय । क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कुछ सुना है उसी को कहूंगा । आपने कहा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है । इसके अलावा एक चीज जरूर है कि आपको कोआपरेटिव बिल में परिवर्तन करना है । कानून इस तरीके का बनाना है कि जो छोटी हैसियत के लोग हैं उनको आसानी से रुपया मिल सके । पुराना कानून दकियानूसी हो गया । पहली असेम्बली के सामने एक नया बिल आया था, वह बेहतर था लेकिन वह लैप्स हो गया । क्यों नहीं आप उसको फिर लाते हैं ? जब तक पुराने कानून को चेंज नहीं किया जायगा आपका कोआपरेटिव आन्दोलन पनप नहीं सकता ।

आपने लेबर कोआपरेटिव्ज की तरफ इशारा किया । लेबर कोआपरेटिव्ज को आपको पुश करना चाहिये । एक-एक जिले में आप जायं । सड़कों का सवाल है, बंधों का सवाल है । मिट्टी डाली जाती है । जब तक हमारी लेबर कोआपरेटिव्स नहीं होंगी तब तक उनको मुनासिब पैसा नहीं मिल पायेगा । ठेकेदार उनको सिर्फ ४–६ आना देता है जब कि गवर्नमेंट से वह १२–१४ आना चार्ज करता है ।

अगर आप कोआपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी यह दरख्वास्त है कि उसके लिये आप एक जन आन्दोलन चलायें । लेकिन आज जिलों की यह हालत है कि कोआपरेशन के लिये जिलों में एम० एल० एज० की कमेटी भी नहीं है, जब कि हर चीज के लिये कमेटीज बनी हुई हैं । जो हमारा बुनियादी उसूल है, कम से कम उसका प्रचार करने के लिये एम० एल० एज० की कमेटी अवश्य होनी चाहिये जिसमें हम अपने सुझाव रख सकें, मिल कर, एक साथ बैठकर कोआपरेशन की समस्याओं पर विचार कर सकें । ऐसा न होने का नतीजा यह होता है कि इस विभाग का सारा काम आफीसरों के सुपुर्द हो जाता है । अगर कोआपरेशन को कामयाब करना है, उसको ऐसे हमलों से बचाना है जैसे टम्बेश्वरी प्रसाद जी के, जो बड़े खतरनाक हैं तो जो लोग इस कोआपरेशन के उसूल को मानते हैं कम से कम उनको एक साथ खड़े होकर, इसको नयी जिन्दगी देकर एक-एक गांव में इसको पहुंचाना है । इस सवाल के ऊपर जो लोग एक दूसरे के नजदीक हैं, चाहे वे एक दूसरे के काम के बारे में आलोचना करें, हम कहें कि काम ज्यादा है, इतना नहीं हो सकता, और आप कहें नहीं हम और ज्यादा करके दिखायेंगे, तो यह तो हो, लेकिन इसके लिये सब मिल कर एक हो जायं और उत्तर प्रदेश की खेतिहर व्यवस्था के अन्दर एकोनामिक समाज में, औद्योगिक समाज में, हम एक नया मोड़ लायें । यह वक्त लेगा लेकिन अगर इस लक्ष्य को हम मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो हम समाज में हो रही लूटमार को खत्म नहीं कर सकते ।

मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से कहूंगा कि यदि वे समाजवाद की बातें करना चाहते हैं, उसके लिये लड़ना चाहते हैं तो डट कर, एक-एक जगह पर जो निकम्मापन सोसाइटीज में हो रहा है, जिसकी वजह से कोआपरेटिव के उसूलों को बदनाम किया जाता है, उसका मुकाबला करना है । यह खराबी इसलिये होती है कि जो अच्छी बातें हैं वे सही तौर पर अमल में नहीं आ पाती । मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव फले फूले और उसकी बुनियाद पर हिन्दुस्तान की बुनियाद बने । यह तभी हो सकता है जब उसका असली रूप ठीक किया जाय और तभी अच्छे उसूलों को बदनाम करने वालों को वैसा करने का मौका नहीं मिल पायेगा और उसको सदियों पीछे ले जाने की जो कोशिश हो रही है, वह नहीं हो पायेगी हम कोआपरेशन और समाजवाद के लिये लड़ेंगे और समाज को पीछे न जाने देंगे । मुझे पूरी उम्मीद है कि हिन्दुस्तान की जनता इसमें कामयाब होगी ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सहकारी खेती को एक तरफ श्री जेड०ए० अहमद साहब ने बोगस करार दिया और दूसरी तरफ जनसंघ के नेता श्री टम्बेश्वरी प्रसाद ने उसको अनावश्यक बतलाया है । इन दोनों आदरणीय व्यक्तियों का जो आक्रमण था वह स्वाभाविक है । क्योंकि जिन आर्थिक सिद्धांतों में वे विश्वास करते हैं और हम लोग जिन आर्थिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा अन्तर है । जनसंघ के आदरणीय सदस्य सहकारी खेती का जो विरोधी करते हैं उसका कारण यह है कि वे प्राइवेट इंटरप्राइज या जिसको प्राइवेट कैपिटलिज्म कहते हैं, उस सिद्धांत में विश्वास करते हैं । उनके अनुसार सहकारी खेती मूलतः बुनियादी रूप में गलत है । क्योंकि सहकारी खेती से वह वर्ग जो आर्थिक क्षेत्र में किसानों का शोषण करता है उसका अन्त हमारे समाज में होता है, इसलिये मूलतः उनको यह सिद्धांत पसन्द नहीं है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सहकारी खेती में ऐसी नयी व बुरी चीज क्या है जिससे उनको आलोचना करने का मौका मिलता है । हमारे देश में सहकारी खेती शिक्षा पर आधारित है । हमने कोई भी ऐसा कानून नहीं बना रखा है जिसके द्वारा हम खेतिहरों को मजबूर करें कि तुम लोग अपने खेतों की हदबन्दी तोड़ कर सहकारी खेती करना आरम्भ करो । यह पूर्णतया शिक्षा पर आधारित है । इसलिये यह अच्छी चीज नहीं होगी कि हम और कोई प्लान बनावें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

माननीय सदस्य की एक बात सुनकर और आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी खेती करने वालों को बहुत काफी रुपये पैसे की मदद देती है। जब राज्य सरकार उद्योगों को मदद देती है, व्यवसाय को मदद देती है, तो यदि कोई आधुनिक ढंग से खेती करना चाहे और उसे राजकीय सरकार मदद दे तो इस पर उनको क्या एतराज हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया।

मैं आदरणीय जेड० ए० अहमद साहब को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उनको नागपुर का कांग्रेस प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्हें कुछ मायूसी अनुभव हो रही है कि नागपुर का कांग्रेस प्रस्ताव इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, विशेष कर सहकारी खेती वाले मसले में। और उनका यह विश्वास है कि जो सहकारी समितियां हमारे प्रदेश में खेती के सिलसिले में बनी हुई हैं, वास्तव में सहकारी खेती नहीं हो रही है। मैं डाक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जिन कम्युनिस्ट सिद्धांतों में वे विश्वास करते हैं, क्या किसी भी कम्युनिस्ट देश में वास्तविक रूप में सहकारी खेती के लिये कोई भी सफल प्रयोग किया गया है? चीन में सहकारी खेती का एक प्रयोग आरम्भ हुआ लेकिन चूंकि वहां मूल सिद्धांत सहकारिता का रहा नहीं लिहाजा जल्दी की वजह से सहकारी खेती को सामूहिक खेती में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन यहां तो स्वेच्छा पर यह चीज आधारित है और कृषक को राजकीय सहायता देकर, एक्सपेरीमेंट के जरिये उनको प्रोत्साहित करके ही सहकारी खेती की तरफ आकृष्ट करते हैं। इसी से शायद उनको मालूम होता है कि सहकारी खेती का आन्दोलन वास्तविक नहीं है बल्कि बोगस है।

फर्स्ट और सेकेंड प्लान में १००–१०० खेतिहर समितियां बनाने की योजना थी और जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार दोनों प्लान में लगभग ४०० सहकारी खेती समितियां बनीं और अब सरकार की यह योजना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६५ या ७५ या ४५ जो बहुत ही विकसित क्षेत्र हैं उनमें १०–१० करके और ऐसी सहकारी कृषि समितियां भी बन सकेंगी। उसमें दस-दस करके और भी सहकारी कृषि समितियां वह बनायेंगे और पूंजी देकर, ऋण देकर और प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर के, सिंचाई व बीज का प्रबन्ध करके और सहकारी समितियों को अधिक अनुदान देकर और जनता को और खेतिहरों को इसका मौका देकर कि वह सहकारी खेती आरम्भ करें ताकि उनके द्वारा पैदावार बढ़ सके और उनके द्वारा प्रशिक्षित होकर राज्य में इस सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ा सके, इस प्रकार का सरकार का आयोजन है। यह जो एक्सपेरीमेंट चल रहा है और जैसा कि अभी डाक्टर साहब ने स्वीकार किया कि किसानों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह खेती को छोड़ना ही नहीं चाहते और वह अपने पुराने सांस्कृतिक विचार के होते हैं और समझते हैं कि यह सहकारिता ऐसी चीज है कि इससे तो हमारे खेत ही छिन जायेंगे अतः हमें देखना है कि उनके मनोभाव को धक्का न पहुंचे। जो एक्सपेरीमेंट हमारे यहां चल रहा है और जो लोग सहकारी खेती में विश्वास करते हैं उनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिये, उनको प्रोत्साहन देना चाहिये और हर तरह से उनको तरक्की करने का मौका देना चाहिये।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मुझे थोड़ा सा सहकारिता के विषय में अनुभव है और पिछले २० वर्षों से मुझे इस आन्दोलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो विचार मैं आप के सामने रखूंगा वे मेरे अनुभव के आधार पर होंगे। संभव है मेरे विचार सत्तारूढ़ दल को पसन्द न आयें या हमारे कम्युनिस्ट साथियों को पसन्द न आयें लेकिन मेरे प्रेक्टिकल सजेक्शन्स होंगे और अनुभव के आधार पर होंगे। अभी श्री रामेश्वरी प्रसाद जी जिन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया, उनके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने अभी अपने विचार प्रकट किये। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि जिन देशों में या भारत ही में जहां भी सहकारी खेती अपनाई

गई है वहां खेती की उपज बढ़ी हो इसका कोई उत्तर कम्युनिस्ट पार्टी या किसी ने नहीं दिया । अब प्रश्न यह है कि जिस मूवमेंट को हम लेकर चलें और जिस पर भावी प्रगति को हम आशा बनाये हैं उसमें जब अभी तक कोई सफलता नहीं हुई तो हम क्यों उसके नाम पर सामाजिक ढांचे की रचना करें । हम उसी चीज का व्यर्थ में एक्सपेरीमेंट करते रहें यह बात समझ में नहीं आती । मेरा संबंध क्रेडिट और बैंकिंग के सर्किल से रहा है । इस विषय में मैं एक सुझाव रखूंगा और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

यह देखने में आया है कि इस विभाग के बारे में कहा तो बहुत कुछ जाता है कि हम सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार चलना चाहते हैं । वास्तव में जिले से और नीचे से जो प्रस्ताव और सुझाव आते हैं उन पर गौर नहीं किया जाता । जिले के लेविल पर और प्रांतीय लेविल पर जिले और प्रांत के सहकारी कार्यकर्त्ता ब्यूरोक्रेसी के हाथ की कठपुतली बन गये हैं और उसका नतीजा यह है कि कोई भी सुझाव जो जिला लेविल से आता है उसको शासन पर हमला समझा जाता है चाहे कोई सुझाव विरोधी पक्ष से आता हो या कांग्रेस विचारधारा की तरफ से आया हो । मेरे जिले में पिछले कई वर्षों से संघर्ष रहा है । मुझे गर्व है कि जिले के सभी पार्टीज के सहयोगी कार्यकर्त्ताओं से मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है । हम यहां किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आते । सेवा भाव से आते हैं । जिन सिद्धांतों को हम अच्छा समझते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये आते हैं । गवर्नमेंट के सामने हमने कुछ सुझाव रखे लेकिन उनको माना नहीं गया और जिस दकियानूसी पालिसी पर वह चल रही है उसी पर कायम है ।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं । कोआपरेटिव बैंक की लोनिंग पालिसी चल रही है । किसान को जो लोनिंग की जा रही है वह फर्जी ज्यादा की जा रही है । टार्गेट पास होता है कि इतना रुपया बांटना है । बिना सोचे हुए किनको आवश्यकता है और किनको नहीं और वह समय पर उनको मिल पाती है या नहीं लोनिंग कर दी जाती है । कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो यह चेक करे कि किसानों में जो लाखों रुपया बांट दिया जाता है वह वास्तव में उनके पास पहुंच पाता है या नहीं । इसके अलावा ५ परसेंट, १० परसेंट तक डिसकाउंट सुपरवाइजरी स्टाफ और अन्य स्टाफ किसानों की गाढ़ी कमाई में से लोनिंग के वक्त खा जाता है । शिकायतें हुई लेकिन कोई मशीनरी इवाल्व नहीं हुई कि किसानों को जो रुपया दिया जाता है उसे देख सके कि वह उन तक पहुंचता है या नहीं ।

जो लेंडिंग रेट है किसानों के लिये वह बहुत ज्यादा है । रिजर्व बैंक से प्रांविशियल कोआपरेटिव बैंक को रुपया २ परसेंट पर मिलता है लेकिन किसानों के पास वह ६ परसेंट तक पहुंचता है । डिस्ट्रिक्ट लेविल के बैंक्स को अगर डायरेक्टली रिजर्व बैंक से लिंक कर दिया जाय शेडयूल्ड बैंक्स की तरह तो किसानों को सस्ते दर पर कर्जा मिले और जिला वालों को जो दो परसेंट लेंडिंग रेट ज्यादा देना पड़ता है वह न देना पड़े । हम कोआपरेटिव सिस्टम को बुरा नहीं कहते लेकिन कोआपरेटिव के उन सिद्धातों को जो उसे भ्रष्टाचार की तरफ ले जाते हैं उनका हम विरोध करते हैं ।

जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन हैं उसकी जांच की जाय । सीतापुर का अनुभव है मुझे कि जो आडिट रिपोर्ट्स हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता । ध्यान दिया जाता तो शायद सुपरसीड उसको कर दिया जाता या डिजाल्व कर दिया जाता । शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन लाभ पर चल रहा हो । उनके जरिये किसी तरह से असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का खर्च चलाया जाता है और जो हुजूरी अथवा चापलूसी करने वालों को पैट्रोनेज मिलता है । लिहाजा इन फेडरेशन्स की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये । आडिट डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज से अलग कर देना चाहिये और उसका लिंक आडिटर जनरल से या प्रांत के आडिट विभाग से कर देना चाहिये, वर्ना वह सही बात नहीं कह सकता और अगर कोई सही बात वह कहता भी है तो उस पर अमलदरामद नहीं होता ।

[श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा]

आज लोनिंग की भी कई एजेंसीज हैं---गल्ला समितियां, कोआपरेटिव समितियां। जो किसान जिस एजेंसी से चाहता है रुपया कर्ज ले लेता है। यह नहीं सोचता कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। आवश्यकता यह है कि कर्ज देने वाली एक ही एजेंसी हो और रियलाइज करने वाली भी एक ही एजेंसी हो।

एक प्रश्न और उठता है कि क्या जो सहकारी कर्जा बंट रहा है इससे किसानों की हालत अच्छी हुई है? उनको थ्रिफ्ट सिस्टम की कोई आदत नहीं डाली गयी। क्या यह कोई अच्छी स्कीम है कि हर वक्त कर्जा ही देते जायं और उनको हमेशा कर्जदार ही रखा जाय? आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे अहलकार जायं वे देखें कि गांव वाले सहकारी समितियों में कितना अपना निजी फंड बना सकते हैं जिससे कि कुछ वर्षों में वे स्वावलम्बी हो जायं। सहकारी समितियों का यही मतलब नहीं है कि हमेशा उनको कर्जा दिया जाय। अगर इस तरह की कोई स्कीम चलायी जाय जिससे वे धीरे-धीरे अपना कैपिटल इकट्ठा कर सकें और इस काबिल हो जायं कि वे कर्जा न लें तो वह ज्यादा अच्छा हो।

इन शब्दों के साथ में आदरणीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने और विरोधी भाई टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका घोर विरोध करने खड़ी हुई हूं। उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ने कुछ वर्षों में ही बड़ी प्रगति की है इसमें दो रायें नहीं हैं और यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह निर्विवाद है कि सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और भविष्य में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने में यह सहायक सिद्ध होगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कुछ दिक्कतें इसमें सामने आया करती हैं जिनका आसानी से निराकरण किया जा सकता है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने चन्द सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूं।

पहला निवेदन मेरा यह है कि सोसाइटियों से जो कर्ज किसानों को दिया जाता है उसमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ६-६ महीने तक दफ्तरों में उनके प्रार्थना-पत्र पड़े रहते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उनको जो कर्ज दिया जाता है वह एक माह के अन्दर ही दे दिया जाय। कभी-कभी ऐसा होता है कि सरपंच जा कर अन्य सदस्यों का कर्जा ले आता है और अपने कामों में खर्च कर डालता है और जब वापसी का समय आता है तो वह कर्जा जिन सदस्यों के नाम से होता है उनको देना पड़ता है जिसकी वजह से उनको बड़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य के पास सीधे बैंक का ड्राफ्ट भेजा जाय।

इसके अलावा सीड स्टोर्स पर गल्ला समय के अन्दर और किसान की मांग के मुताबिक आना चाहिये। कभी-कभी ऐसा होता है कि बे टाइम जब ज्यादा गल्ला आ जाता है तो किसानों के ऊपर जबरदस्ती लादा जाता है और फिर उनसे एक मुश्त मांगा जाता है जिसको वापस करने में वे बहुत परेशान होते हैं।

तीसरा निवेदन यह है कि आज दस-दस किसानों को एक दूसरे की जमानत पर गल्ला दिया जाता है और उनकी जमानत और बांड फार्म पर पहले से ही सिगनेचर्स करवा लिये जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि एक ही सदस्य उन ९ आदमियों का गल्ला ले आता है और अपने कामों में खर्च कर डालता है और जब वापसी का समय आता है तो उन ९ सदस्यों के नाम से कुर्की के वारन्ट इश्यू होते हैं जिससे कोई अपने पशुओं को बेंच कर, कोई जमीन बेंच कर और कोई मकान बेंच कर अदायगी कर पाता है। इसमें किसान बरबाद हो जाता है।

इसलिये यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति गल्ला ले उसी के सिगनेचर को कृषि इंस्पेक्टर तस्दीक करे जिससे जो गल्ला ले उसी से वापस लिया जा सके ।

मान्यवर, हमारी प्रदेशीय सरकार जो कृषि फार्मों को सहायता देती है वह नहीं के बराबर है । यह जरूरी है कि कृषि फार्मों को सुचारु रूप से चलाने के लिये बन्दी, फैंसिंग और ट्रैक्टर वगैरा के लिये जो अनुदान पहले दिया जाता था वह उसी प्रकार दिया जाना चाहिये। मान्यवर, बैंक के मैनेजरों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होनी चाहिये और तीन वर्ष के पश्चात् उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर देना चाहिये । बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो लगातार बने रहते हैं उस पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये । एम०एल०एज, एम०एल० सीज और एम० पीज इसके पदेन सदस्य होने चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हुई सहकारी मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का पुनः समर्थन करती हूं ।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में जो सैद्धांतिक मत डाक्टर साहब ने उपस्थित किया मैं उससे पूर्णतया अपनी सहमति प्रगट करता हूं । इस बात को मैं स्पष्टतया स्वीकार करता हूं कि यदि हम समाजवादी समाज को स्थापित करने के लिये कृतसंकल्प हैं तो उसकी आधारशिला सहकारी समाज की स्थापना ही हो सकती है और उसकी नींव पर ही समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है । लेकिन जहां तक सहकारी समाज बनाने का प्रश्न है यह बात स्पष्ट है कि सहकारी समाज जनता की सहमति से ही बन सकता है और जनता की लाचारी और असमर्थता से नहीं बन सकता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी गांव या शहर के औद्योगिक क्षेत्र के दस बीस आदमी मिलजुल कर सहकारिता से काम करना चाहते हैं तो प्रदेश के प्रशासन को उनको प्रोत्साहन देना चाहिये, उनका मार्ग प्रदर्शन करना चाहिये, यह बात तो समक्ष में आती है बल्कि प्रशासन यह भी करे कि लोगों को सहकारिता का मूल्य समझाये और महत्व बताये। लेकिन सहकारिता लोगों पर जबरदस्ती लादी जाय, लोगों को विवश किया जाय कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा अफसरों की सनक पर तो यह चीज हानिकारक होगी । सैद्धांतिक रूप में मैं इससे सहमति प्रकट करता हूं । लेकिन जो हम व्यवहार में देखते हैं वह उससे भिन्न है जो थ्योरी में कहा जाता है । यहां पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं या रजिस्ट्रार हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनके मौलिक आदेश जाते हैं जिनका पालन करना डी० सी० ओज० अपना परम पुनीत कर्त्तव्य समझते हैं और जो अत्याचारपूर्ण तरीके हैं उनको अपनाया जाता है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यहां पर जो रजिस्ट्रार की बिल्डिंग है वह गिर गई । प्रदेश की तमाम सोसाइटीज के पास लखनऊ से आदेश पहुंचे कि रजिस्ट्रार के दफ्तर की बिल्डिंग बनाने के लिये प्रत्येक सोसाइटी ५०० या ३५० रुपया दे । बहुत सी सोसाइटियों ने जिनको २/४ हजार रुपये सालाना का मुनाफा है उन्होंने रुपया लखनऊ में भवन बनवाने के लिये दे दिया । लेकिन जिन्होंने सोचा कि हमें अपनी सोसाइटी का काम करना है और दबाव डालने पर भी रुपया नहीं दिया तो उन्हें हरैस किया गया । उनके प्रार्थना-पत्र मंजूर नहीं किये गये, उनको रुपया नहीं दिया गया । इससे सहकारिता के संबंध में आम आदमियों के दिमाग में कटुता की भावना पैदा होती है और बजाय आकर्षण होने के लोगों में रिपल्शन, घृणा होने लगती है ।

अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो जिला बैंक हैं या समितियां हैं उनमें सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित कर रखा है कि वह कुछ आदमियों को नामजद करेगी । वैसे उसूलन नामदजगी सही नहीं कही जा सकती है, लेकिन यदि सरकार उसको रखना चाहती है तो मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य केवल यह है कि जो सहकारी आन्दोलन में विश्वास रखते हैं या उसके ज्ञाता हैं और उसको अपनी अमूल्य देन दे सकते हैं अगर वे लोग चुनाव में नहीं जा सकते हैं तो सरकार उनको नामजद कर दे । लेकिन देखा यह गया है कि सरकारी पार्टी के लोगों

[श्री सहदेवसिंह]
का बहुमत बनाने के लिये या विरोधी बहुमत को अल्पमत में तब्दील करने के लिये ऐसे-ऐसे लोगों का नामांकन करते हैं जो सोसाइटीज से कोई संबंध नहीं रखते, जिनको सहकारी आन्दोलन का कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह से पवित्र सहकारी आन्दोलन विषाक्त हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है जिले में कि जब कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का चुनाव होता है, उसमें नामिनेशन करने का अधिकार रजिस्ट्रार को होता है, लेकिन उसमें मंत्री और उपमंत्री हस्तक्षेप करते हैं और उनके आदेश के अनुसार ऐसे लोगों की नामजदगी कर दी जाती है जो सहकारी आन्दोलन के लिये हानिकर होते हैं।

पहले यह नियम बनाया गया था कि जो सहकारी समितियां हैं, उनमें रोजगार करने वाले शामिल नहीं हो सकते। जैसे मार्केटिंग सोसाइटी में गल्ले का काम करने वाले डाइरेक्टर्स नहीं हो सकते थे। उस नियम को संशोधित कर दिया गया। आज कल की हालत यह है कि मार्केटिंग सोसाइटियों में वही लोग बैठे हैं जो अलग से गल्ले का व्यवसाय करते हैं। वह अपने व्यवसाय को चमकाने के लिये मार्केटिंग सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं।

अभी मंत्री जी ने बताया कि जो ऋण दिया जाता है उसकी वसूली गल्ले की शक्ल में की जाती है। मैंने जो प्रोनोट है उसको अच्छी तरह से देखा है। उसमें यह दिया हुआ है कि किसान अपना गल्ला मार्केटिंग सोसाइटी की मार्फत बेचेगा। उसमें यह नहीं है कि अपने ऋण की अदायगी गल्ले के जरिये से करेगा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कर्ज लेते हैं लेकिन उनके घर का खर्चा इतना ज्यादा है कि वह गल्ला नहीं बचा पाते ताकि गल्ले में कर्जा अदा करें। इसलिये जो और साधन हैं, जैसे बैल बेच कर, या दूसरे रोजगार से या नौकरी से पैसा अदा करना चाहते हैं। लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि गल्ले में अदायगी करें। नतीजा यह होता है कि बाजार से गल्ला खरीदना पड़ता है। ऐसी दशा में उनको आठ-दस रुपये सैकड़ा का नुक्सान उठाना पड़ता है। जब उनके पास गल्ला में अदायगी करने के लिये गल्ला नहीं होता तो सहकारी विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमको दो रुपये सैकड़ा दो तो हम फर्जी गल्ला जमा कर देंगे और फर्जी गल्ला बिका हुआ दिखला देंगे। भर्थना में ऐसा ही हुआ। सैकड़ों किसानों का गल्ला फर्जी जमा कर दिया गया। फर्जी रसीदें बिके हुये गल्ले की काट दी गयीं। पस्तूमल सिंधी, और रामनारायण के नाम दिखला दिया गया कि गल्ला बेचा गया। इन नामों के कहीं कोई आदमी नहीं थे। न गल्ले की बिक्री हुई। अन्त में जुडीशल इनक्वायरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मालूम हुआ कि तमाम फर्जी इंट्रीज की गयी थीं। लेकिन फिर भी सहकारी विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया।

जिस तरह से मार्केटिंग सोसाइटीज में गल्ले के व्यापारी घुसे हुये हैं उसी तरह से डी० सी० डी० एफ० में ईंट के भट्ठों के व्यापारी घुसे हुये हैं। हमारे जिले का तजुरबा है चूंकि वह अपना भट्ठा भी चलाते हैं और सहकारी भट्ठा चलाते हैं। नतीजा यह हुआ कि सहकारी भट्ठे प्रति वर्ष कम होते गये और इटावा जिले में कोआपरेटिव भट्ठों की संख्या आधे से कम रह गयी और प्राइवेट भट्ठों की संख्या पहले से दूनी हो गयी। मैं साफ तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि प्राइवेट भट्ठे चलाने वाले लोग स्वयं जा कर डी० सी० डी० एफ० में अधिकारी बन गये और उन्होंने सहकारी भट्ठों को हतोत्साहित किया और प्राइवेट भट्ठों को बढ़ाने में मदद की।

डी०सी०डी० एफ० के संबंध में दूसरी शिकायतें की जाती हैं। आपने बजट में बताया है कि सुपरिन्टेंडेन्स में ३९ लाख रुपये खर्च करेंगे। यह बहुत जरूरी है कि जहां पर इतनी सोसाइटियां हों उनका निरीक्षण अच्छी तरह से हो, नियम के अनुसार काम चले इसलिये बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है। लेकिन देखा यह गया है कि जो आडिटर्स वगैरह हैं वह सरकारी पार्टी के लोगों से डरते हैं। वह देखते हैं कि गलत चीज है लेकिन वह लिख नहीं सकते और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि वहां जो सरकारी पार्टी के

आदमी हैं वह दौड़े हुये लखनऊ आते हैं और मिनिस्टर साहबान से या दूसरे अधिकारियों से हुक्म लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि आडिटर की रिपोर्ट धरी रह जाती है और गड़बड़ियां बदस्तूर चलती ही रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो अपना अनुदान प्रस्तुत करते हुये रिक्शा पुलर्स की, कृषकों और पशु पालकों की सहकारी समितियां बनाने का आश्वासन दिया है उसके लिये सदन के सभी माननीय सदस्य उनके आभारी हैं । अगर यह हो सका तो गरीब श्रमिकों को भी इकट्ठा होने और अपना संगठन करने का मौका मिलेगा । किन्तु यदि इसको सफल बनाना है तो इसके लिये आपको बहुत सी नयी-नयी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसके लिये नये-नये नियम बनाने पड़ेंगे । उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रिक्शा पुलर का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं । दो तीन वर्ष हुये महामान्य राज्यपाल ने इस सरकार की नीति का प्रतिपादन किया था कि यह सरकार रिक्शा चलाने के कार्य को अच्छा नहीं समझती, अवांछनीय समझती है इसलिये १० वर्ष में इसको समाप्त कर देना चाहती है, और इस नीति को सफल करने के लिये उसने म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरिया कमेटीज को यह आदेश दिये कि वह प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत के हिसाब से रिक्शा के लाइसेंस को समाप्त करते रहें जिससे १० वर्ष में यह व्यवसाय बिलकुल समाप्त हो जाय । परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट ने अपनी वह नीति छोड़ दी । वास्तव में वह सफल नहीं हो सकती थी बावजूद इसके कि मैं यह मानता हूं कि रिक्शा चलाने का कार्य बहुत घृणित कार्य है और इससे देश के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है लेकिन इस बेकारी के जमाने में जब हम लोगों को बाकार नहीं बना सकते । अगर रिक्शा को भी हटा दें तो बेकारी बहुत बढ़ जायगी । परन्तु म्युनिसिपल बोर्ड्स ने यह नीति अपना ली कि उन्होंने लाइसेंस देना समाप्त कर दिये । इसलिये यदि आप उनकी सहकारी समितियां बनाते हैं तो उसके लिये आपको नियम भी बनाने पड़ेंगे कि वह म्युनिसिपल बोर्ड्स जहां सहकारी समितियां बनती हैं वहां पर १०,१५ पुराने जो रिक्शा ओनर्स के नाम से लाइसेंस पर चल रहे थे उनका लाइसेंस समाप्त करते चले जायं और सहकारी समितियों को लाइसेंस देते चले जायं । इसके साथ ही साथ पशुपालकों की जो समितियां बनाने का इरादा रखते हैं उसके लिये कहने की जरूरत नहीं है कि वह अच्छा कदम है ।

इसके अलावा, मार्केटिंग सोसाइटीज जो आपने बनाईं उनके लिये मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वे असफल रही हैं । कोई भी किसान अपना माल उनमें ले जाने के लिये तैयार नहीं होता क्योंकि उसको दुश्वारियां वहां बढ़ती हैं । आपके अधिकारियों ने किसानों को मजबूर कर दिया है, वह उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुम अपना गल्ला मार्केटिंग सोसाइटी में नहीं लाओगे तो रुपया नहीं मिलेगा और इसलिये मजबूर होकर, अपनी खुशी से नहीं किसानों को अपना माल इन सोसाइटियों तक लाना पड़ता है । वह थोड़ा बहुत माल अपना ले आता है और वह भी मजबूरी की वजह से, तो सरकार को इस तरीके को समाप्त करना होगा और जितनी जल्दी समाप्त कर सके उतना ही अच्छा है ।

दूसरी बात जो मुझे और कहनी है वह है हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों आदमी मंडियों के अन्दर व्यापार में लगे हैं और उनके साथ हजारों श्रमिक उसमें काम करते हैं । दूसरे लोग भी हैं जो लगे हुए हैं । इस बेकारी के जमाने में जब हम बेकार को बाकार बनाने में असफल हैं अगर मंडियों के कार्य को भी आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम बेकारी को और बढ़ाते हैं और जबकि उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशव गुप्त]

बेकारों की संख्या बढ़ेगी तो उनको हम किसी हालत में भी कारबार देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं । स्वयं मैं इस बात को मानने वाला हूं कि जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं वह सब जनता के हाथ में हों, स्टेट के हाथ में हों और जनता के ही द्वारा उन उत्पत्ति के साधनों को चलाया जाय और सम्पत्ति का उचित वितरण हो । लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करते आंशिक रूप से ऐसा कदम उठाने से लाभ नहीं हो सकता, हानि की ही सम्भावना अधिक है ।

दूसरी बात यह है कि आपने लार्ज साइज सोसाइटीज बनायीं वह भी असफल रहीं जबकि साधन समितियां अच्छी तरह से काम करती थीं । लेकिन लार्ज साइज सोसाइटियां बनाने के लिये अधिकारियों ने उनको मजबूर किया । उससे न ऋण लेने में आसानी होती है न और कोई आसानी किसी को होती है । बल्कि उलटे झूठे तरीके से किसी गांव के नाम से ऋण लिया जाता है और उसका दुरुपयोग होता है, फिर उसकी तहकीकात होती फिरती है । तो यह बहुत दिक्कत आ गई है और जितनी जल्दी इन लार्ज साइज सोसाइटीज को आप खत्म कर दें और उनकी जगह साधन सहकारी समितियां कायम कर दें उतना ही अच्छा है और उतना ही उससे सहकारिता को लाभ होगा ।

तीसरी बात सहकारी खेती के सम्बन्ध में कही गई । मैं भी यह मानता हूं कि अभी हमारे देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि सहकारी खेती यहां सफल हो सके । मुझे खुद जानकारी है कई सहकारी कृषि समितियों की जो एक या दो वर्ष में समाप्त हो गई, नहीं चल सकीं । वह एक दूसरे से सहयोग नहीं कर सकें । ऐसी समितियां भी बनीं जो कि एक ही खान्दान के बारह, चौदह आदमियों ने मिलकर बनायीं । उनमें आशा थी कि सहयोग होगा लेकिन वह भी एक या दो वर्ष के बाद नहीं चल सकीं । आपस में झगड़ा हुआ और वह समाप्त हो गई । इसलिये मौजूदा जमाने में यह मनोवृत्ति हमारे दिमाग में नहीं है, हमारे काश्तकारों में अभी वह मनोवृत्ति नहीं है और न हमने उसके अन्दर वह क्षमता ही पैदा की है क्योंकि चारों तरफ समाज एक प्राफिट मोटिव को लेकर चलता है, लाभ में फंसा हुआ है, हम समाज के अन्दर इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ लीड करना चाहते हैं । तो समाज की ऐसी परिस्थिति में जहां कि हर तरफ प्राफिट मोटिव काम कर रहा हो, जहां कि लाभ के हित में लोग कार्य कर रहे हों, वहां पर कृषि में सहकारिता को चलाना एक बहुत मुश्किल काम है और वह असफल रहेगा, तब तक असफल रहेगा जब तक कि आर्थिक व्यवस्था में ही आमूल परिवर्तन न हो और इस तरह से तमाम साधनों को अपने हाथ में न लिया जाय । आंशिक रूप से किसी कार्य को करने से कोई लाभ नहीं होगा । इसी कारण आज हमारी आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त दिखाई पड़ती है । हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ते और हमारे यहां भयंकर आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है । सब उत्पत्ति के साधन कुछ हाथों में बंटते हैं और कुछ हाथों से निकलते जा रहे हैं । यह हमारे देश की अवस्था है । मार्केटिंग सोसाइटीज, लार्ज साइज सोसाइटीज और सहकारी खेती इन पर बड़ी गम्भीरता से आप सोचें और जितनी जल्दी इनकी तरफ से आप अपने ध्यान को हटायें उतनी ही जल्दी देश का और प्रदेश का फायदा होगा ।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता ही एक ऐसी चीज है जिससे कोई पिछड़ा हुआ मुल्क आगे जा सकता है । सहकारिता का मूल सिद्धांत ही है कि एक सबके लिये और सब एक के लिये प्रयत्न करते हैं । लेकिन सहकारिता आन्दोलन सरकार जिस तरह से गांवों में चला रही है उससे आज गांव की जनता सहकारिता से ऊबती जा रही है । सहकारिता के द्वारा आज जो गांवों में सरकार ने बीज भंडार कायम किये हैं वह वही काम कर रहे हैं जो पहले के पूंजीपति करते थे । एक रुपये का डेढ़ रुपया वसूल करते थे । छः महीने के बाद रबी की फसल होती है, उस पर सीड स्टोर सवाई वसूल करता है और फिर छः महीने के बाद खरीफ का बीज देता है और सवाई वसूल करता है । इस तरह एक मन पर सीधे डेढ़ मन हो जाता है । यह सरकार की नीति इतनी गलत नीति है कि जिससे किसानों

की कमर वैसे ही टूटी जा रही है जैसे कि पुराने लोग किसानों की कमर तोड़ते थे। इतना ही नहीं आप सहकारी समितियों के कार्यों को देखें। ऋण लेने की व्यवस्था भी अजीब है। ऋण लेने के नाम पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज किसानों का शोषण करते हैं।

कुछ लोगों ने सहकारी आन्दोलन का विरोध किया है। आपको मालूम होना चाहिये कि इस देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शोषण करते हैं। जो बड़िया बैंक होता है वह १०० रुपया देता है और २०० रुपया वसूल करता है। तो ऐसे लोग मुल्क में कभी नहीं चाहते हैं कि सहकारी समिति कायम हो जिससे लोग वहां पर आपस में मिलकर तरक्की कर सकें। कोआपरेटिव सोसाइटीज आज गांव में जिस तरह से काम कर रही हैं उनकी हालत भी आप देखें। उनकी हालत यह है कि उनकी जो केन यूनियन है वह इस तरह से करती है कि गरीब आदमियों का गन्ना खड़ा रह जाता है। आज भी गरीब आदमियों का गन्ना खड़ा हुआ है लेकिन जो बड़े-बड़े लोग थे उनका गन्ना पेरा जा चुका है। जिनके पास थोड़ा-सा भी खेत है उनका गन्ना खड़ा हुआ है। यह गन्ना सहकारी समितियों की हालत है। पहली मई से उनके गन्ने की कीमत कम होने जा रही है। जो गरीब थे उनकी कमर टूटी जा रही है। बड़े-बड़े लोग, जिनके पास २०, ३० एकड़ गन्ना था उन्होंने अपना गन्ना गिरा लिया। तो सहकारी समितियों के कार्य आज जो गांव में चल रहे हैं वह इस तरह के हैं। सरकार जानती है कि गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब हैं। बहुत से दीन होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खेत हैं बैल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बैल है लेकिन खेत नहीं है। अगर सहकारी समिति के द्वारा गांव में खेती की जाय तो कोई वजह नहीं है कि गांव तरक्की न कर जायं। गांव वैसी ही तरक्की कर सकते हैं लेकिन जबरदस्त लूट नहीं की जा सकती।

आज आप देख लीजिये कि सहकारी समितियों में किस तरह से गबन होता है। इसी सदन में पारसाल मदन पांडेय ने बतलाया था और यहां मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि गोरखपुर सहकारी बैंक में एक लाख रुपये से ज्यादा का गबन हुआ लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिन माननीय सदस्य को कसूरवार बताया था वह आज इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आते हैं। इसलिये सहकारी समितियों में गबन और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसूल इतना अच्छा होते हुये भी, सिद्धांत इतना अच्छा होते हुये भी, आज वह नाकामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। आज कोआपरेटिव सोसायटी में भाई भतीजावाद कायम है। आज वहां पर कोई गबन करता है तो आकर कहता है कि बचाओ हम तो तुम्हारे भाई हैं, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। मिठौली बाजार में एक आदमी ने फर्जी निशान लगाकर २० काश्तकारों के नाम १०,१० मन गल्ला ले लिया और वहां पर छोटे-छोटे काश्तकारों ने गल्ला नहीं लिया। वह आज बेचारे गिरे हुये हैं। बैल बांधे जाते हैं।

एक बात और बतलाऊं कि यह सहकारी समिति जो है आज किसान उससे क्यों दूर भागता जा रहा है। इसकी बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि इसकी कुर्की तब इजरा होती है जब आषाढ़ में किसान अपना बैल लेकर खेत पर जाता है। उसकी कुर्की तब इजरा होती है जबकि कातिक में किसान खेत पर अपना बैल लेकर जाता है। उसका बैल कुर्क होता है, नीलाम होता है और उससे मुल्क की पैदावार घटती है। यह सरकार जिसका दिमाग बिलकुल कुन्द हो गया है यह मुल्क की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं करती है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यदि गांव में जांच की जाय तो मालूम होगा कि ९ फीसदी सूद इन सोसाइटियों में कम होने पर भी किसान इन सोसाइटियों से ऊब गया है। जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता ऐसे समय पर उसके वहां कुर्की आती है और वह किसी प्रकार दस, पांच रुपया देकर कुर्क अमीन से अपना पिंड छुड़ाता है। इन समस्याओं पर आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारे देश के किसानों की किसी हालत में भी कार्तिक या आषाढ में कुर्की नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह समय खेत पर काम करने का होता है। यदि किसान उस समय खेत पर डटता है तो उससे देश की उपज बढ़ती है और यदि

[श्री दुर्योधन]

वह और दूसरे कामों में फंस जाता है तो उससे देश की पैदावार कम होती है, मुल्क का नुकसान होता है। इसलिये इतना उत्तम उद्देश्य होते हुए भी यह सहकारिता किसानों से दूर होती जा रही है। हमारी पार्टी की दाम नीति यदि मान ली गयी होती तो शायद आज देश को इन समस्याओं का मुकाबला न करना पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सहकारिता के आन्दोलन ने हमारे देश और प्रदेश के गांवों के लिये बहुत बड़ा काम किया है। पिछले जमाने में होशियार जमींदार और व्यापारी अपना जाल सारे प्रदेश में कर्ज देने के लिये बिछाये हुए थे और जिस समय कर्ज के भार से मजदूर की और किसान की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी उस समय उन्हें बचाने के लिये हमारे सहकारी आन्दोलन ने बड़ा काम किया है। सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा देकर उन्हें बचाया है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई मन्त्री इस समय यहां सदन में नहीं है। मुझे निवेदन यह करना है कि परम्परा यह रही है कि कैबिनेट रैंक का कोई मन्त्री यहां उपस्थित रहता है, लेकिन यहां सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप बैठिये।

श्री नरसिंहनारायण—आप मुझे सुन तो लीजिये। मैं आपका ध्यान माननीय टंडन जी की उस व्यवस्था के प्रति दिलाना चाहता हूं कि जब एक बार माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए फाइलें देख रहे थे उस समय अध्यक्ष टंडन जी थे। उन्होंने रूलिंग दी थी कि यहां कोई फाइल नहीं देखी जा सकती। आप अपने दफ्तर में जाकर फाइलें देखें। तो आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—बात ऐसी है कि अभी माननीय सहकारिता मन्त्री जी यहां थे। आप जानते हैं कि तरह-तरह की जरूरत पड़ सकती हैं। वह थोड़ी देर के लिये गये हैं लेकिन दूसरे मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। लिहाजा यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है। शारीरिक या दूसरी जरूरतें उनको पड़ सकती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस समय मन्त्री जी कोई बारात करने नहीं जा सकते। इसके लिये उन्हें बाद में जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह ५ मिनट के लिये गये हैं और इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवसम्पति शर्मा—मैं कह रहा था कि हमारे सहकारिता आन्दोलन ने एक बड़ा काम हमारे गरीब काश्तकारों और मजदूरों को सस्ते दर पर कर्ज देकर किया है और उसके लिये हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिये। यह हो सकता है कि व्यवस्था में कुछ त्रुटि हो, जिसका जिक्र समय-समय पर हमारे माननीय सदस्यों ने या अलग तरीके से गांव के लोगों ने किया है और करते रहे हैं। नया हमारा आन्दोलन है, नया हमारा कार्यक्रम है, पीढ़ियों से हमारा देश गुलाम भी रहा है, ऐसी सूरत में कहीं कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे कोआपरेटिव आन्दोलन का प्रसार और कार्य चल रहा है वह सराहनीय है। इससे गरीबों को बहुत सहायता पहुंच रही है और हर क्षेत्र में छोटे-छोटे सम्प्रदायों को लाभ पहुंच रहा है। जो इसमें छोटी-छोटी त्रुटियां हैं वे भी धीरे-धीरे दूर होंगी। हम सभी

लोगों को जो कोआपरेटिव आन्दोलन में विश्वास करते हैं यह उम्मीद है कि यह आन्दोलन सफल होगा और इसकी त्रुटियां जल्द दूर ही होंगी ।

जहां तक कृषि सहकारी समितियों के बारे में विरोधी पार्टी के नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में हमने कहीं ऐसा निश्चय नहीं किया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में किसी काश्तकार को जबरदस्ती शामिल किया जायगा । जो काश्तकार अपनी खेती को सहकारिता के आधार पर करना चाहेंगे, जो उन साधनों से फायदा उठाना चाहेंगे, उन्हें उसके लिये स्वतन्त्रता होगी । चुनाव के दरमियान जन संघ की तरफ से जो यह बात कही गयी कि सहकारी कोआपरेटिव सोसाइटी सरकारी सोसाइटी होगी इसमें काश्तकारों को कोई हक नहीं होगा, वह बात बिलकुल निर्मूल है और उसमें कोई तथ्य नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सहकारी विभाग द्वारा जो सबसे प्रशंसनीय कार्य हुआ है वह है बड़े-बड़े शहरों में दूध की सप्लाई का । बड़े-बड़े शहरों में एक छटांक दूध भी नहीं मिलता था । मिल्क यूनियनों ने जिस ढंग पर सहकारिता के आधार पर यह कार्य किया वह सराहनीय है और वह काम दूसरे किसी प्रकार से होना सम्भव नहीं था । पृष्ठ ५५ पर जो दूध वितरण के आंकड़े दिये गये हैं उनसे पता चलता है कि इस क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य हुआ है । लखनऊ में ही करीब १ लाख ८ हजार कुछ मन दूध की सप्लाई पिछले वर्ष हुई । यह सारा काम ऐसा है जो कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा ही हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राधेश्याम—श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(गणना के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—कोरम है ।

श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय पं० जवाहर लाल नेहरू इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि गांव की पिछड़ी और गिरी हुई दशा को सुधारने के लिये स्कूल, पंचायत और कोआपरेटिव सोसाइटी, यह तीन मुख्य साधन हैं । इनसे ही गांवों की तरक्की निश्चित रूप से होगी । हममें से अधिकतर माननीय सदस्य गांवों से आते हैं और जो सीधे गांव से नहीं आते हैं उनका भी अपने सार्वजनिक जीवन में गांव से सम्पर्क पड़ता है, वह भी गांवों की दशा को अच्छी तरह से जानते हैं । मेरा अपना खयाल है कि हम सब आदरणीय पं० जवाहर लाल नेहरू की इस बात से सहमत हैं कि ये साधन गांवों के विकास में बड़े सहायक होंगे । जहांतक सिद्धांत का सवाल है, हम सभी सहमत हैं, परन्तु सिद्धांत तो मार्ग-दर्शन के लिये होता है और उससे प्रेरणा और सहायता मिलती है, परन्तु हमारी समस्याएं हल नहीं होतीं, जो हमारा उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने में भी कोई सहायता नहीं मिलती । सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं और उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता हो सकती है ।

एक सदस्य—सदन में कोरम पूरा नहीं है, आप इसकी व्यवस्था कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—जब आप कहेंगे तो मैं गिनती गिनवा लूंगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ।

(गिनती कराने पर)

कोरम है । शिवदानसिंह जी, भाषण जारी रखें ।

श्री शिवदानसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिद्धांतों को व्यवहार रूप में लाने से ही हमारी समस्याएं हल होती हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है । इसलिये

[श्री शिवदानसिंह]

इन संस्थाओं का संचालन और व्यवस्था सही हाथों और सही दशा में होनी चाहिये तभी गरीबी दूर होगी और हमारा विकास होगा। सहकारिता जन-आन्दोलन है और इसकी सफलता के लिये पारस्परिक सहयोग और आपस में प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। यह सौभाग्य की बात है कि अब तक इस विभाग में हमारे यहां पार्टी-बन्दी नहीं थी और प्रेम और सहयोग से कार्य संचालन होता था, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके हाथों में शासन की बागडोर है उनका अमल थोड़े दिनों से कुछ विपरीत दिशा में चलता है। वह सहकारिता को अपने दल की शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने में उपयोग में लाते हैं। मेरा अपना उदाहरण है कि मैं गत वर्ष डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर था और मुझे कानून और नियमों के खिलाफ, केवल इसलिये कि मेरा सम्बन्ध दूसरी पार्टी से था गैरकानूनी तरीके से समय के पहले अलग कर दिया गया। नियम यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को या तो एक साल हो जाय या वहाँ कम से कम वार्षिक अधिवेशन हो जाय उसके बाद हटाया जा सकता है। वार्षिक अधिवेशन होने वाला था, मेरे नाम से रिपोर्ट छपी थी लेकिन उससे १० दिन पहले अलग कर दिया गया। मुझसे लोगों ने कहा था कि अब तो मिनिस्ट्री बदल गयी है, आपको निकाला जायगा। पर मुझसे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। मैं समझता था कि मैं तो कांग्रेस का हूं, अगर विरोधी दल की गवर्नमेंट आती तो वह भी ऐसा गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। यह समझ में नहीं आ सकता था कि किसी के खिलाफ शिकायत न होने पर भी उसको पार्टीवाद के आधार पर अलग कर दिया जायगा। मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि मेरा सम्बन्ध एक पार्टी से था जो कांग्रेस के ही अन्दर है, इसलिये मुझे अलग कर दिया गया।

इसी तरह जो कर्मचारी हैं उनके जरिये से हमारे जिले में जो उनकी पार्टी के आदमी हैं उनको चुनाव में गलत तरीके से लाया जाता है। जो दूसरे आदमी सही तरीके से चुने जाते हैं उनके खिलाफ आरबीट्रेशन (arbitration) दाखिल कराकर एक हफ्ते में अपने पक्ष में फैसला करा लिया जाता है जब कि दूसरी पार्टी के आदमियों के आरबीट्रेशन के फैसले की एक-एक साल तक सुनवाई नहीं होती। ऐसी गलत कार्यवाइयां हमारे जिले में होती हैं और यहां तक हुआ कि जो मेजारिटी थी उसको माइनारिटी में बदल दिया गया। जब ऐसे गलत काम अफसरों से करवायें जायेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जब वह १० काम आपके गलत करेंगे तो ९० काम अपनी तरफ से गलत करेंगे। क्योंकि जब आपको ओब्लाइज करेंगे तो उस आब्लीगेशन की कीमत भी चुकायेंगे। इससे करप्शन बढ़ता है। मेरा स्वयं तजुर्बा है कि हमारे यहां हजारों रुपयों का गबन हुआ। केवल एक सोसायटी में २५ हजार का गबन हुआ और आठ-आठ दस-दस हजार के गबन तो कई सोसायटीज में हुये। किसी किसी गबन केस में किसी सुपरवाइजर को अगर सजा भी हो जाय तो उससे रुपया तो वसूल होता ही नहीं। सुपरवाइजर के लिये कोई जमानत वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

साधन सहकारी समितियों में रुपया वसूल कर किया जाता है लेकिन रसीद तक नहीं दी जाती। आडिटर्स कोई ध्यान नहीं देते हैं। सोसाइटियों के सदस्यों को पास-बुक नहीं दी जाती क्योंकि अदायगी के वक्त उनमें रकमें नहीं चढ़ाई जाती जिसमें गोलमाल करने का मौका रहता है। प्रोनोट में १०० के दो सौ बना लिये जाते हैं। ये सब शिकायतें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कई बार लिखा कि ऐसी ऐसी शिकायतें हैं जिनकी जांच कराई जाय और उचित व्यवस्था की जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नतीजा यह होता है कि हजारों रुपयों के गबन होते हैं। हमारे यहां संघ में ५–६ लाख रुपयों का गबन हुआ और इस साल भी हजारों रुपये का गोलमाल हो गया है। इन कारणों से सहकारिता की तरफ से जनता का सहयोग हटता जाता है। मैं मानता हूं कि सहकारिता को बढ़ाना चाहिये क्योंकि इससे साधनहीन को उन्नति करने का अवसर मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो ज्यादतियां और गोलमाल होते हैं उनका निराकरण होना चाहिये और अच्छे आदमियों को वहां मुकर्रर करना चाहिये

जिससे सहकारिता के प्रति लोगों में श्रद्धा और सहयोग बढ़े और सहकारिता भी आगे बढ़ सके ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग रखी है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम अपने देश और प्रदेश को समाजवादी समाज की ओर ले जाना चाहते हैं जिसके लिये सिवाय सहकारिता के कोई दूसरा साधन नहीं है क्योंकि हमारा देश गरीब है । सहकारिता से ही हम अपने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं । यह हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष के सहकारिता के नक्शे पर उत्तर प्रदेश का नाम बड़े शब्दों में अंकित है । आंकड़ों से पता चलता है कि यहां पर साधन सहकारी समितियों, मार्कटिंग सोसायटीज और फार्मिंग सोसाइटीज ने तारीफ का काम किया है । सारे देश में केवल हमारा प्रान्त ही ऐसा है जहां करीब करीब हर जगह सहकारी समितियां बनी हुई हैं । इस कारण से मैं सहकारिता मंत्री जी को बधाई देता हूं । सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने के लिये करोड़ों रुपये का लेन देन करना होगा ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यहां पढ़ने का कायदा नहीं है ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—यह एक डायनेमिक आन्दोलन है । इसकी प्रगति सदस्यों की योग्यता और जानकारी पर निर्भर है । उसमें प्रशिक्षण होना चाहिये। इसके लिये मैं सहकारिता मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे गांवों के सहकारी सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।

सहकारिता आन्दोलन ५८ साल से हमारे प्रदेश में है । परन्तु इसकी सफलता उसकी आयु के अनुसार नहीं है । हमारे विभाग में तीन अलग-अलग विभाग हैं कोआपरेटिव, केन और इंडस्ट्री । लेकिन इन तीनों विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है । कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का केन्द्रीय बैंक काम करता है । इसी तरह इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव ने अपना अलग बैंक कायम कर लिया है । ये दोनों बैंक्स डिपाजिट्स इकट्ठा करने में एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं, एक ही क्षेत्र में काश्तकार को गन्ना और कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा मिलता है । इस तरह सहकारिता के क्षेत्र में काफी डुप्लीकेशन है ।

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य अपने पैरों पर खड़ा होना है । इस ओर अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है । कोआपरेटिव सोसाइटी और कोआपरेटिव बैंक्स में और प्रदेशों के मुकाबले में अपने प्रदेश में डिपाजिट्स बहुत कम हैं । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

३० करोड़ रुपया जो इस प्रदेश में बांटा गया उसमें से १२ करोड़ रुपया ६०–६१ में रिजर्व बैंक से आया है । इस प्रदेश में भूमिबंधक बैंक की बहुत जरूरत थी जो अभी हाल में कायम किया गया है । यह बैंक केवल भूमिधरों को कर्जा देता है । क्योंकि हमारे प्रदेश में सीरदारों की संख्या ज्यादा है इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार सीरदारों को भी कर्जा दे ।

कोआपरेटिव विभाग की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज ने अपने कुल बिजनेस का ८० फीसदी काम कमीशन पर किया है । अगर किसानों को पूरा लाभ पहुंचाना है तो इन समितियों को पक्की आढ़त व एक्सपोर्ट का काम करना चाहिये ।

हमारी सहकारी समितियां कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिनका करेक्टर ही कोआपरेटिव नहीं है । मिसाल के तौर पर कुछ समितियां भट्ठा चला रही हैं । ये भट्ठे ठेके पर दिये जाते हैं जिनमें ज्यादा मुनाफा ठेकेदार को ही होता है । यह अधिक अच्छा होता अगर भट्ठे पर काम करने वाले अपनी समिति बना कर काम करते ।

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

इसी प्रकार यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन एक छापाखाना, कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री और कुछ घी ग्रेडिंग स्टेशन्स चला रही है, जो गलत है।

हमारे नेताओं का इस बात पर बहुत जोर है कि लेबर कोआपरेटिव्स संगठित किये जायं। लेकिन सहकारिता विभाग की रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि हमारे यहां इस प्रकार की समितियां काम कर रही हैं या नहीं। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

कंट्रोल के समय में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स संगठित किये गये थे। कंट्रोल हटने पर ज्यादातर खत्म हो गये। इस समय जब कि कन्ज्यूमर्स को अच्छी चीज सही दामों पर नहीं मिलती है, इन स्टोर्स की बहुत जरूरत है। सरकार को इस तरफ काफी ध्यान देना चाहिये।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन में सहयोग की भावना व्यक्त की है। उसमें संबंध में कुछ बातें मैं आपके सामने ले आऊंगा जिससे सहकारिता की कमियां आपके सामने आ सकें। श्रीमन्, सहकारिता विभाग एक मदारी के झोले की तरह है। सभी विभाग इनके अन्दर हैं और उसमें से यह निकल निकल कर थोड़ा थोड़ा हर मुहकमे में अपना अधिकार करता जा रहा है। सहकारिता का वास्तविक अर्थ मिलजुल कर काम करने का है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लिया जाय कि गांव में कुछ लोग मिलजुल कर कोई दूकान खोलें और उसमें मिलकर ही कुछ पूंजी लगावें तथा साल भर के बाद जो उस दूकान में लाभ हो उसको इकट्ठा करके सब लोग आपस में बांट लें, तो क्या यह सहकारिता की दूकान हुई? इसी प्रकार बीज भंडार के संबंध में जिसमें सरकार अपना धन लगाती है और उस बीज भंडार में कुछ लोग अपना हिस्सा नाममात्र के लिये खरीद लें और अपनी एक प्रबन्धक कमेटी बना लें, उस कमेटी का उसके कर्मचारियों पर कोई अधिकार न हो और वे उसमें कोई विशेष बात न कह सकें, तो क्या वह सहकारी बीज भंडार कहा जायगा? इसी प्रकार खेती के सिलसिले में किसानों को किसी कानूनी तरीके से ऐसा मजबूर कर दिया जाय कि वे व्यक्तिगत खेती न करके मिल जुल कर खेती करने लगें तो क्या यह सहकारी खेती कही जायगी? इसका यानी सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य यह होना चाहिये, कि जो संगठन है उसकी सदस्यता स्वेच्छा पर हो। दूसरी बात यह है कि संगठन में अगर पूंजी लगानी हो तो वह सदस्यों की ही हो यदि वह समर्थन हो उसके लिये कर्ज भी देना ठीक है, परन्तु ऋणदाता का प्रबन्धक कमेटी में कोई अधिकार न हो। उस संगठन में जो लाभ हो उसको केवल हिस्सेदार ही न बांट लें बल्कि जिन लोगों ने सुविधायें प्राप्त की हैं, और जिन लोगों ने अपने पैसे देकर कुछ लाभ उठाये हैं, उन सबको उसका लाभांश मिलना चाहिये।

एक बात और है कि सहकारिता का काम धन उपलब्ध करना है। यह नहीं कि वह धन लगा कर उससे और अधिक धन पैदा करें। धन अर्जन करने वाले इसके तीन विभाग हैं, कृषि विभाग, बीज भंडार और डेरी फार्म। इसमें कृषि विभाग का काम आजकल अविज्ञ लोगों के हाथ में है, इसलिये कृषि विभाग का काम कोआपरेटिव विभाग से न लेना चाहिये। कृषि विभाग के लिये जैसे टेक्निकल आदमियों की जरूरत पड़ती है वैसे आदमी कोआपरेटिव विभाग में नहीं हैं और इसलिये वह काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरे बीज भंडार का काम जो पहले कृषि विभाग वाले सम्भालते थे अब यह कोआपरेटिव विभाग के अन्दर दे दिया गया है जो जानते तक नहीं कि अच्छा और पुष्ट बीज किसको कहते हैं। वे तो बीज के बजाय गल्ला इकट्ठा करते हैं और उसे ही किसानों को बांटते हैं। अविज्ञ आदमियों के हाथों में रहने से यह काम नहीं हो सकता है। जैसा कि पंडित जी ने कहा---सहकारी खेती की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं उनमें कोई मेकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं हो सकती। इसलिये उनकी जरूरत है और जापान की मिसाल मौजूद है कि वहां यहां के मुकाबले में औसत जोत आधी है लेकिन पैदावार दुगनी है।

अभी तक जो हमारे यहां फसल प्रतियोगिता होती हैं उनमें छोटे-छोटे टुकड़ों में ही अधिक पैदावार कर के दिखाई जाती है और इनाम प्राप्त किये जाते हैं लेकिन इससे निश्चित है कि खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों के बहाने कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हो सकती । कोआपरेटिव फार्मिंग रूस में हुआ और वहां पर सन् १३ से पहले से ही वह चलाया गया। वहां पर उससे पूर्व जो अन्न उत्पादन हुआ वह ४२ मिलियन टन था। वह ४७ वर्ष में, १९६० में, बढ़कर ११३ मिलियन टन हो गया और इस तरह से ४७ वर्ष में वहां ३८ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई लेकिन हमारे यहां सन् ४८-४९ से सन् ५८-५९ तक कुल ४३.७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे भूतपूर्व सहकारी मंत्री माननीय माहनलाल गौतम ने २२ दिसम्बर सन् १९६० को एक प्रश्न के संबंध में उत्तर देते हुये कहा था कि यू० पी० में ३३४ सहकारी फार्म हैं और उनमें ६१,०१६ एकड़ भूमि है और उसमें ७,००० परिवार सम्मिलित हैं जिससे २,३५,००० का लाभ हुआ है, उससे ३३.२६ प्रतिशत आय बड़ी है और इस हिसाब से एक परिवार की ३ रुपया मासिक आय आती है । यह कृषि कार्य पहले कृषि-विभाग के पास था लेकिन अब जब कि यह कोआपरेटिव के पास चला गया तो इसकी क्या दशा होगी, यह कहना कठिन नहीं है।

अब थोड़ा मैं सीड स्टोर्स के विषय में कहना चाहता हूं । सन् १९३९ से पहले यह सीड स्टोर्स कृषि विभाग के पास थे उनको सुपरवाइजर और कृषि विभाग के प्लाउमेन-कम-कामदार चलाते थे लेकिन अब वे कोआपरेटिव विभाग को दिये गये हैं । सरकार ने स्टोरेज व हैंडलिंग को कुछ छूट कर दी है । वह छूट रबी के अनाज पर डेढ़ प्रतिशत की और खरीफ के अनाज पर ढाई प्रतिशत की कर रखी है जबकि रबी के अनाज का वजन बरसात के बाद अक्टूबर के अंत में ढाई परसेंट बढ़ जाता है और इस तरह से वह छूट उन लोगों को ५ प्रतिशत को हो जाती है। इस प्रकार से २ से २, १/२ हजार रुपया का पता कि नहीं कि वह रुपया जो इस तरह से निकलता है वह किसकी जेब में जाता है । मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इसका पता लगायेंगे ।

अब जो ऋण देने वाली सहकारी यूनियन है वह सवा ८ प्रतिशत पर सूद लेकर किसानों को रुपया देती है जब कि रिजर्व बैंक से यू० पी० फेडरेशन को ढाई प्रतिशत पर रुपया प्राप्त होता है । मैं जानना चाहता हूं कि इतना अधिक ब्याज क्यों लिया जाता है? उससे किसानों को नुकसान होता है । इसके अलावा जो ५० करोड़ रुपए पर बैड डेट के लिये सरकार ने २३ लाख रुपया रखा है मेरी समझ से यह सब धन बेकार चला जायगा और लोग समझ लेंगे पहले से ही कि इतना रुपया तो जाने के लिये है ही और सभी पैसा बैड डेट में चला जायगा । सरकार का ५ करोड़ रुपया १४ साल से यूनियन के पास पड़ा हुआ है और उसका ३ करोड़ रुपया ब्याज होता है वह अब ८ करोड़ वेस्ट हो चुका है। सरकार उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध करने जा रही है?

फर्टिलाइजर्स के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट प्रदेश के फेडरेशन को कर्जा देती है । इसी साल यहां पर लखनऊ में ६ लाख रुपए का खाद न मालूम क्या हुआ। मेरा अंदाजा है कि सारे सूबे में डेढ़ करोड़ रुपए का माल कम है। उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है और अकाउन्टेंट जनरल ने भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया है । मैं चाहता हूं कि यह ६ लाख रुपया यहां का और सारे सूबे का वह डेढ़ करोड़ रुपया कहां है इसकी जांच आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं श्री टम्बेश्वरी प्रसाद के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कई दिन के सतत प्रयत्न के पश्चात् आज आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं अपने सहकारी मंत्री महोदय द्वारा जो अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह बताना चाहता हूं कि उसमें जो दूध की डेयरी खोलने के लिये या कोआपरेटिव फार्मिंग या इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज के लिये

[श्री जगदीश नारायण सिनहा]

योजनाएं हैं वह निश्चित ही एक ठोस कदम है समाजवाद की ओर ले जाने के लिये और आज के युग में अगर लोग बहुत ज्यादा बल सहकारिता पर नहीं देंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

मैंने श्री टम्बेश्वरी प्रसाद और डाक्टर अहमद साहब, दोनों के विभिन्न विचार कोआपरेटिव फार्मिंग पर सुने और अपने दल के कुछ साथियों के भी विचार सुने जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि अभी ऐसा मौका नहीं है कि कोआपरेटिव फार्मिंग किसी तरह से कामयाब हो सके । मैं इन नजरियों पर ज्यादा अपने विचार प्रकट करना नहीं चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई है उसी दिन से सहकारिता की बात सामने आयी और उसी दिन से यह जरूरत महसूस हुई कि मिलजुल कर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करें । आज के युग की मांग है कि जो आज जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं उनको देखते हुये कुछ ठोस कदम सहकारी खेती की ओर हमें उठाने पड़ेंगे । यह बात दूसरी है कि दूसरे पक्ष के लोग इस बात का नाजायज फायदा उठाने के लिये बड़े बड़े नारे लगायें । मैं अपनी बात कहता हूं । मेरे मुकाबले में मेरे क्षेत्र में एक जनसंघ के भाई भी थे और एक समाजवादी भी थे । मुझे दुःख होता है यहां यह कहते हुये कि दोनों की तरफ से यह नारा लगता था—सरकारी खेती तो उसका नामकरण कर ही दिया गया था पर यह भी कहा जाता था भोले किसान से कि तुम्हारे बच्चे गन्ने के खेत से एक गन्ना भी नहीं तोड़ पायेंगे । ऐसी भ्रमात्मक बातें अपने क्षणिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये दोनों तरफ के लोग कहते थे । मेरा अपना कहना सिर्फ यह है कि जरूरत के मुताबिक आदमी मिल-जुलकर चलना सीखे । आज सहकारी खेती उसकी मांग है , यह बात दूसरी है कि हम उस ओर तेजी से कदम न उठा सकें और जितना प्रैक्टिकली संभव हो उतना ही कदम उठा सकें ।

अभी मेरे एक विरोधी भाई ने २० वर्ष का तजुरबा सहकारिता का बताते हुये कहा कि जो कर्जा बैंक से दिया जाता है वह किसानों को नहीं पहुंचता । मेरा भी ११ वर्ष का तजुरबा रुड़की बैंक को उपाध्यक्ष के नाते चलाने का है और मैं यह कह सकता हूं कि आज तो इतनी बड़ी रकम हो गयी है कि ४० करोड़ शार्ट टर्म के लिये और ४ करोड़ मिड टर्म के लिये दिया जा रहा है लेकिन जितना भी अबतक दिया जाता रहा है वह किसानों को ही पहुंचा है । यह जरूर है कि उसमें कुछ खामियां हैं जो मैं सहकारी मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं ।

आज सुपरवाइजर इतना शक्तिशाली बन गया है या उसने कुछ ऐसे तरीके अख्तियार कर लिये हैं कि किसान जिसको कर्ज मिलता है उसको एक तरह से तीन दफा सूद देना पड़ता है । एक तो तब देना पड़ता है जबकि वह उस सुपरवाइजर से अपनी दरख्वास्त को बनवाता है । फिर जब वह उसे पास करा कर बैंक में भेजता है और तीसरी बार तब जब उसको वह कर्जा वापस करना होता है । शार्ट टर्म में तो इतना थोड़ा समय रहता है कि दो, तीन महीने तो अर्जी बनाने में लगे, फिर उसको रुपया मिला और थोड़े दिन बाद ही वह समय आ जाता है जब उसको वापस करना होता है । तो निश्चय ही उसको बड़े सूद पर रकम ले कर वापस करनी होती है । इसलिये मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अगर शार्ट टर्म लोन की अवधि १५ महीने कर दीजाय तो एक सांस लेने का मौका किसान को मिल सकेगा । और दूसरा यह है कि जो दरख्वास्तें देने की रीति है उसको बदल दिया जाय और इसका केवल एकमात्र हल यह है कि हर किसान की साख मुकर्रर कर दी जाय । गांव सभा का प्रधान लेखपाल के कागजात को देखकर लिख दे कि अमुक व्यक्ति की अमुक साख है । अगर यह हो जाय तो किसान को इससे बड़ा भारी फायदा होगा । मैं अर्ज करूं कि रुड़की बैंक ने अपने सूद को घटाकर ६ फीसदी कर दिया था जो शायद हमारे प्रदेश में पहला कदम था । फिर भी और बहुत सी बुराइयां हैं जिनसे किसानों को नुकसान पहुंचता है । अगर साख वाली बात हो जायगी तो किसानों को अवश्य लाभ पहुंचेगा ।

दूसरे जो सुपरवाइजर पर डबल कंट्रोल है उससे बड़ा नुकसान है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सुपरवाइजर पर सरकारी कंट्रोल न रहकर फेडरेशन बैंक आदि

का कंट्रोल रहना चाहिये क्योंकि सारे कामों में तो उनसे ही उसका संबंध रहता है । जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनसे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है । यह बात दूसरी है कि कहीं-कहीं पर वे लोग ट्रांसफर एंट्री कर देते हों या गलत गल्ला बेचा दिखा देते हों । यह हो सकता है लेकिन कहीं कहीं होता है । मेरा सुझाव है कि जैसे सीलोन में वेयरहाउसेज की स्कीम कामयाबी के साथ चल रही है उसी प्रकार हमारे यहां भी चलाई जाय, हालांकि कहीं कहीं यह चीज हो रही है और हमारा इधर कुछ ध्यान है । लेकिन शुरू में ही जब किसान बीज लेता है, बोता है, खेत में अन्न खड़ा होता है और बेचता है तो यह सारी चीजें शुरू से ही इस स्कीम के अन्तर्गत होनी चाहिये । यदि ऐसा हो जाय तो वहां की तरह से हमारे यहां भी लाभ हो सकता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने पुलिस बजट के ऊपर बहुत सी बातें कहीं और यह कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह छाये रहते हैं और सब जगह दिखाई देते हैं । सहकारिता के संबंध में जिले में और तहसील में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सहकारिता के काम में एक्सपर्ट नहीं होते लेकिन फिर भी वे सब जगह दिखाई देते हैं । लेबर सोसाइटी बनेगी तो वे ही रजिस्ट्री करायेंगे और मिल्क सोसाइटी बनती है तो वहां भी बे मौजूद हैं । उन्होंने ऐसा जाल बना रखा है जिससे सोसाइटी को लाभ नहीं पहुंच पता है और उसमें यह रोड़े हैं । मंत्री जी इस बात पर अधिकारियों का ध्यान दिलायेंगे कि जब तक ऐक्ट में तरमीम न हो जाय वे सहकारिता को व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे । गांव में एक सोसाइटी ३०-४० साल से है लेकिन उसके मेम्बर बढ़ नहीं रहे हैं । यह नहीं होना चाहिये । अगर सोसाइटीज को व्यापक बनायेंगे तो सहकारिता का उद्देश्य प्राप्त होगा ।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में जो चर्चा चल रही है, उसके संबंध में मैं अपने विचार पेश करना चाहता हूं । सहकारिता का जहां तक सिद्धान्त है उससे बड़ा कोई सिद्धान्त गरीब मुल्क को उठाने के लिये और नहीं हो सकता है । जो भाई, और पार्टी के लोग, सहकारिता के सिद्धान्त की खिलाफत करते हैं वे या तो आज की दुनिया में सहकारिता के सिद्धान्त को जानते नहीं हैं या फिर वे गरीबों की तकलीफ नहीं समझते हैं । मुश्किल तो इस बात की है कि हमारी सरकार जो सहकारिता के सिद्धान्त को अपने तरीके से चलाती है उससे मुझे तकलीफ होती है । जब मैं इस सरकार के पूरे ढांचे को देखता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार सामन्तशाही है या साम्राज्यवादी है या नौकरशाही के सम्मिश्रण से नई चीज है जो अपने गलत कामों को ढकने के लिये वक्त-वक्त पर समाजवादी नारे लगाती रहती है ।

सहकारिता का सिद्धान्त उन्हीं देशों में लागू हो सकता है जहां से पूंजीवाद मृतप्राय हो चुका है और जिनका सिद्धान्त गरीबों का उत्थान करना है । आज जब हमारे यहां सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है, वह भी अधुरा है जो किताब बंटी है उसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर जो इसमें लिखा है उसी को पूरा कर दिया गया होता तो हम लोगों को आलोचना करने का मौका नहीं रहता । परन्तु यह केवल कथनी है, करनी नहीं है । करनी बिलकुल उल्टी है । जिलों में जो सहकारी बैंक चल रहे हैं उनमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । कुछ आदमी बीस-बीस, पच्चीस पच्चीस हजार रुपये कर्जा ले गये और उसको नहीं लिया जाता है । दूसरी तरफ गरीब लोगों को सहकारी बैंक का ज्ञान ही नहीं है कि कहां पर दफ्तर खुला हुआ है । चार छः आदमी जिनको मैं चालू कहता हूं, जो सब कामों में आगे रहते हैं, वही फायदा उठा रहे हैं । दूसरे कांग्रेस को सहकारिता से यह आराम हो गया है कि वह उसके बल पर चुनाव लड़ रहा है । उनके लिये चुनाव में कोआपरेटिव की जीप इस्तेमाल करने का अच्छा साधन हो गया है और अपने आदमियों को रुपया बाटने का साधन मिल गया है हमारे जिले के कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर चौधरी साहब जो एम० पी० चुन कर गये हैं, चुनाव के जमाने में सात लाख रुपया अपने कार्य कर्त्ताओं में कर्ज बांट दिया जो कि मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से

[श्री राधेश्याम]

गोलमाल किया होगा । कहा जाता है कि सहकारिता है, लेकिन सहकारिता है कहां ? सहकारिता पर सरकार का कब्जा है और कुछ लोगों का उस पर प्रभुत्व है ।

जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटियों का ताल्लुक है वह बिलकुल व्यापक नहीं है, जनता के हित में नहीं है । उनपर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो सरकार से मिल जुल कर फायदा उठा रहे हैं। हैं । विरोधियों का कोई स्थान उसमें है ही नहीं । उनका चुनाव का जो तरीका है वह इतना खराब है कि लिस्ट तक नहीं बांटी जाती है । सहकारिता के सिद्धान्त को सरकार इस तरह से बदनाम करती है । सहकारिता का सिद्धान्त बहुत बढ़िया सिद्धान्त है लेकिन सरकार उसको बदनाम कर रही है । सहकारिता तो इस सदन में नहीं हो पाती । कल आप देख रहे थे, आज आपने देखा । सहकारिता यह है कि सरकार से विभिन्न दलों के विचारों का समन्वय होना चाहिये । सहकारिता बड़ी बढ़िया चीज है लेकिन व्यवहार में बड़ी कठिनाइयां हैं ।

सहकारी फार्म की बात कही जाती है । यह देश कृषि प्रधान देश है । ८० फीसदी लोग इस प्रदेश में अलाभकर जोत वाले हैं जिन के पास साढ़े छः एकड़ से कम जमीन है । उनको अगर सहकारिता से जोड़ दीजिये तो क्या लाभ होगा ? खेती के मामले में कोई भी समाजवादी सरकार जब तक जमीन का सही बटवारा नहीं करेगी, जब तक फी पांच आदमियों के परिवार के पास गुजारे लायक जमीन नहीं होगी, कम से कम इतनी जमीन नहीं होगी कि एक परिवार अपने खुद के हल बैल रख सके, यानी दस एकड़ से कम जमीन न हो और ३३ एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, इस सिद्धान्त को सरकार नहीं मानेगी और तब तक जमीन के मामले में वह कोई कदम नहीं उठा सकती । उसे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिये ? इसको सोचने से पूर्व यह सोचना चाहिये कि इस प्रदेश के अन्दर कितने किसान है, कितनी जमीन है और किस प्रकार उनका काम उससे चल सकता है । किसान को अपनी धरती से मुनाफा हो नहीं सकता जब तक जमीन का पुर्नवितरण न किया जाय । जब उसकी जमीन का इस तरह से बटवारा हो जाय कि वह अपनी जमीन पर गुजारा कर सके और अपनी स्वेच्छा से चाहता हो तो सहकारिता के जरिये से लाभ उठाये, कानून से नहीं । लेकिन यह उसकी स्वेच्छा हो नहीं सकती जब तक जमीन का सही बटवारा नहीं होगा । जब तक सही बटवारा जमीन का नहीं होगा तब तक आपका यह सहकारिता से उसकी उन्नति करने का इलाज उसी तरीके का इलाज होगा कि जैसे किसी के सारे बदन में खेचक निकली हो लेकिन इलाज किया जावे किसी एक फोड़े का ।

आज इस प्रदेश में ८० फीसदी किसान के पास बिना मुनाफे वाली खेती है और चाहे उनके खेत इकट्ठे करके बटवारा करें या मुनाफा बांट दीजिये उनसे उसे कोई मुनाफा नहीं होने वाला है । जब से सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में बनी है तब से बराबर यही कहती चली आ रही है, हम कांग्रेस से जिस वक्त अलग हुये तबसे हमने सहकारिता की बात कही है लेकिन उसके पहले यह नारा हमारा रहता है कि धन धरती बटकर रहेगी । पहले आपको धरती का कड़ाई के साथ बन्दोबस्त करना पड़ेगा तभी प्रदेश की समस्या हल हो पावेगी, तभी इस समस्या का पुख्ता इलाज होगा, और तभी आप सहकारिता के सिद्धान्त को लागू कर सकेंगे, । तभी जनता के पास यह बात पहुंचेगी और प्रदेश का किसान तभी यह समझेगा कि हमारी सरकार ने हमारे लिये कार्य करना शुरू किया है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शौकत हमीद (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त जो मांग आपके सामने सहकारिता मंत्री जी ने रखी है उसकी हिमायत में हाजिर हुआ हूं । जब हम लोगों ने यह तय कर लिया कि इस देश की गरीबी को दूर करने का वाहिद तरीका यह है कि इस देश में सहकारिता या इमदादे बाहमी के तरीके पर हर कारोबार हो तो जाहिर है कि जिन्दगी के हर शोबे में खवाह वह खेती हो या तिजारत हो या किसी तरीके का पेशा हो हमें उसमें सहकारिता के उसूल को अपनाना पड़ेगा । मुमकिन है शुरू शुरू में जब हम इस उसूल को अपनावें तो गलतियां हो, हमें सही किस्म के आफिसरान न मिलें लेकिन इस वजह से

इस काम को गलत नहीं कहा जा सकता । हमने दिक्कतें महसूस की, किसी हद तक उनकी वजह से सहकारिता बदनाम भी हुई है लेकिन वह दिक्कतें अब कम हो गयी हैं, उन खामियों को महसूस करके उनका इलाज कर दिया गया और अब सही किस्म के आफिसरान और आदमी इस काम को चलाने के लिये मिल गये ।

मुझे इस वक्त यह नहीं अर्ज करना है कि सहकारिता के उसूल को मानने के बाद जिस नीति पर अमल हो रहा है उसमें क्या दुशवारियां हैं उसके मुताल्लिक मुझे तो चन्द उसूली बातें आपके सामने रखनी पहली बात तो यह है कि एक तरफ तो सहकारिता का सिद्धान्त है। सहकरिता हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा उसूल है। यही वह वाहिद तरीका है जिसे हमने अपनी मुफलिसी को हल करने के लिये ढंढ़ा है और दूसरी तरफ इस तरह से कवानीन बनाये जाते हैं जहां पर कि जोर फर्द (unit) पर दिया जाता है । कोआपरेटिव यूनिट या कोआपरेटिव सोसाइटी की कीमत नहीं बढ़ती है । मसलन हमारे देश की सबसे पुरानी नीति यह रही है कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली (Hindu undivided family) चलती चली आयी है । लेकिन हम एक तरफ तो हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली को कानून के जरिये से कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते है न वेल्थ टैक्स में न और किसी टैक्स में उनको कोई सहूलियत देना चाहते है और दसरी तरफ हम यह भी उम्मीद करते है कि अपने से तो दूर रहें और गैरों को अपना ले । क्या अजीब-सा उसूल है ? आप बार बार कोशिश करते है कि फर्द (Unit) यानी अकेले एक आदमी की कीमत बढ़े, अकेले तो एक आदमी साढ़े बारह एकड़ से लेकर ४० एकड़ तक रख सकता है लेकिन अगर किसी के परिवार में दस बारह आदमी हों तो भी ६५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता । तो यह गैरों को अपनाने और अपनों से दूर रहने की बात कुछ समझ में नहीं आती और साथ साथ न यह बात समझ में आती है कि जो लोग यह कहते हैं कि भारतवर्ष के मिजाज में सहकारिता नहीं है ।

मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष के बाशिन्दों के मिजाज में सहकारिता नहीं है तो आखिर यह हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली का तखय्युल कहां से आया? एक खानदान में सब मिलाकर खर्च करते हैं, पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, सब मिल कर खर्च करते हैं, यह सब उसूल जो हैं यह सहकारिता के आधार पर ही तो मबनी है । दर असल सच पूछिये तो यह जात पांत जो चली थी यह भी एक सहकारिता की स्प्रिट (Spirit) के मातहत ही चली थी । सोसाइटी ने अपने आपको इस तरह से तकसीम कर लिया कि कामों की तकसीम यानी (Division of labour) हो जाय, कोई पढ़ाये, कोई जंग करे, कोई व्यापार करे, कोई और दूसरे भिन्न भिन्न पेशे अख्तियार करे। अब आगे चलकर इस बिरादरी ने यकोनन एक निहायत गलत सूरत अख्तियार करली जिसको कि हम आज खत्म करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ निहायत ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ से तो इस बिरादरी पर एतराज है और दूसरी तरफ कोआपरेटिव के तरीके से हम इसी बिरादरी को, जांतपांत को और बढ़ा रहे हैं. आपने सुना होगा वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी (weavers co-operative Society) बन गई, मोटर आपरेटर्स कोआपरेटिव सोसाइटी (Motor operators co-operative Society) बन गई, यह एक तरीके से उसी जांतपांत के तरीके को उभाड़ना नहीं है तो और क्या है? अगर हम इस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायेंगे तो क्या बिरादरी और जात पाँत का तरीका मजबूत नहीं होगा ? इसलिये मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने हमें कवानीन को इस तरह से सोच समझ कर बनाना चाहिये कि जो हमारे देश की cooprative को नीति है उसी नीति के अनुसार वह रहे । इन शब्दों के साथ मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बोलने का मौका दिया गया ।

*श्री टम्बेश्वरी प्रसाद––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन मित्रों का जिन्होंने कि मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में यहां अपने विचार व्यक्त किये । आपने यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

सुना उनके द्वारा कि उनको कुछ शंकायें हैं। उधर के पक्ष के और इधर के पक्ष के, दोनों पक्ष के लोगों ने इस विषय में कोई दो रायें नहीं रखीं, चाहे वह डाक्टर जेड अहमद साहब थे चाहे और चाहे कांग्रेस दल के सदस्य थे कि आज की जो कोआपरेटिव फार्मिंग है वह बोगस है, वह बेकार है, उसके कोई मानी नहीं हैं।

हमारे समाजवादी सदस्यों ने भी यही बात कही। बड़ी सफाई के साथ डाक्टर साहब ने रूस और चीन का नाम लेकर पोलैंड का जिक्र कर दिया। वह कहने लगे कि वहां खाद सस्ता मिलता है, पानी सस्ता मिलता है इसलिये प्रोडक्शन वहां पर बढ़ जाता है। मैं यह जानता हूं और मैंने उस समय भी आपके द्वारा यह निवेदन किया कि जब वहां के काश्तकार के लिये, जिसके पास सैकड़ों एकड़ आराजी है, यह लालच उसके दिमाग में आता है कि अगर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे तो हमको कुछ ज्यादा सस्ता मिल जायगा, अगर हम कोआपरेटिव अथनी बना लेंगे तो सरकार रुपया ज्यादा दे देगी। जब ऐसे देश का काश्तकार जिसके पास आज धन सम्पत्ति है और वह इस थोड़े से लालच के प्रति अपना ध्यान देता है और सोसाइटी फार्म करता है तो फिर ऐसे देश के कृषक, जिनके पास कुछ है ही नहीं, अगर सरकार चाहे तो कल उसकी बीज सप्लाई बन्द करदे और उसकी फसल नष्ट होने पर उसके घर की कुर्की कर ली जाय तो इस प्रदेश में जो बड़े-बड़े कृषक भी होंगे वह भी जमीन छोड़कर भाग जायेंगे चाहे कोआपरेटिव बने या जो कुछ किया जाय। जब इस सिद्धान्त का सवाल आता है और हम भी यह कहते हैं कि सरकार के साधनों का जहां तक प्रश्न है अगर किसान किसी प्रकार से यह साबित करे कि हम स्वेच्छा से तो इसका विरोध नहीं करते तो फिर सवाल आता है कि हम किस बात का विरोध करते हैं। हमारा और उनका रास्ता यहीं से अलग होता है जहां कि वह सहकारिता के नाम पर एक नई गुलामी को जन्म देते हैं, जहां से वह सिद्धान्तों का बेजा फायदा उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मैं आधाररहित बात नहीं करता हूं। आज जिन देशों में समाजवादी या अन्य कोई व्यवस्था जबरदस्ती लादी गई है, आप वहां देखेंगे कि वहां पर कलेक्टिवाइजेशन किस रूप में आया है। हर जगह एक ही रास्ता रहा उसके लाने का और वह यह कि जनता को मिलाकर या जबरदस्ती बिला उनकी राय के कलेक्टिवाइजेशन आया है। आज उन्हीं देशों का जिस विचार को दूसरे रूप में रखकर डाक्टर साहब या उधर के लोग हिमायत करते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। यह बात निर्विवाद रूप से मानी हुई है कि सहकारिता से और समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे एक सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मिल्क यूनियन ही समाजवाद है और उसके द्वारा ही समाजवादी सरकार आयेगी। इसी तरह से एक और सदस्य खड़े हुये और उन्होंने क्रेडिट की तारीफ की। मैं यह जानता हूं कि उनके सामने कोई नजरिया नहीं है सिवाय हाथ उठाने के। इसलिये जब वे समाजवाद का नाम लेते हैं तो मैं इस बात को बहुत ही अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उसको मैंने एक सिद्धान्तहीन बात समझी है। मैं समझता हूं बिना सोचे समझे इस बात को उन्होंने कहा है।

मैं आपके द्वारा डाक्टर साहब ने जो बात कही है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि मौलिक सिद्धान्त में यूनिट क्या होगी यह हमारा और उनका एक मतभेद है और जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी प्रजातंत्र है वहां पर व्यक्ति की महत्ता है और उस महत्ता को समाप्त न होने देने के लिये ही हमारे और उनके दृष्टिकोण में अन्तर है।

एक बात मैंने रूस में जो फार्म्स हैं उनके बारे में कही और यह कहा कि वहां के लोगों के पास व्यक्तिगत भूमि काफी होती है। सवाल यह सामने आया कि वह नहीं होती है। मैं वास्तविक आंकड़े तो पुस्तक मेंनहीं निकाल पाया लेकिन माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि वहां प्राइवेट प्रापर्टी कितनी होती है और उससे उनकी समझ में यह बात आ जायेगी। यह रिपोर्ट है रिजर्व बैंक की इन्क्वायरी कमेटी की, उसमें लिखा है —

"Lands were distributed in numerous tiny holdings, an average holding coming to 20 acres which was insufficient even to feed a small family."

हम जब ३० एकड़ की बात करते हैं तो वह इसलिये करते हैं कि उनके घरों के पास कुछ जमीन होती है, उसके आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वह पुस्तक मुझे मिली नहीं, लेकिन आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि उनके पास कितनी भूमि होगी जितनी कि उनको सुविधायें वहां मिली हुई हैं ।

"The Model Rules for Collective Farms provide that their members undertake not to own over and above a certain quantity of livestock and beehives. The number varies with the character of the different regions and ranges from one cow, two calves, two sows and their litters, 10 sheep or goats and 20 beehives in the predominantly agricultural regions, to 10 cows (not counting Calves), 10 horses, 10 camels, 150 sheep or goats,in the predominantly cattle raising regions."

तो जब वे यह सब रख सकते हैं अपने कोआपरेटिव फार्म्स के अलावा जो उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है तो आप यह देखें कि उनके लिये कितनी जमीन की जरूरत होगी ? इससे आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह जमीन उससे अधिक होगी जो यहां के काश्तकारों की एवरेज होल्डिंग है । तो मैं समझता हूं कि यह नक्शा साफ है ।

एक सदस्य---वहां टोटल जमीन कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष---आपस में कृपया बात न करें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर १ हजार एकड़ जमीन रिक्लेम करनी हो तो उसके लिये कोआपरेटिव एफर्ट्स की जरूरत होगी, लेकिन आज जो यहां की हालत है उसमें वैसा संभव नहीं है । डाक्टर साहब ने पोलैंड का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि जर्मनी में जो काश्तकार खेत से भगाये गये वह इन्डस्ट्री में लग गये । लेकिन यहां पर कोई रास्ता ही नहीं है । हम उस काश्तकार को कैसे सुझाव दें कि तुम अपनी जमीन और निजी संपत्ति सरेन्डर कर दो जब हम उसको कोई रास्ता नहीं बता सकते । (व्यवधान) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने कोआपरेटिव ऐक्ट को पढ़ा नहीं है । उसमें लिखा है कि लैंड पूल हो जायगी, उसको रेम्यूनरेशन मिल सकता है लेकिन जमीन नहीं मिल सकती और अगर मिलेगी भी तो वह बाहर कोने की, कुल लागत अदा करने के बाद जो कि उस पर लगाई गई हो । माननीय सदस्य ने इसको पढ़ा नहीं, मैं इसमें उनकी गलती भी नहीं कहता । किसी सरकारी पैम्फलेट को पढ़कर अगर उनके दिमाग में कोई गलत बात आ गई है तो वह कोई बड़ी बात नहीं है । लेकिन दिक्कत यह है कि वह सही बात समझने की कोशिश भी नहीं करते । डाक्टर साहब और झारखंडे राय जी की समझ में वह बात न आवे तो मैं उसको मान सकता हूं क्योंकि वह तो यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से आज का लोकतंत्र इस ओर चल दे तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह जायगा सिवाय इसके कि वह उनकी मुट्ठी में आ जायं और फिर वह जो रास्ता बतावें उसी पर जनता चले । यही कारण है जिससे हम उनका विरोध करते हैं ।

जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, उसके सिद्धान्तों में कोई बड़ी भारी मौलिक खराबी नहीं है । ऐसी बात भी नहीं है कि आज से पहले भारतवर्ष में कभी आपस में मिलजुल कर काम नहीं हुआ लेकिन मौलिक अन्तर जो उनके और जनसंघ के विचारों में है वह यह है कि कलेक्टिवाइजेशन गुलामी की तरफ ले जायगा । डेमोक्रेसी को कायम रखने का रास्ता यही है कि व्यक्ति की महत्ता बनी रहे । लेकिन वह, लोकतंत्र में जो व्यक्ति की महत्ता है उसको किसी न किसी प्रकार से समाप्त करने के पक्ष में हैं । यही हमारा मौलिक मतभेद है ।

उधर के बैठने वालों की तरफ से यह बात कही गई कि चुनाव में प्रचार करते समय जनसंघ की ओर से यह कहा गया कि यह सहकारी खेती नहीं है बल्कि सरकारी खेती है । आज मैं पुनः बल देकर इस बात को कहता हूं कि यह बिल्कुल सही है कि यह सहकारी खेती नहीं है बल्कि

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

सरकारी खेती है। ऐसा क्यों है? इसलिये कि सरकार द्वारा इधर उधर के सलाह दिये जाते हैं, कम्पलशन्स करना चाहते हैं जिनके सुझाव डाक्टर साहब ने दिये कि खाद सस्ती दो, लगान और सिंचाई माफ कर दो। आप उसकी कमजोरियों और गरीबी का क्यों फायदा उठाते हैं, साधनहीनता का क्यों फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि आप उसको अपने शिकन्जे में जकड़ना चाहते हैं। आखिर यह बात क्यों है कि जब सब काश्तकार सहकारी खेती में आ जायंगे तब आप लगान कम करेंगे, आज ही क्यों नहीं कम करते, आज ही क्यों नहीं सिंचाई की दर कम करते, आज ही क्यों नहीं दूसरी सहूलियतें देते जो कि आप सहकारी खेती के नाम पर बाद में देना चाहते हैं। या तो फिर आपकी यह नीयत है कि आप कोई सहूलियत देना नहीं चाहते या फिर यह नीयत है कि आपकी एक डेढ़ करोड़ की यह रकम कुछ कोआपरेटिव्स में खत्म हो जायगी तब आप इस आन्दोलन के प्रति भी उपेक्षा की नीति बरतेंगे। इसलिये जब तक यह बात साफ नहीं हो जाती तब तक सहकारिता मंत्री का वही नतीजा होगा जो दो सहकारिता मंत्रियों का हुआ है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और सुझाव दिये। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दूं। लेकिन अगर कोई बात रह भी जाय तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वह फिर मुझे ध्यान दिला दें और मैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। आज की बहस से कम से कम इतना तो मालूम हुआ कि विरोधी पक्ष में कुछ माननीय सदस्य एक चीज को बिलकुल संकुचित दृष्टि से देखते हैं और जब एक एक तरह की बात कहते हैं और दूसरे बरअक्स दूसरी बात कहते हैं तो खयाल होता है कि मुमकिन है कि वह बात सही है जो दोनों के मध्य में है और जो सत्य है जिसको दोनों कभी न कभी स्वीकार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने अपनी सारी स्पीच रूस और चीन के भय से एक कम्युनिस्ट तरीके की खेती लाने के भय से की। हो सकता है कि उनका भय सही हो और रूस और चीन में जो तरीका अख्तियार किया गया वह किसानों के लिए हितकर न हो। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पक्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो खेती के मामलों में रूस और चीन का तरीका अख्तियार करना चाहता हो। यह हो सकता है कि उन्होंने विशेष रूप से रूस और चीन का वर्णन श्री जेड० ए० अहमद की वजह से किया हो। वह यहां हैं नहीं, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसलिये नहीं कि उन्होंने दो चार शब्द मेरे लिए अच्छे कहे, इसलिये नहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार के कृषि फार्मिंग की, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समर्थन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुले दिल से सहकारिता के सिद्धान्त का समर्थन किया जो कि कम्युनिस्ट सिद्धान्तों से कभी मेल नहीं खा सकता और इस तरह से एक सच्चाई का समर्थन किया। यह इस देश में सच्चाई है, उसका नकशा है जिसका समर्थन उन्होंने खुले दिल से किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सही मानों में कहा कि सहकारिता का सिद्धान्त अगर हम अपनाते हैं तो जीवन के सभी पहलुओं पर हमें वह सिद्धान्त अपनाना पड़ेगा, उसका डिवीजन नहीं हो सकता।

आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विनती करना चाहता हूं कि जरा उस जुमले की ओर ध्यान दिया जाय जो मैंने बजट पेश करते समय शुरू में कहा था कि हमें ऐसे यूनिट्स बनाने हैं गांवों के जो शोषण से मुक्त हों और दूसरी तरफ तानाशाही, टोटलिटेरियानिज्म और डिक्टेटरशिप से मुक्त हों। किसी का उन पर दबाव न हो और अपने आप विकास करने की उनमें सामर्थ्य हो, उसको हम पैदा करें। सही बात यह है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करनेवाला होगा उसको सहकारी खेती सरकारी खेती नजर आयेगी और सारे किसान खत्म हो जायंगे, मेकेनाइजेशन हो जायगा, जमीन नहीं रहेगी। सही बात है कि सही मानों में जब सहकारी आर्थिक व्यवस्था हम बनायेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश होगा। आज नहीं तो १० वर्ष बाद, २५ वर्ष बाद, होगा अवश्य क्योंकि सहकारिता के ऊपर आधारित समाजवाद और पूंजीवाद

साथ-साथ नहीं चल सकते। इसलिए जिसकी पूंजीवाद में आस्था है उसको सहकारिता पसन्द नहीं आ सकती। दूसरी तरह से जो डिक्टेटरशाही चाहते हैं, जो कोआपरेशन के सिद्धान्त पर नहीं, बल्कि जबरदस्ती कोआपरेशन लादना चाहते हैं, जिसका कि टम्बेश्वरी प्रसाद को भय है उस तरीके को अख्तियार करना चाहते हैं उस सम्बन्ध में मैं क्या कहूं, वह मेरा विषय नहीं है। यहां एक मिनट में आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह नहीं है कि वह टोटैलिटेरियन कंट्रीज के लोग यह नहीं जानते कि इस तरीके से ऐग्रिकल्चर की तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन वह यह जानते हैं कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और इंडस्ट्रीज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कच्चा माल, जहां कि टोटैलटेरियन सिस्टम है, जहां वह माल निकलता है वहां पूरा-पूरा अधिकार न हो। क्योंकि सारी की सारी स्टेट के हाथ में इंडस्ट्री होती है और उसके लिए उनको जरूरी हो जाता है कि उस चीज को करें। खैर, यह बात हमारे यहां नहीं है। हमने तो समाजवादी समाज बनाने का निश्चय किया है और सहकारिता का आधार हमने माना है।

अब मैं, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से कहूंगा कि टम्बेश्वरी प्रसाद जी की सारी स्पीच ज्यादातर सहकारी कृषि फार्मिंग पर रही। यह कहना कि कृषि फार्म सबके सब फेल हुए यह गलत है। मैं थोड़े से आंकड़े दूंगा। एक फार्मिंग सोसाइटी है, उसके गेहूं की पैदावार १९४९–५० में ५ मन फी एकड़ थी। अब १९५६–५७ में १७.२ मन फी एकड़ हुई और अब किसी कारण से १९५८–५९ में ११.६ मन फी एकड़ रह गयी। इसी तरीके से चने की पैदावार १९४९–५० में साढ़े सात मन थी वह १८ मन फी एकड़ तक पहुंच गयी।

कोआपरेटिव फार्मिंग की बात भी बताये देता हूं। एवरेज इसलिए दिया गया है कि कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जैसा आपने जिक्र किया था कि जो ऐसे लोगों ने बनायी हैं जो कोआपरेशन में विश्वास नहीं करते। उनकोहम समाप्त करेंगे और कुछ नयी ऐसी हैं जिनका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिनमें एक मन पैदा नहीं होता था उसमें एक मन पैदा होने लगा, वह भी बढ़ोत्तरी है।

इस सिलसिले में मैं आपसे ४–५ सोसाइटीज का जिक्र करना चाहता हूं। एक सोसाइटी मुजफ्फरनगर में है जिसमें फी एकड़ गेहूं १८ मन, चना १५ मन और धान २५ मन हुआ है। भाटिया सोसाइटी, बरेली में फी एकड़ गेहूं १७.६ मन, चना १७ मन और धान २१.७ मन हुआ है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें कि यह आंकड़े जो उन्होंने दिये हैं वे खलिहान के हैं या क्राप कटिंग सिस्टम से लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पूरी फसल काट लेने के बाद मुनाफे में से जिस प्रकार से उन्होंने अपने शेअर होल्डर्स को दिया है, उसके आंकड़े हैं।

हां, तो मैं बता रहा था, इसी प्रकार एक सोसाइटी रामपुर जिले में है उसमें फी एकड़ २२ मन गेहूं, १५ मन चना, और २६ मन धान हुआ। मिटार गांव, जिला कानपुर में एक सोसाइटी है, उसमें फी एकड़ २० मन गेहूं, चने के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं और पैडी १६ मन हुई। वाराणसी जिले में एक सोसाइटी है, उनमें फी एकड़ १९ मन गेहूं, २३ मन चना और २२ मन धान हुआ।

मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे वे श्रीपाल सिंह कहें, चाहे जेड० ए० अहमद साहब कहें, कोई भी बोगस चीज नहीं चलनी चाहिये और दलीलों से बोगस चीज नहीं चल सकती और अगर आज कोई चलाता है तो अधिक दिनों तक नहीं चल सकती लेकिन सवाल यह आ जाता है कि एक तरफ तो यह कहा जाय कि सोसाइटीज को आप बहुत ज्यादा मदद दे रहे हैं, गरीबों की नाजानकारी का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाय कि तेजी से चलो, और ज्यादा मदद दो, जितनी दे रहे हो वह बहुत थोड़ी है, ज्यादा दो ताकि ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें, ये दोनों बातें कैसे साथ-साथ चल सकती हैं ?

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मैं अर्ज कर दूं कि पहली कुछ सोसाइटीज को बड़ी-बड़ी जमीनें मिल गयीं। परती जमीन थी, कुछ लोगों ने हिम्मत की और वे जंगलों में जाकर रहे। उन्हें कुछ बड़ा रकबा मिल गया लेकिन यह सही बात है कि कोआपरेटिव तरीके से वहां खेती शुरू की गयी और वहां ऐसी खराब जमीन में लोगों ने पैदा करके दिखाया।

भारत सरकार के कोआपरेटिव विभाग के एक आफीसर भार्गव साहब हैं। उन्होंने अपनी स्पष्ट राय बतायी। उन्होंने कहा कि पूर्वी जिलों की सोसाइटीज ज्वाइन्ट फार्मिंग में अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी जमीन है। वहां पर सही मानों में सहकारिता का काम हुआ है। उस के मुकाबले में पश्चिमी जिले में सोसाइटीज इतनी सक्सेसफुल नहीं है। कमजोरियां हो सकती हैं लेकिन जहां जहां गलतियां हैं, बोगस सोसाइटीज हैं, मैं माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मित्र बतायें, उनको तोड़ दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण--श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं। आज नेशनल कोआपरेटिव फार्मिंग एडवाजरी बोर्ड के बारे में अखबार में निकला है। अगर माननीय मंत्री जी उसको भी पढ़ कर इन आंकड़ों को देते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष--अखबारों का जिक्र यहां नहीं किया जाता।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--कोआपरेटिव सोसाइटीज में जो गबन हुए हैं उनके बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद ने कहा कि सीलिंग से बचने के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनायी गयी हैं। कानून के अनुसार ही कोई सीलिंग से अपने को बचा सकता है, कानून के बाहर जाकर कोई अपने को नहीं बचा सकता। अगर किसी ने गलत तरीके से ज्वाइंट कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी है तो वह सीलिंग के कानून से नहीं बच सकता है। इस तरह की जमीन तो उससे ले ली जायगी। कानून की आड़ में कोई चीज कर ली जाय तो वह दूसरी चीज है।

श्री जेड० ए० अहमद साहब का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे काम को बहुत हल्का कर दिया यद्यपि उन्होंने क्रीटिसिज्म से भी काम लिया। उनका कहना है कि अगर कोआपरेटिव फार्मिंग की तरक्की करनी है तो छोटे-छोटे काश्तकारों को ज्यादा मदद मिलनी चाहिये लेकिन जनसंघ के श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी का कहना है कि इस तरह की मदद देना एक बेकार चीज है और यह लोगों को धोखा देना है तथा लोगों को मोह जाल में फंसाना है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह धोखा देना नहीं है। जो समाज के सब से गरीब तत्व हैं...

कुंवर श्रीपाल--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने रूलिंग दी कि अखबारों का जिक्र यहां नहीं हो सकता। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब अखबारों का जिक्र यहां नहीं हो सकता तो ये अखबार नवीस लोग यहां क्यों बैठते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि वे अखबार में निकली हुई किसी बात का भी जवाब दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--श्रीमन्, मेरा समय जा रहा है, कृपा कर उनको रोकें तथा मेरा समय बढ़ा दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--अगर हमारा समाधान हो जाय तो माननीय मंत्री जी का समय स्वारथ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें समाधान की क्या बात है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये पैसा देते हैं तो इसमें किसी को किसी तरह के मोहजाल में फंसाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हम कोआपरेटिव फार्मिग के द्वारा कोई नया तरीका खेती का छोटे-छोटे किसानों के सामने रखते हैं तो यह एक आदर्श होगा जिससे वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें ।

उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब आप बड़े लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिये अनुदान देते हैं, कर्जा देते हैं तो वे तो काश्तकार हैं जो सब से नीचे दर्जे के लोग हैं, अगर वे अपने पैरों पर न खड़े हो सकें तो मिल जुल कर सहयोग से काम कर सकें, उसमें उनको मदद देना आपका फर्ज है, क्योंकि वे समाज के सबसे नीचे दर्जे के लोग यानी लैंडलेस लेबरर और छोटे-छोटे काश्तकार हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनको फायदा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह तो अभी शुरूआत है। ५०० सोसाइटीज उत्तर प्रदेश में क्या हस्ती रखती हैं ? यहां ५० हजार सोसाइटीज क्या ५ लाख सोसाइटीज हो जायं तब हम यह कह सकते हैं कि कुछ काम हो रहा है ।

मैं श्री जेड० ए० अहमद और दूसरे सब साथियों को बतला देना चाहता हूं कि फी सोसाइटी ४ हजार रु० तो हम लोन देंगे, इसके अलावा ५ हजार रु० और देंगे जिसमें से ७५ फी सदी तो लोन के रूप में होगा और २५ प्रतिशत सबसिडी होगी। तो उस तरफ चलने का यह एक कदम है। हर फार्म को १,२०० रु० की और सबसिडी देंगे । इस तरह से खासी मदद हम करने वाले हैं। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के फीगर्स हैं। बजट के अनुसार जितना हो सकता है, हम सोसाइटीज को मदद करने जा रहे हैं और जैसा कि मैं अभी अर्ज कर रहा था मैं काफी बातें इस सम्बन्ध में कह सकता हूं लेकिन काफी समय इसी पर चला जायगा और दूसरे सदस्यों ने जो अन्य बातें कहीं हैं वह रह जायंगी। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मैं आगे इन सहकारी समितियों पर नजर रखूंगा, देखेंगे कि उनकी पैदावार क्या है, उनका कार्य सही आधार पर चल रहा है या नहीं और उनमें सही माने में छोटे किसान शामिल होते हैं या नहीं। इसके लिये हमें आपके, माननीय सदस्यों के, सहयोग की जरूरत है।

हमने अपनी जैसी अर्थ व्यवस्था मानी है उसमें खेती के मामले में सहकारिता बहुत ही जरूरी चीज है। अभी जैसा कि एक भाई ने माननीय राधेश्याम जी ने या किसी और सज्जन ने, कहा कि सहकारिता की खेती तब शुरू की जाय जब पहले खेती बांट ली जाय। मैं यह नहीं समझ सका कि इस तरह से खेती कहां से बढ़ जायगी, वह तो उतनी ही रहेगी। यह सहकारी खेती में शामिल होने का काम हम इसीलिये करते हैं कि सब मिल कर काम करें लेकिन जमीन तो उससे बढ़ नहीं जायगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर बटे भी तो वह बांटने का उनका तरीका क्या होगा ? अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल क्षेत्र है वह ६ करोड़ २७ लाख एकड़ है और उसमें से जो कल्टीवेटेड है वह ४ लाख ९ हजार एकड़ है और गांवों की आबादी है ६ करोड़ ३६ लाख...

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बहस है, कोआपरेटिव फार्मिग न चलने वाली है और न होने वाली है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनका कहना है कि वह नहीं होने वाला है लेकिन जब उससे किसानों का लाभ होगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं और केवल आंकड़े ही दे रहा हूं और वह...

श्री उपाध्यक्ष—क्या व्यवस्था का प्रश्न है, आप कहिये ।

श्री नरसिंहनारायण——अभी मैंने श्रीमन्, एक अखबार से रिफ़ेन्स देना चाहा था तो आपने कहा था कि अखबार का रिफ़ेन्स नहीं दिया जा सकता । मैं आपका ध्यान एक रूलिंग जो माननीय टंडन जी, भूतपूर्व अध्यक्ष ने दी थी उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । जिस समय सदन में एक माननीय सदस्य फाइल पढ़ रहे थे और प्रश्न उठाया गया था तो उन्होंने कहा था कि रिफ़ेन्स के लिये अखबार का इस्तेमाल किया जाता है तो वह ऐडमसिबिल है, उचित है । लेकिन आपने अभी कहा कि अखबार का रिफ़ेन्स नहीं दिया जा सकता । मैं उनकी वह रूलिंग आपके सामने पढ़े देता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष——मैंने यह अर्ज किया था कि आप अखबार की बात कह कर उनको अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो अखबार की चीज उन पर लागू नहीं होगी ।

श्री नरसिंहनारायण ——मैं जो चीज अखबार में दिखा रहा था उस पर मंत्री जी गौर करें, यह मैं चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष——आप बहस के दौरान में अखबार का रिफ़ेन्स दे सकते हैं लेकिन अखबार की बात को दूसरे व्यक्ति पर लादने के लिये नहीं कर सकते ।

श्री चतुर्भुज शर्मा——मैं यह कह रहा था कि हमारी जितनी जमीन काश्त की है और जितनी आबादी है उसके हिसाब से बहुत कम जमीन पड़ती है और बटवारा बेकार है, उससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । यह भी कहा गया कि जो आडिट का काम है उसको रजिस्ट्रार से अलग कर दिया जाय । मैं उनकी इत्तिला के लिये बता दूं कि वह काम रजिस्ट्रार के अधीन नहीं है, बल्कि आडिट जो हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज में होता है वह फायनेंस डिपार्टमेंट से होता है और आडिट पर रजिस्ट्रार का नियंत्रण नहीं है ।

एक बात यह कही गयी कि सर्विस कोआपरेटिव्स १० हजार बन गई एक रात में । एक रात में नहीं एक साल में वे बनीं । उनके बनाने के लिये तमाम लोगों ने काम किया । महीनों तैयारियां कीं । ८ हजार क्रेडिट सोसाइटीज को टर्न किया साधन सहकारी समितियों में और दो हजार नई बनाई तो इसमें, क्या आश्चर्य है ?

(इस समय ४ बज कर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद——एक शंका मैंने यह व्यक्त की थी कि सहकारी आन्दोलन को आप जब जिस तरह चाहते हैं बदल देते हैं, तो जो मेम्बर है उसकी मेम्बरशिप प्राइमरी मेम्बरशिप से दूसरी सोसाइटी में मेम्बरशिप चेन्ज हुई उसने कुछ समझा या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय सदस्य इतनी जल्दी मेरी बात समझ लेते हैं कि मुझे कुछ कहने नहीं देना चाहते और जो एक्सप्लेनेशन मुझे आगे देना है उसे भी वह पहले से ही समझ लेते हैं । क्रेडिट सोसाइटी तथा साधन सहकारी समिति में फर्क है, उसकी मेम्बरशिप में फर्क है, उसके शेयर में फर्क है, उसको मार्केटिंग सोसाइटी से अटैच किया जाता है । वह खुद महसूस करता है कि मैं एक अच्छे परिवार का मेम्बर हो गया हूं । आज अकेली १० हजार सोसाइटीज नहीं हैं । जहां १० हजार सोसाइटीज बनी थीं आज १९ हजार वह संगठित हो गयीं । तो इसमें जो पैसा आता है शेयर मनी का, डिपाजिट्स का वह लाखों में नहीं, करोड़ों में आता है । तो क्या यह सब फर्जी है, कहां से आ गया ? इस तरह इन सोसाइटीज को बदनाम करने से कोई लाभ नहीं होगा । असलियत को हम देखें ।

एक बात यह कही गयी कि साधन सहकारी समितियों को प्रोडक्शन को प्लान नहीं किया गया । वाकया यह है कि सारा का सारा उनका प्रोडक्शन प्लानिंग से चलता है । मार्केटिंग सोसाइटीज से उनको लिंक किया गया । दूसरी तरफ उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्रेडिट देने के लिये तय किया गया । हर समिति अपना प्लान बनाती है । फिर अब कर्ज उनको

नकद न देकर माल के रूप में बीज, फर्टिलाइजर, औजार और साधनों के रूप में क्रेडिट दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन से सीधा ताल्लुक इन सोसाइटीज का हो जाय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि उत्तर प्रदेश में मार्केटिंग सोसाइटीज अच्छा काम कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वे फेल्योर हैं। हर चीज जेनरलाइज नहीं की जा सकती। एक दो जगह के तजुर्बे पर आज आपकी १९ हजार नई मार्केटिंग सोसाइटीज बन गयीं। देश में चार सौ से ऊपर बड़ी-बड़ी मंडियां हैं और २० और सोसायटीज हम इसी साल बनाने जा रहे हैं। इस तरह २१० मार्केटिंग सोसायटीज हमारी हो जायंगी और हम आशा करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम बड़ी-बड़ी मंडियों में मार्केटिंग सोसायटीज कायम कर लेंगे। जिन मंडियों में हमारी सोसायटियां हैं वहां आने वाले गल्ले का २० फी सदी ये मार्केटिंग सोसायटीज डील करने लगी हैं।

जैसा कि जेड० ए० अहमद साहब ने कहा था, वाकया यह है कि जमींदारी बिनाश से जहां एक बड़ा फायदा हुआ है कि जो एक मिडिलमैन होता था वह नहीं रहा लेकिन आज कई और मिडिलमैन हैं जिन्हें हमें सहकारिता के जरिये से हटाना है। इसमें लोगों को अपने-अपने दृष्टिकोण से नुकसान दिखायी पड़ता है क्योंकि बाजार के वे लोग जो फायदा उठा रहे हैं उनको इन सोसाइटीज से लाभ नहीं दीखता है। लेकिन उनको भी हम मेम्बर बनाते हैं और क्रय विक्रय का थोड़ा काम उनको भी देते हैं। मगर किसानों को इन सोसाइटीज से बड़ा लाभ हो रहा है। मैं अपने जिले के तजुर्बे से कह सकता हूं। मैं भी एक किसान हूं और मेरा गल्ला मंडी में बिकता है। एक छोटे से जिले में हमारे यहां तीन मार्केटिंग सोसाइटीज हैं और जो गल्ला मंडियों में आता है उसका २० फीसदी सोसाइटीज के जरिये से बिकता है।

और बहुत सी बातें कही गयीं। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि सहकारिता और ज्वाइंट फार्मिंग का जो प्लान बनाया गया था बम्बई के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बनाया था। उनको मालूम होना चाहिये कि कोआपरेटिव का जो आइडिया चला वह एक मिलओनर ही ने शुरू किया था और उसी ने पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज आर्गेनाइज की थीं। अगर किसी अंग्रेज ने यहां कांग्रेस बनायी और उसके जरिये से आजादी मिली तो चूंकि अंग्रेज ने बनायी थी इसलिये वह संस्था गड़बड़ है यह तर्क देना सही नहीं होगा। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कोई अच्छी स्कीम बनायी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हां, एक चीज जरूर गलत थी कि चूंकि उनका कर्जा सेफ रहे इसलिये उन्होंने यह राय दी। यह उन्होंने अपने मन से कहा। असल में उन्हें कर्जा देने कौन आता है ? उन्हें कर्जा तो आप देते हैं यहां से ग्रांट मन्जूर कर के। उन्हें कर्जा देने का अगर कहीं चान्स है तो बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों को, बड़े-बड़े फार्म वालों को जिनकी गारन्टी ले कर वे कर्जा दे सकते हैं।

हमारे सिन्हा साहब ने दो-एक बातें कहीं। सिन्हा साहब एक खासे अच्छे कोआपरेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनके तजुर्बे और उनके सुझावों की कद्र करता हूं। उन्होंने कहा कि जो १२ महीने की अवधि शार्ट टर्म लोन की है उसको १५ महीने कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों ने कहा कि १८ महीने कर दी जाय और कुछ ने कहा कि दो साल कर दी जाय। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हर बैंक का हिसाब सीधा जा के रिजर्व बैंक से किसी न किसी तरह हो जाता है और रिजर्व बैंक एक साल की अवधि पर ही क्रेडिट देता है और हमें एकाउन्ट रखना पड़ता है। अगर हमें रिजर्व बैंक से सम्बन्ध रखना है तो हम अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिडिल टर्म लोन और लांग टर्म लोन हैं उनको ज्यादा दे सकें और इसमें भी आपकी सहायता की जरूरत होगी। इसमें करप्शन और एम्बेजिलमेंट की बातें कही गयी तो हो सकता है कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है। उन्होंने एक बात यह कही कि जिस किसान को कर्ज लेना पड़ता है उसको तीन बार दरख्वास्त देनी पड़ती है और इस दरमियान में उसको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। मैं इसकी जांच करूंगा और सहूलियत हो सकेगी तो उसे देखूंगा। अब साख का इतना सवाल नहीं रह गया है क्योंकि अब तो प्रोडक्शन

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

लीड पर कर्जा दिया जायगा। अब यह कोशिश की जायगी कि ग्राम समितियां ही कर्जा दें। इसलिये उनको आसानी हो जायगी। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि लैंडलेस लेबर को भी कर्जा दिया जाय और रिस्क कवर करने के लिये २३,००,००० रुपया रखा गया है। इन सोसाइटियों को रिस्क कवर करने के लिये ग्रांट दी जाय। अगर तीन दफा दरख्वास्त देने में कोई सहूलियत मिल सकती है तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

एम्बेजिलमेंट के बारे में जैसा कि मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि यह बीमारी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। मैं इस सदन के समक्ष थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। वे इस प्रकार हैं —

सन्	वर्किंग कैपिटल	एमाउन्ट एम्बेजिल्ड	प्रतिशत
	करोड़	रु०	
१९५१–५२	१६	६,२९,०००	.४
१९५७–५८	४१	२,९५,०००	.०७
१९५८–५९	५४	२,५८,०००	.०५
१९५९–६०	९५	२,२७,०००	.०३
१९६१–६१	११७	५,७५,०००	.०४

इस साल आजमगढ़ में लाख— डेढ़ लाख का गबन हुआ, उस पर हम सख्त कार्य वाही करने जा रहे हैं।

केसेज का नम्बर बता कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। नम्बर आफ केसेज भी काफी कम हो गये हैं और बराबर होते जा रहे हैं। एक हवा है कुछ होता है। जहां पैसे की डीलिंग होती है वहां सब देवता नहीं होते। सिक्यूरिटी और सुपरवीजन का इन्तजाम रहते हुए भी कहीं-कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसमें इतने आफीशियल्स और नान-आफीशियल्स काम करते हैं तो इसमें इतने प्रतिशत एम्बेजिलमेंट का होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम को कोई डर पैदा हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोई कमेटी बना दी जाय। ऐसे कामों में कमेटी केवल राय देने और कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकती। राय वे अब भी खुशी से दें। एक कमेटी में तो चन्द ही आदमी होंगे यदि सब लोग भी राय दें तो उसकी कद्र की जायगी। लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि कोई तरीका अपनाया जाय, अफसरों के जरिये, कुछ स्पेशल केसेज के ऊपर सजा दिला कर, जिससे इस तरह का एम्बेजिलमेंट खत्म हो।

यू० पी० कोआपरेटिव बैंक और ग्राम समितियों का क्रेडिट अब अच्छा बनने लगा है। काफी रुपया है बैंक्स के पास। वह हमारी सबकी सम्पत्ति है। इसको हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। हमें कोशिश करनी चाहिये कि प्राइवेट बैंक्स से हमारे यहां डिपाजिट्स ज्यादा आयें। वह तभी आयेंगे। जब हम यह साबित कर दें कि उनका रुपया सेफ है, एम्बेजिलमेंट नहीं होते हैं, रुपया वक्त पर मिलता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया उत्तर प्रदेश का सारे देश में ऐवरेज सबसे अच्छा है। क्रेडिट की साख भी अच्छी है। यद्यपि हमारे पास गारन्टी की कमी

थी, फिर भी रिजर्व बैंक से काफी कर्जा मिलता है और बिना गारन्टी के मिलता है। इससे यह मालूम होता है कि हमारी कोआपरेटिव बैंक की साख अच्छी है। लेकिन अगर आप एम्बेजिलमेंट, करप्शन की हवा पैदा करेंगे तो यह कर्जे का मामला है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों का दिवाला निकल जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश की साख है इसको बढ़ाने में यदि आप कोशिश करें तो मैं अपने को धन्य मानूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—प्रांतिशल कोआपरेटिव यूनियन की ग्रांट क्यों कम करते जा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बड़ी खुशी होगी उस दिन जिस रोज हमारी बैंक्स इस काबिल होंगी कि वह सरकार से एक पैसा न लें, वह अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उन हेग्रांट की जरूरत है।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—एक बात मुझे यह पूछनी है...

श्री अध्यक्ष—अगर आप के खड़े होने पर मन्त्री जी बैठ जायं तो बात कीजिये। लेकिन वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय विजय सिंह जी ने एक बात कही कि सहकारिता में बीज भंडार कैसे आते हैं? बीज भंडार में जो रुपया आता है वह सोसाइटीज का कैपिटल होता है, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उन्हीं का बीज वापस हो कर आ जाता है। बहुत सी सोसाइटियां ऐसी हो गयी हैं जिनके पास कर्जा बहुत थोड़ा सा रहता है। उनका अपना कैपिटल काफी है। इसी तरह से जो और बातें कही गयीं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हरण होता है यह दलीलें चाहे जो दी जाय लेकिन जो हमारी आर्थिक दशा है उसमें यह मानना पड़ेगा कि जितनी छोटी होल्डिंग्ज हैं, हमारे पास धंधे हैं नहीं, इसके सिवा यहां जमीन के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है जिससे हम शोषण से बच सकें और जिससे हम तानाशाही से बच सकें। तो इस तरह की दलील जो उन्होंने दी उसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी थी श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी के द्वारा कि हम बराबर परिवर्तन करते जा रहे हैं। लार्ज साइज सोसाइटीज, बेटर लिविंग सोसाइटीज, फर सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं और परिवर्तन करते जा रहे हैं। श्रीमन्, परिवर्तन तो संसार का नियम है। तजुर्बे से आदमी सीखता है, गलतियां छोड़ता है, सही चीजों को पकड़ता है, अगर सफलता नहीं पाता है तो सफलता पाने की कोशिश करता है। तो यह तो प्रगतिशीलता का चिन्ह है। लार्ज सोसाइटीज बनाते हैं तो उसका क्या हश्र होगा यह आपने पूछा। मैं उनकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि उनका हश्र बिलकुल वही होगा जैसा हम आसपास के लोगों को सारे साधन पहुचा रहे हैं वैसे ही पूरे साधन उनको पहुचाये जायेंगे। लार्ज स्केल सोसाइटीज जो होती थीं उनमें ज्यादा रुपया होता था और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थीं। जब यह देखा गया कि वह ज्यादा सर्विस नहीं दे पातीं और नीचे गांवों तक नहीं पहुंच पातीं हैं तो यह साधन सोसाइटियां बनायी गयीं। अब हमने यह सोचा है कि जहां लार्ज साइज सोसाइटियां हैं वह वैसी ही बनी रहेंगी लेकिन उनके क्षेत्र को कम कर दिया जायगा। जो मेम्बरशिप है वह हम बढ़ा देंगे लेकिन जो एरिया है उसको कन्फाइन कर देंगे एक एरिया में और उसमें उसकी कैपिटल भी बढ़ेगी लेकिन जितनी एरिया को वह कवर करती थीं उतनी एरिया उनके साथ नहीं होगी। बाकी जितने क्षेत्र होंगे वहां साधन सोसाइटियां हम आर्गनाइज करेंगे और उनको हम उसी तरीके से सुविधायें देंगे जो और जगह दी जाती हैं।

यह कहा गया कि कोआपरेटिव ऐक्ट्स सब जगह नये बने लेकिन यू० पी० में नहीं बना। यहां भी बना और बन कर तैयार भी कुछ हो गया था लेकिन इत्तिफाक से वह लैप्स हो गया। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह ऐक्ट जल्दी आ जायगा और जो भी सुझाव आप उसपर देंगे उसको कब्र की जायगी और उस ऐक्ट को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश की जायगी।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

एक बात यह कही गयी कि ब्यूरोक्रैसी ज्यादा है रजिस्ट्रार को पावर्स ज्यादा हैं। एक तरफ तो यह आवाज लगायी जाती है कि रजिस्ट्रार बड़ा पावरफुल है और आफिसर्स बड़े पावर फुल हैं और दूसरी तरफ जब कहीं थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है--मैं यह नहीं कहता कि नान-आफिशियल्स ज्यादा गड़बड़ी करते हैं--तो रोज यहां दौड़ लगाते हैं और रजिस्ट्रार से कहते हैं कि फौरन ऐक्शन लीजिये कि फलां जगह चुनाव में गड़बड़ी हो गयी, फलां जगह रुपया गड़बड़ हो गया। यह दोनों चीजें साबित करती हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और जहां लाखों करोड़ों आदमियों से इस तरह का काम हो वहां अभी इसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी हम जो ऐक्ट ला रहे हैं उसमें यह करने जा रहे हैं कि जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन होता था बैंकों का वहां अब गैरसरकारी आदमी हो, उसमें रजिस्ट्रार की पावर्स कम हों और भी सब चीजें हों, वह हम रखने जा रहे हैं। तो उस दिशा में हमने काम भी शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज में और डी० सी० डी० एफ० का कलेक्टर चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन एक गैर-सरकारी आदमी है। सर्कुलर्स निकाल दिये गये हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम गैर-सरकारी वाइस-चेयरमैन को दिया जाय, वह प्रेसाइड करे और और भी फक्शन्स करे जो चेयरमैन के हैं, जहां तक बहुत बड़े मामले न हों और जिनमें रुपये पैसे के बड़े मामले इन्वाल्व न हों और जिसमें कलेक्टर अब तक काम करते थे वह काम करे। तो इस तरह के सर्कुलर हमने भेज दिये हैं। श्रीमन्, मैंने कुछ जवाब दिये। कुछ जवाब मैं और देना चाहता था लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं। एक बात और कहकर समाप्त करता हूं।

एक बात कही गयी थी कि सुपरवाइजर्स के ऊपर कुछ और नियन्त्रण रखा जाय। वह काफी गड़बड़ी करते हैं। हो सकता है, वह नीचे के कर्मचारी हैं, कुछ गड़बड़ी होती हो। कुछ लोगों ने कहा था कि किसानों को पैसा नहीं जाता। इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि किसानों के पास पैसा नहीं जाता तो जाता किसके पास है। पैसा तो किसानों को ही दिया जाता है, और किसान ही लाकर उसे वापस करते हैं। जो करोड़ों आदमी ऋण लेने वाले हैं वह किसान नहीं तो और कौन हो सकते हैं? हां, कहीं कुछ और चीज हो, तो दूसरी बात है। जहां तक सुपरवाइजर्स की गड़बड़ी का सवाल है तो उसे मेरी नोटिस में लाइए, अधिकारियों की नोटिस में लाइए, वह दूर की जायगी।

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। मैं फिर माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इसमें इतनी दिलचस्पी ली और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि सहकारिता को हमें इस उत्तर प्रदेश में और देश में चलाना है। इसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। न केवल यह कि इसके बिना समाजवादी समाज नहीं बन सकता बल्कि मैं यह कहता हूं कि हमारी समृद्धि, हमारा अच्छा रहन-सहना नहीं हो सकता। आप आइडियल्स की बात छोड़ दें, वह तो हमें हासिल करना ही है। लेकिन हमें अच्छी जिन्दगी बितानी है, समृद्धिशाली बनना है और यह देखना है कि करोड़ों लोग जो बुरी जिन्दगी बिता रहे हैं वह अच्छी जिन्दगी बितायें तो और कोई रास्ता है ही नहीं पूंजीशाही और तानाशाही के बीच में सिवाय इसके कि हम सहकारिता का रास्ता अख्तियार करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष--पहले कटौती का प्रस्ताव जो माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने रखा है उसको मैं रखता हूं।

"प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।"

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,६९,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बाकी कटौती के प्रस्ताव हैं वह क्या अपने आप खत्म हो गये?

श्री अध्यक्ष—आप बैठिए। वह खत्म हो गए।

"प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,६९,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं।

श्री अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, सदन के उठने के पूर्व मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, ने कल इस सदन में यह रूलिंग दी थी कि माननीय मुल्ला साहब ने जो जजमेंट दिया था वह ओबिटर डिक्टा था....

श्री अध्यक्ष—मैं स्वयं उस पर अन्वेषण कर रहा हूं और अगर मेरी गलती होगी तो मैं सदन को बतला दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, सेकिंड डिसीजन के मातहत हाईकोर्ट के जजमेंट के विषय में यहां पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता और यदि नहीं हो सकता तो वह कार्यवाही से.....

श्री अध्यक्ष—मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययन करने के बाद अगर मैं देखूंगा कि मेरा निर्णय गलत है तो उसको इस सदन में विवेदन कर दूंगा।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—वह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मुख्य मन्त्री जी ने सब जुडिस केस के सम्बन्ध में कहा है। मैं इस समय विशेषाधिकार के प्रश्न को लाने का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उस जजमेंट को मंगाया है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं अपना विचार निश्चित करूंगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर सोमवार ७ मई, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ मई, १९६२।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—७४ एल० ए०—१९६२—८४७।